CHAPTER- 16: COORDINATION

मॉड्यूल के अंतिम दो दिनों के दौरान की जाने वाली गतिविधियाँ (प्रैक्टिकल हैंड्स–ऑन सेशन्स)

- **नोट–1–** पूरी कक्षा को छह समूहों में विभाजित करें। उन्हें कॉलम 5 के अनुसार छोटे समूह में कार्य दिया जाना चाहिए।
- **पहला छोटा समूह–** अन्य राज्य के पुलिस नियंत्रण कक्ष / पुलिस स्टेशन प्रभारी / पुलिस कर्मियों के साथ हिंदी या अंग्रेजी भाषा में बातचीत करना – पेपर–8(A) पुलिस संगठन
- **दूसरा छोटा समूह–** संबंधित राज्य पुलिस को रिपोर्ट लिखना – पेपर–8(A) पुलिस संगठन
- **तीसरा छोटा समूह–** अन्य राज्य के साथ खुफिया जानकारी (इंटेलिजेंस) साझा करने का अनुकरण (सिमुलेशन) करना – पेपर–9(B) पुलिस स्टेशन का कामकाज और कर्तव्य
- **चौथा छोटा समूह–**संचार और समन्वय कौशल – अंतर–राज्य और अंतर–राज्यीय – नियंत्रण कक्ष, वेबसाइट खोज का उपयोग, मानचित्र पढ़ना– पेपर–9(B)।
- **पांचवां और छठा छोटा समूह–** अन्य राज्य में ड्यूटी/जांच के बाद की जाँच – क्या करें और क्या न करें – पेपर 1 BNSS।
- **नोट–2–** उपरोक्त कार्य के अंत में व्यावहारिक सिमुलेशन समूह चर्चा क्या करें और क्या न करें के आधार पर की जानी चाहिए।
- **नोट–3–** आवश्यकता के अनुसार मॉड्यूल से पहले–बाद में सप्ताहांत या सार्वजनिक छुट्टियों पर दौरे किए जाने चाहिए।
- **नोट–4–** परीक्षा – व्यावहारिक व्यावहारिक सत्रों के अंतिम सत्र के दौरान A–15 से मौखिक (Viva)/MCQ परीक्षा आयोजित की जानी है।
- व्यावहारिक सिमुलेशन के दौरान, सभी प्रशिक्षुओं से, पुलिस अधिकारी होने के नाते, "COORDINATION" (समन्वय) अध्याय में सिखाए गए अंतर/इंटर राज्य/इंटर विभाग समन्वय मॉड्यूल के ज्ञान और प्रदर्शन का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है।
- **राज्य विशिष्ट इनपुट** –के लिए आवंटित सत्रों का उपयोग प्रासंगिक राज्य पुलिस पुस्तिकाओं और स्थायी आदेशों के लिए अतिरिक्त सत्रों के लिए किया जा सकता है जहाँ भी इसकी आवश्यकता हो।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 15- Inter/intra State/ Inter Department Coordination (Day-05) (Session-30)

Paper- 08-A- Police Organization Central- State (10 Session)

1- Origin, History and Evolution of Police in India, Relation with Neighboring Countries / Border Issues.

भारतीय पुलिस का इतिहास (राज० के विशेष सन्दर्भ में)

पुलिस का अर्थ एवं परिभाषा–

'पुलिस' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द 'पोलतिया' से हुई है, जिसका अर्थ है 'राज्य का शासन' या 'सरकार का शासन'। पुलिस एक ऐसा लोक सेवक होता है जो कानूनी जांचो एवं प्रक्रियों को करने के साथ–साथ आपराधिक घटनाओं में तत्काल आपातकालीन सेवायें प्रदान करता है।

वास्तव में पुलिस से तात्पर्य उस संगठन से है, जिसका प्रमुख कार्य समाज में आम जनता को सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए अपराधों की रोकथाम करना और कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाए रखना है। पुलिस एक्ट नं. V सन् 1861 की धारा के अनुसार पुलिस में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो इस एक्ट के अधीन भर्ती किये गये हैं या नियुक्त किये गये हैं।

बेन्थम के अनुसार "पुलिस वह इकाई है जो अपराधों की रोकथाम एवं प्राकृतिक विपदाओं की रोकथाम करने के लिए नियुक्त की गई है।" प्रसिद्ध अपराध शास्त्री सदरलैंड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (The Principle of Criminology) अपराधशास्त्र के सिद्धान्त में पुलिस शब्द को परिभाषित करते हुए लिखा है कि 'पुलिस' शब्द प्राथमिक रूप से राज्य के उन प्रतिनिधियों की ओर संकेत करता है, जिसका कार्य विधि एवं व्यवस्था बनाए रखना और विशेष रूप से नियमित आपराधिक संहिता को लागू करना है।

अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पुलिस से तात्पर्य राज्य द्वारा नियुक्त की गई उस संस्था से है. जो समाज में आन्तरिक सुरक्षा प्रदान करने, समाज के सभी वर्गों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए, अपराधों की रोकथाम करके कानून एवं व्यवस्था को लागू करती है।

भारतीय पुलिस का संक्षिप्त इतिहास–

अपराध एक ऐसी घटना है जो प्रत्येक काल में विद्यमान रही है। अपराध की रोकथाम करने के लिए भारत वर्ष में प्राचीन काल से ही प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसलिए भारतीय पुलिस के बारे में यह कहा जाता है कि यह प्राचीनतम पुलिस संस्थाओं में से एक है। प्रसिद्ध भारतीय ग्रन्थ श्मनुस्मृतिश में अपराधों की रोकथाम के लिए राजा को यह अधिकार दिया गया है कि वह जनता पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और अपराधी को दण्डित करने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करे और इसके अलावा वह चौकियों और गश्ती दलों की स्थापना करे। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में गुप्तचर विभाग की कार्यप्रणाली के बारे में लिखा गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि मौर्य शासकों के शासनकाल में ही पुलिस का शुभारम्भ हो चुका था। आचार्य चाणक्य आधुनिक पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। मौर्य काल के पश्चात् मुगल काल में पुलिस व्यवस्था का वर्णन पाया जाता है। मुगल काल में सारा राज्य कई प्रान्तों में बँटा हुआ था, जिसमें चौकीदार पुलिस का काम करते थे। प्रान्त का शासक सूबेदार कहलाता था, सूबेदार के अधीन फौजदार होते थे जो विभिन्न खण्डों के शासक होते थे। परगना में थाना का कार्य होता था, शहरों में कोतवाल होता था, सिपाहियों से गश्त ड्यूटी लेने के लिए शहर को हल्कों में बाँट दिया जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में पुलिस व्यवस्था नष्ट हो गई थी। इसके दो कारण थे प्रथम, दक्षिण में मराठों का शासन स्थापित हो गया जबकि दूसरी तरफ, ईस्ट इंडिया कम्पनी, दीवान के रूप में कार्य संभालने में सफल हो गई।

PTS Kherwara, Udaipur

अंग्रेजी शासन काल में जमींदारी और जमींदारों को पुलिस कार्यों की जिम्मेदारी सौंपने का कार्य पुनः प्रारम्भ किया गया। 1792 ई. में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पुलिस के लिए कानून बनाकर प्रत्येक जिला में चार सौ वर्ग मील क्षेत्र में एक दरोगा नियुक्त किया गया। जिसकी सहायता के लिए कुछ पुलिस अफसर भी तैनात किये गये और जमींदारों को भार मुक्त कर दिया परन्तु चौकीदारों को पुलिस के अधीन कर दिया गया। सन् 1810 में पटना, बनारस और बरेली में सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस की नियुक्ति की गई। लार्ड कार्नवालिस पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने पुलिस व्यवस्था को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन् 1860 तक पुलिस व्यवस्था को संगठित करने के लिए किये गये प्रयासों को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो पाई।

परन्तु सन् 1860 भारत में आधुनिक पुलिस की स्थापना के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा क्योंकि आधुनिक भारतीय पुलिस बल की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार ने इसी वर्ष इण्डियन पुलिस कमीशन की नियुक्ति की जिसने एक प्रारूप तैयार किया जिसमें पुलिस की स्थापना एवं सुधार हेतु अनेक सुझाव दिये गये थे। ब्रिटिश सरकार ने कमीशन की सिफारिशों पर अमल करते हुए सन् 1861 में पुलिस अधिनियम नं. V सन् 1861' पारित कर दिया जिसके आधार पर आधुनिक भारतीय पुलिस की स्थापना की गई। 30 जून, 2024 तक हमारे देश में अंग्रजों द्वारा बनाये गये तीनो कानूनों भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ही पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी वर्तमान में अंग्रेजों द्वारा बनाये गये उपरोक्त तीनों कानूनो को समाप्त कर इनके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूरे देश में 1 जुलाई 2023 से लागू है तथा इन्ही तीनों कानूनों के अनुसार ही वर्तमान में पुलिस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। यद्यपि सन् 1861 में लागू किया गया पुलिस एक्ट अपने आप में पूर्ण नहीं था। क्योंकि अभी भी भर्ती करने, प्रशिक्षण देने और पदोन्नति के सम्बन्ध में अनेक कमियाँ मौजूद थी। प्रत्येक प्रान्त एक इन्सपेक्टर जनरल (पुलिस महानिरीक्षक) के अधीन रखा गया और जिला पुलिस के लिए एक यूरोपियन जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। बड़े जिलों में एक से अधिक सहायक पुलिस अधीक्षक नियुक्त किये जाते थे। सन् 1887 में सर्वप्रथम पुलिस के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रारम्भ की गई और यह भी निर्णय लिया गया कि इस परीक्षा में भारतीय नागरिकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन् 1902 में पुलिस कमेटी का गठन किया जिसने पुलिस की सहयोगी संस्थाओं सी.आई.डी., रेलवे पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल की स्थापना एवं बड़े प्रान्तों को प्रान्तीय मण्डलों (रेंजों) में बाँटने की सिफारिश की।

वर्तमान पुलिस का गठन पुलिस एक्ट 1861 एवं भारतीय पुलिस आयोग 1902–03 की सिफारिशों का ही परिणाम है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात् भी भारतीय नेताओं ने पुलिस संगठन में कई परिवर्तन करके इसे पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार चालू रखा गया है। सन् 1902–03 में गठित किये गये पुलिस कमीशन ने पुलिस रेंजों एवं पुलिस थानों की सीमायें निर्धारित करने तथा इसी प्रकार से बहुत से अन्य परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृति देकर तुरन्त लागू कर दिया। पुलिस थानों में उप निरीक्षक की नियुक्ति करके और उन्हें अन्वेषण कार्य सौंपा गया। यद्यपि भारतीय पुलिस संगठन का इतिहास गौरवशाली एवं प्राचीन है। रामायण, महाभारत एवं चन्द्रगुप्त मौर्य काल की पुलिस (गुप्तचर प्रणाली) एक पुलिस संगठन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। फिर भी, पुलिस व्यवस्था को संगठित करने का श्रेय ब्रिटिश सरकार को ही जाता है, जिसने सन् 1861 में विधिवत् रूप से पुलिस को एक संगठन के रूप में स्थापित किया। वर्तमान पुलिस ब्रिटिश सरकार की ही देन है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् समय–समय पर विभिन्न पुलिस आयोगों की स्थापना करके पुलिस से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान के अन्तर्गत पुलिस को प्रान्तीय (राज्य) सूची में रखा गया है, लेकिन केन्द्रीय सरकार राज्य पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है क्योंकि अधिकतर पुलिस को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित एवं जारी कानूनों जैसे– भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा

PTS Kherwara, Udaipur

संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अधीन रह कर ही कार्य करना पड़ता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार राज्य पुलिस पर नियंत्रण रखने और इसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखती है, परन्तु आज हमारा देश स्वतन्त्र है। अतः पुलिस के कार्यों में असीमित विस्तार हो रहा है। अब पुलिस सरकार के एजेन्ट के रूप में ही कार्य नहीं करती अपित एक लोक सेवक के रूप में भी कार्य करती है।

राजस्थान पुलिस का इतिहास

राजस्थान पुलिस भारत के राजस्थान राज्य की नागरिक सेवा है। राजस्थान पुलिस का ध्येय "अपराधियोँ में डर, आमजन में विश्वास" है।

1 इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है।

2, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है।

राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह विजय स्तम्भ है।

राज्य में 8 पुलिस रेंज है एवं 49 पुलिस जिले हैं ,पुलिस स्टेशन की संख्या 1052, पुलिस चौकियों की संख्या 1321 है

अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के आगमन के साथ, भारत की 563 रियासतें धीरे–धीरे विभिन्न प्रशासनिक सजातीय इकाइयों में एकीकृत हो गईं। राजस्थान राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में विभिन्न चरणों में अस्तित्व में आया। 18 मार्च, 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली वाले मत्स्य संघ की पहली शुरुआत की गई थी। वे एक सप्ताह बाद बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कुशलगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक से शामिल हुए। और उदयपुर। ठीक एक साल बाद, चार बड़े राज्यों के बीच। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी शामिल हुए। दोनों ने मिलकर ग्रेटर राजस्थान का गठन किया, जिसका उद्घाटन भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 31 मार्च, 1949 को किया था। हालांकि यह प्रक्रिया आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। यह 1956 तक नहीं था कि सभी राज्य वर्तमान राजस्थान बनाने के लिए एक साथ आए। तत्कालीन रियासतों ने राजस्थान को आकार, जनसंख्या, राजस्व संसाधनों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रथाओं में काफी भिन्नता प्रदान की है। यह कानून और व्यवस्था के कार्यों के लिए सुरक्षा बलों की संरचना और क्षमता में विधिवत रूप से परिलक्षित होता था। हालांकि, इन राज्यों के विलय के साथ, उनके पुलिस बलों को एक एकल पुलिस बल में मिला दिया गया, जिसे राजस्थान पुलिस के रूप में जाना जाता था। अपनी स्थापना के बाद के शुरुआती वर्षों में, राजस्थान पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों का नेतृत्व किया गया था और पहले पुलिस महानिरीक्षक श्री आर.बनर्जी थे, जिन्होंने 7 अप्रैल, 1949 को पदभार संभाला था। श्री बनर्जी ने इस पद पर सात महीने तक कार्य किया और उस अवधि के अधिकांश समय को विभिन्न पुलिस बलों के एकीकरण के आवश्यक पूर्वाग्रहों के लिए समर्पित किया। उन्होंने राजस्थान पुलिस विनियमों में संयुक्त राज्य राजस्थान के लिए एक सामान्य पुलिस कोड की व्यवस्था की। राजस्थान पुलिस सेवा का गठन जनवरी 1951 में किया गया था और राज्य भर के योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। यह राजस्थान पुलिस की शुरुआत के रूप में चिह्नित है जैसा कि हम आज जानते हैं।

जनतांत्रिक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका

भारत एक प्रजातांत्रिक (लोकतांत्रिक) प्रणाली वाला देश है, प्रजातंत्र में शक्ति का मुख्य स्रोत जनता होती है और राज्य का शासन जनता के हाथों में होता है। इसीलिए प्रजातंत्र के बारे में कहा जाता है कि प्रजातंत्र में जनता अपने नेता का चयन स्वयं करती है और इसमें व्यक्तिगत उद्देश्यों को बढ़ावा देना और समाज के सामूहिक हितों की रक्षा करना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है।

prskhewara Udaipur

प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार लोगों द्वारा, लोगों के लिए तथा लोगों के हितों के लिए ही बनाई जाती है। कल्याणकारी राज्य में सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी नागरिकों की खुशी, विकास, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास तथा लोक (सार्वजनिक) कल्याण योजनाओं को रखकर कार्य करेगी और व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास को एक निश्चित दिशा प्रदान करेगी। कल्याणकारी राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपराधिक न्याय प्रणाली के मुख्य अंग न्यायालय, पुलिस, जेल तथा अभियोजन शाखा होती है. जिनका मुख्य कार्य राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, ताकि व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास को एक बढ़ावा दिया जा सके।

एक कल्याणकारी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आवश्यक एवं अनिवार्य होती है। पुलिस का मुख्य कार्य राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ–साथ आम जनता को व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास करने के लिए एक उपयुक्त माहौल उपलब्ध कराना है। कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका अत्यन्त उपयोगी एवं सार्थक होती है। समाज के सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, समुदायों, लिंग, वंशों तथा समूहों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करना पुलिस का दायित्व होता है। अतः कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका काफी सराहनीय, व्यक्ति एवं समाज उन्मुख होनी चाहिए।

कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका एक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका निम्नलिखित होनी चाहिए: –

1. भारत एक प्रजातांत्रिक (लोकतांत्रिक) प्रणाली वाला देश है, जिसका अपना संविधान है। अतः पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह भारत के संविधान को सर्वोच्च मानते हुए उसका उचित सम्मान करे और उसमें दिए गए सभी नियमों, आदर्शों तथा सिद्धान्तों का तन–मन से पालन करते हुए आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ–साथ अन्य अधिकारों को उचित सम्मान देते हुए उनकी रक्षा करें।

2 कल्याणकारी राज्य की धारणा को सम्पुष्ट करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे और आम लोगों के लिए सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करे ना कि एक शासक के रूप में।

3. भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों एवं संसद या विधान सभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के औचित्य पर कोई शक किए बिना उन्हें सही ढंग से लागू करें और सरकार द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक एवं कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने में भी उचित एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

4. पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक नागरिक को उचित सम्मान देते हुए उनके मौलिक अधिकरों की रक्षा करते हुए उनका उचित सहयोग एवं सहायता करे, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करे और अपनी कार्य प्रणाली को पारदर्शी एवं स्वच्छ बनाने में सहयोग दें।

5. पुलिस के समक्ष शिकायत लेकर आने वाले नागरिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करें बल्कि उनकी समस्या का समाधान करने में उनकी उचित सहायता करें और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उचित सुरक्षा प्रदान करें।

6. आम नागरिकों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास को सुनिचित करने के लिए उन्हें एक स्वच्छ एवं उचित वातावरण प्रदान करने में अपना उचित एवं आवश्यक सहयोग दें।

7. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहें, कानून एवं व्यवस्था लागू करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न करें और समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलवाने में उचित सहयोग दें।

8. समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों को उचित सम्मान दें व उनके समुचित विकास एवं उत्थान के लिए उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। महिलाओं, बच्चों एवं वृद्ध तथा असहाय व्यक्तियों की उचित सहायता करें और उनके साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करे और इनकी सुरक्षा करने वाले कानूनों को सख्ती के साथ लागू करना चाहिए।

prs Kherwara, Udaipur

9. पुलिस को कानूनों को लागू करते समय किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार का भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और न ही किसी प्रकार की मार–पीट करनी चाहिए। उनको पूरी बात को समझे व सुने बिना किसी प्रकार की
10. सामाजिक कुरीतियों एवं बुराइयां जैसेः जुआ, वेश्यावृति, नशाखोरी, मद्यपान, दहेज, भ्रूण हत्या आदि को समाप्त करने में समाज व सरकार का उचित सहयोग करना चाहिए और इन्हें बढ़ावा देने वाले लोगों के विरुद्ध आवश्यक एवं उचित कार्यवाही करनी चाहिए।
11. पुलिस को समय–समय पर अन्य कार्यों जैसेः बाढ़, भूकम्प, सुनामी लहरे, सूखा, भुखमरी, सडक व रेल दुर्घटना, वायुयान दुघर्टना आदि कार्यों में बढ़–चढ़ कर सहयोग एवं सहायता करनी चाहिए और इस दौरान होने वाले अपराधों की रोकथाम करने के लिए हर सम्भव उपाय करने चाहिए।
12. पुलिस को समय–समय पर उन कानूनों की जानकारी आम लोगों को देनी चाहिए जो आम जनजीवन को प्रभावित करते हों जैसेः– यातायात नियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व कमजोर वर्ग से सम्बन्धित कानून आदि। सभी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए।
13. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को तुरन्त लागू करने में उचित सहायता एवं सहयोग निष्पक्षता के साथ प्रदान करनी चाहिए।
14. एक कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका तभी सार्थक एवं सही साबित होगी जब पुलिस अपना कर्त्तव्य पालन एक सेवक के रूप में करे जैसा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 (28) (छ) में बताया गया है।

भारत के पड़ोसी देशों के साथ स्थानिक संबंध

भारत के पड़ोसी देशों के साथ स्थानिक संबंधों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है:

1. पाकिस्तान

सीमा विवाद: कश्मीर विवाद भारत–पाकिस्तान संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। जल–संसाधान: सिंधु जल संधि (1960) जल–संसाधनों के बंटवारे को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता है।
व्यापार: व्यापार संबंध राजनीतिक तनावों के कारण सीमित हैं। सुरक्षा: सीमा पार आतंकवाद भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है।

2. नेपाल

खुली सीमा: भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है, जिससे लोगों और वस्तुओं का मुक्त आवागमन होता है। जल–विद्युत परियोजनाएं: भारत नेपाल में जल–विद्युत परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। सुरक्षा सहयोग: दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत है। सीमा विवाद: कालापानी क्षेत्र को लेकर विवाद है।

3. भूटान

विशेष संबंध: भारत और भूटान के बीच विशेष संबंध हैं, जो 'हाइड्रोपावर कोऑपरेशन' और 'फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' पर आधारित हैं। सुरक्षा सहयोग: भारत भूटान की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक सहायता: भारत भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

4. बांग्लादेश

जल–संसाधन: गंगा जल बंटवारे को लेकर समझौता है। सीमा विवाद: सीमा विवादों का समाधान किया जा रहा है। व्यापार: भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ रहा है। रोहिंग्या शरणार्थी : रोहिंग्या शरणार्थी संकट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

5. म्यांमार

PTS Kherwara, Udaipur

सीमा सुरक्षा: भारत और म्यांमार के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग महत्वपूर्ण है। कनेक्टिविटी परियोजनाएं: भारत म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जैसे कि कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। रोहिंग्या शरणार्थी : रोहिंग्या शरणार्थी संकट म्यांमार के लिए भी एक चुनौती है।

6. चीन

सीमा विवाद: भारत–चीन सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है, जिसके कई क्षेत्र हैं। व्यापार: भारत और चीन के बीच व्यापार असंतुलित है। कनेक्टिविटी परियोजनाएं: चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) भारत के लिए चिंता का विषय है। सुरक्षा: सीमा पर सैन्य तनाव बना रहता है।

7. श्रीलंका और मालदीव

समुद्री सुरक्षा: भारत श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग करता है। आर्थिक सहायता: भारत इन देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। रणनीतिक महत्व: ये देश भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

8. अफगानिस्तान

ऐतिहासिक संबंध: भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। विकास सहायता: भारत अफगानिस्तान को विकास सहायता प्रदान करता है। सुरक्षा स्थिति: अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति भारत के लिए चिंता का विषय है।

2 Central Police organizations like I.B., C.B.I., C.R.P.F., B.S.F., I.T.B.P., R.P.F., C.I.S.F., N.C.B., N.C.R.B., N.I.A., S.S.B., RAW, Assam Rifles, B.P.R and D, N.P.A., C.D.T.S., N.I.C.F.S., Central Forensic Science Laboratory, Central Finger Print Bureau, Army, Navy, Air Force, Local Army, N.C.C, Rastriya Raksha Shakti University, National Forensic Science University.

आई.बी. (IB) इन्टेलिजेंस ब्यूरों–

यह भारतवर्ष की आन्तरिक खुफिया व सुरक्षा एजेन्सी है। यह संसार की सबसे पुरानी खुफिया एजेन्सी है। यह संगठन अपने वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1968 में आया है। इससे पूर्व इस ब्यूरो द्वारा देश की आतंरिक और विदेशों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा था। परन्तु वर्ष 1968 में रों की स्थापना के पश्चात अब केवल देश की आतरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। यह केन्द्र के गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य करती है। इसके कार्य गोपनीय होते हैं। इसका निदेशक भारतीय पुलिस सेवा का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। इसके अन्य अधिकारी कानून का पालन कराने वाली इकाइयों से लिए जाते हैं जिसमें भारतीय पुलिस सेवा व सेना की सेवा के अधिकारी भी सम्मिलित हैं। इस एजेन्सी द्वारा भारतवर्ष के भीतर गोपनीय सूचनाओं को एकत्र करने का कार्य किया जाता है। इस एजेन्सी द्वारा देश की सीमाओं पर भी सूचनाओं को एकत्र करने का कार्य किया जाता है, सूचनाओं को एकत्र करके उनका विश्लेषण व मूल्यांकन करके सम्बन्धित राज्य को देना है। आई०बी० विभिन्न अभिसूचना इकाइयों के बीच सम्पर्क एजेन्सी का कार्य करती है व सूचनाओं के सम्बन्ध में समन्वय का कार्य किया जाता है। आई०बी० पुलिस के अधिकारियों के लिये भी प्रशिक्षण कोर्स आयोजित करती है।

सी.बी.आई. (C.B.I) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपराधों की विवेचना करने की भारतवर्ष की प्रमुख एजेन्सी है। यह वर्तमान समय में केन्द्रीय सरकार के कार्मिक एवम् प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रही है। यदि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के इतिहास को देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति विशेष पुलिस संगठन से हुई है जिसकी

PTS Kherwara, Udaipur

स्थापना वर्ष 1941 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस संस्थान का कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतवर्ष के युद्ध व आपूर्ति विभाग के भ्रष्टाचार व रिश्वत के मामलों को विवेचना करना था। इस संस्थान का नियन्त्रण भी युद्ध विभाग के पास था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् भी केन्द्रीय सरकार के स्तर की ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता समझी गई जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के घूसखोरी व भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके। अतः वर्ष 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस संगठन अधिनियम को पारित कर लागू किया गया व विशेष पुलिस संगठन को गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कर दिया गया। इस संस्थान के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करके केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों की जांच करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके कार्य क्षेत्र में केन्द्र शासित प्रदेशों को भी सम्मिलित किया गया और यह भी सावधान किया गया कि इसका क्षेत्र राज्यों तक उस राज्य की सरकार की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। दिनांक 01ध04ध1961 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई और उन अपराधों के अन्वेषण का कार्य केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दे दिया गया जो पहले विशेष पुलिस संगठन द्वारा निपटाए जाते थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थापना के साथ विशेष पुलिस संगठन को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का एक प्रभाग बना दिया गया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संगठन, कार्य व अधिकार क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है–

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संगठन

1. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
2. इसका प्रशिक्षण अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है।
3. इसका प्रमुख अधिकारी निदेशक होता है जो भारतीय पुलिस सेना का अधिकारी होता है। निदेशक का चयन सीवीसी. अधिनियम, 2003 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है। निदेशक का कार्यकाल दो वर्ष का है। निदेशक के अतिरिक्त इस ब्यूरो में अन्य महत्वपूर्ण पद स्पेशल निदेशक, अपर निदेशक व संयुक्त निदेशक के हैं। इसके अतिरिक्त इस ब्यूरो में विवेचना के कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक व उपनिरीक्षक नियुक्त हैं।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अन्वेषण के सम्बन्ध में शक्तियाँ

कानून–व्यवस्था बनाए रखने का विषय राज्य सरकार का होता है और विवेचना करने का मौलिक कार्यक्षेत्र भी राज्य की पुलिस का ही है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सीमित साधनों के कारण वह प्रत्येक प्रकार के अपराध की विवेचना नहीं कर सकती है।

सी.आर.पी.एफ. (C.R.P.F.)– केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

1. यह बल सबसे पुराना केन्द्रीय बल है।
2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रजेन्टेटिव पुलिस के रूप अस्तित्व में आया।
3. 28 दिसम्बर, 1949 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम बनने पर यह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से अस्तित्व में आया है
4. यह बल 247 बटालियन का है जिसमें 16 बटालियन आर.ए.एफ की हैं। 10 कोबरा बटालियन, 6 महिला बटालियन व 2 बटालियन राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन की हैं।
5. यह पहला सशस्त्र बल है जिसने 21 अक्टूबर, 1959 में लद्दाख में चीनी आक्रमणकारियों का डट कर मुकाबला किया और इसके दस जवान शहीद हो गए उनकी वीरता की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस द्वारा शहीद दिवस मनाया जाता है।
6. यह देश का एक ऐसा केन्द्रीय बल है, जो केन्द्र शासित प्रदेशों व राज्यों की पुलिस की कानून–व्यवस्था बनाए रखने में व राजद्रोह के विरुद्ध अभियान में सहायता देने में एक सहायक बल के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह बल राज्यों में पुलिस के विभिन्न प्रकार के कार्यों में सहायता कर रहा है।
7. इस बल ने पिछले कई वर्षों में विभिन्न परिस्थितियों में स्थानीय पुलिस के साथ पूर्ण तालमेल रखकर काम किया है जिससे यह बल जनता व राज्य के प्रशासन का पसंदीदा बल बन गया है।

PTS Kherwara, Udaipur

8. इस बल का मुख्यालय सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में है।

बी.एस.एफ. (BSF)–सीमा सुरक्षा बल

सीमा सुरक्षा बल देश की सीमा सुरक्षा एजेन्सी है, जिसमें 193 बटालियन हैं व दो लाख बाइस हजार का बल भारत की सीमा की सुरक्षा करने वाला एकमात्र बल है और इसकी स्थापना 1 दिसम्बर 1965 को की गई। इस बल के गठन का उद्देश्य पाकिस्तान से मिलने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा करना है। वर्ष 1947 से 1965 तक भारत की पाकिस्तान से मिलने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का भार उन राज्यों पर था जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मिलती थी। वर्ष 1965 में भारत–पाकिस्तान के युद्ध से सीमा सुरक्षा की कमी उजागर हुई व 1 दिसम्बर 1965 को इस बल का गठन करके सीमा सुरक्षा का दायित्व इस बल को सौंपा गया। यह बल कानून प्रवर्तन की एजेन्सी भी है जो सीमा पार से होने होने वाले प्रत्येक प्रकार के अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करती है। यह संसार की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा एजेन्सी है। यह बल भारत के गृह मन्त्रालय के नियन्त्रण में कार्य करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। बी०एस०एफ० के दो हेड क्वार्टर बनाये गये हैं जो क्रमशः कोलकाता एवं चड़ीगढ़ में स्थापित है। जिसके प्रभारी डी०जी०स्तर के अधिकारी होते हैं।

उद्देश्य–

1. सीमावर्ती क्षेत्र के निवासियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना व बनाये रखना
2. सीमावर्ती क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों व वस्तुओं को प्रवेश व निकास का रोकना
3. सीमावर्ती क्षेत्र से तस्करी को रोकना
4. आन्तरिक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के कार्य में भी यह बल नियुक्त किया जात है। जैसे सम्प्रदायिक दंगों या विद्रोह के समय।

आई.टी.बी.पी. (ITBP)–भारत–तिब्बत सीमा पुलिस

आई.टी.बी.पी. की स्थापना 24 अक्टूबर, 1962 को चीन के हमले के कारण भारत–तिब्बत सीमा, भारत–नेपाल व चीन के त्रिकोण जंक्शन की सुरक्षा हेतु की गई। प्रारम्भ में इस बल की केवल चार बटालियनों से भारत–तिब्बत की सीमा की सुरक्षा के जभाव की पूर्ति की गई। आई.टी.बी.पी. का गठन पहले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक्ट के अन्तर्गत किया गया व वर्ष 1992 में आईटीबीपी. का एक्ट पारित हुआ व उसको एक बहुआयामी बल का रूप दिया गया। वर्तमान समय में इस बल की 60 सर्विस बटालियन, 4 स्पेशलिस्ट बटालियन व तीन प्रशिक्षण केन्द्र हैं। यह बल भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के नियन्त्रण में कार्य करता है। यह बल सीमा पर चौकसी रखने के लिए ऊँचाई पर बनी चौकियों पर रहकर चौकसी करने का कार्य करता है। इनमें से बहुत सी चौकियों के भूतल के मार्ग सर्दी के मौसम में अवरूद्ध हो जाते है। इस बल के सदस्यों को प्राकृतिक प्रकोपों को झेलना पड़ता है। इस बल के सदस्यों को शून्य से 40 डिग्री नीचे के तापमान में अपनी चौकियों पर सतर्क रहना पड़ता है। यह बल यूएनओ के शान्ति मिशन में अपनी सेवाएँ दे रहा है। हिमालय के क्षेत्र में कार्य करने के कारण यह वल उस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव का कार्य भी करता है। इस बल के सदस्यों को षहिमवीरष भी कहा जाता है। कैलाश–मानसरोवर यात्रा में श्रद्धालुओं को सुरक्षा, संचार व चिकित्सीय व्यवस्था भी इसी बल द्वारा दी जाती है

बल का गठन– इस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित वर्ष 1983 में इस बल के प्रभारी का पद पुलिस महानिदेशक का कर दिया गया। वर्तमान समय में इस बल मेंनिम्नलिखित अधिकारी मुख्यालय पर प्रशिक्षण केन्द्रों पर, फिन्टियर हेड क्वार्टर पर व सेक्टर प्रेड क्वार्टर पर नियुक्त हैरू

1. मुख्यालय पर डीजी–1, आईजी–7, डीआईजी–13
2. प्रशिक्षण में आईजी–1, डीआईजी–12
3. फ्रन्टियर्स हैडक्वार्टर पर आईजी–7, डीआईजी–16

prs Khewara, Udaipur

4. सेक्टर हेडक्वार्टर पर डीआईजी–15

आई.टी.बी.पी. के कार्य

1. भारत की उत्तरी सीमा पर चौकसी रखना।
2. सीमा के अतिक्रमण पर दृष्टि रखना व रोकना।
3. स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना।
4. अवैधानिक आने व जाने को रोकना।
5. तस्करी को रोकना।
6. संवेदनशील संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करना।
7. किसी उपद्रव के होने पर व्यवस्था को स्थापित करना।

RPF

रेलवे सुरक्षा बल (RPF – Railway Protection Force)

यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र बल (Central Armed Police Force – CAPF) है। इसका मुख्य कार्य भारतीय रेलवे की संपत्तियों, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- प्रारंभिक शुरुआत: इसकी शुरुआत 1882 में विभिन्न रेलवे कंपनियों के तहत "वॉच एंड वार्ड" (Watch and Ward) स्टाफ के रूप में हुई थी।
- वैधानिक स्थापना: भारतीय संसद द्वारा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (RPF Act, 1957) पारित करके इसे एक वैधानिक बल के रूप में स्थापित किया गया।
- सशस्त्र बल का दर्जा : वर्ष 1985 में इस अधिनियम में संशोधन करके RPF को भारत संघ का एक "केंद्रीय सशस्त्र बल" (Armed Force of the Union) घोषित किया गया।

विशेष कानूनी शक्ति और क्षेत्राधिकार

विशेष अधिकार: सामान्य कानून–व्यवस्था और रेल पटरियों पर होने वाले अपराधों (जैसे हत्या, चोरी) की जांच का जिम्मा राज्य सरकार की राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और जिला पुलिस का होता है।

लेकिन, RPF को रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 (RPUP Act) और रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इसके तहत RPF को रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले या रेल यात्रा में बाधा डालने वाले अपराधियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और मामले की विवेचना (Investigation) करने का पूर्ण अधिकार है।

संगठनात्मक ढांचा (Organizational Structure)

- मुख्यालय: रेल भवन, नई दिल्ली।
- शीर्ष नेतृत्व: इस बल के सर्वोच्च प्रभारी महानिदेशक (Director General – DG) होते हैं, जो आमतौर पर महानिदेशक रैंक के वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारी होते हैं।
- क्षेत्रीय प्रबंधन: भारतीय रेलवे के प्रत्येक जोन (जैसे उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे आदि) में आरपीएफ का नेतृत्व एक प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (PCSC) करते हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

RPF के मुख्य कार्य एवं जिम्मेदारियां (Mandate – Core Duties)

RPF को रेलवे परिसर के भीतर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा के लिए निम्नलिखित शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई हैं:

1. रेलवे संपत्ति की सुरक्षा: रेलवे के इंजनों, डिब्बों, सिग्नलों, स्टेशनों और रेलवे स्टोर में रखी सरकारी संपत्ति की चोरी और बेईमानी से हेराफेरी को रोकना।

2. यात्री सुरक्षा में सहयोग: रेल यात्रा के दौरान महिला यात्रियों, बच्चों और आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए श्मेरी सहेलीश और 'ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते' (बिछड़े बच्चों को बचाना) जैसे विशेष अभियान चलाना।

3. रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई: रेलवे टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग (दलाली), बिना टिकट यात्रा, बोगियों में अवैध वेंडिंग, और अलार्म चेन खींचने (ACp) जैसी अवैध गतिविधियों पर कानूनी कार्रवाई करना।

4. GRP के साथ समन्वय: यात्रियों के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों की रोकथाम के लिए संबंधित राज्य की राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) और स्थानीय पुलिस के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करना।

सी.आई.एस.एफ. (CISF)– केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

यह बल वर्ष 1969 में गठित हुआ है। वर्ष 1983 में एक्ट पारित करके इस बल को केन्द्रीय सशस्त्र बल का दर्जा प्रदान किया गया है। यह बल केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य पब्लिक सेक्टर के औद्योगिक संस्थानों को सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करना है। प्रारम्भ में इस बल में केवल तीन बटालियन थीं परन्तु चार दशकों में यह बल काफी उन्नत हो गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। यह बल देश की एक बहुआयामी सुरक्षा एजेन्सी है जो वर्तमान समय में लगभग तीन सौ औद्योगिक संस्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है इसका अपना फायर विंग है। विदेशों में यह बल भारतीय दूतावासों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यह बल संयुक्त राष्ट्र संघ के शान्ति मिशन में सहयोग प्रदान करता है। यह बल औद्योगिक संस्थानों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ सुरक्षा व अग्निशमन के उपकरणों के आधुनिकीकरण के बारे में भी परामर्श देता है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल निम्नलिखित संस्थानों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है–

1. हवाई अड्डों की सुरक्षा
2. बन्दरगाहों की सुरक्षा
3. न्यूक्लियर संस्थानों की सुरक्षा
4. पावर प्लान्ट्स की सुरक्षा
5. संवेदनशील सरकारी भवनों की सुरक्षा
6. स्मारकों की सुरक्षा जैसे ताजमहल आदि
7. दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा
8. रक्षा उत्पादन इकाइयों की सुरक्षा
9. तेल रिफाइनरी की सुरक्षा
10. करेन्सी नीट की प्रिंटिंग प्रेस की सुरक्षा
11. फर्टिलाइजर यूनिट्स की सुरक्षा
12. अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा
13. आपदाओं के समय लोगों की सहायता व बचाव कार्य करना।

PJS Kherwara, Udaipur

निजी संस्थानों को सुरक्षा देना यह बल वर्ष 2009 में संसद द्वारा बिल पास होने के बाद निजी सेक्टर में भी सुरक्षा देने का कार्य कर रहा है। यह बल सुरक्षा व अग्निशमन के बारे में प्राईवेट सेक्टर के संस्थानों को परामर्श देने का कार्य करता है।

एन.सी.बी. (N.C.B.)– नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो–

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985, जो 14 नवंबर, 1985 से लागू हुआ, इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की शक्तियों और कार्यों का उपयोग करने के उद्देश्य से एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक एक्सप्रेस प्रावधान बनाया गया।

इस प्रावधान की उपस्थिति में, भारत सरकार ने 17 मार्च, 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया। केंद्र सरकार की निगरानी और नियंत्रण के अधीन ब्यूरो, केंद्र सरकार की शक्तियों और काययों का उपयोग करने के लिए है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रवर्तन प्रावधानों के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, ड्रग्स और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम और किसी भी अन्य कानून के तहत विभिन्न कार्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का समन्वया वर्तमान में लागू होने वाले विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रोटोकॉल के तहत अवैध यातायात के खिलाफ काउंटर उपायों के संबंध में दायित्व का कार्यान्वयन या जो भारत द्वारा अनुसमर्थित या आरोपित किया जा सकता है। इन दवाओं और पदार्थों में अवैध यातायात की रोकथाम और दमन के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्यवाही की सुविधा के लिए विदेशी देशों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में संबंधित अधिकारियों की सहायता।

मादक पदार्थों से संबंधित मामलों के संबंध में अन्य संबंधित मंत्रालयों विभागों और संगठनों द्वारा उठाए गए कार्यों का

समन्वय–

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। यह अपने जोन और सन–जोन के माध्यम से एक प्रवर्तन एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। अहमदाबाद, बंगलूर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई और पटना में स्थित जोना, अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इंफाल, मंदसौर, मदुरै, मंडी, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में स्थित उप–क्षेत्र। जोन और सब–जोन मादक दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थ, अध्ययन के रुझान, मॉडस ऑपरेंडी की जब्ती से संबंधित डेटा एकत्र करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, सीमा शुल्क, राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ सहयोग में खुफिया जानकारी एकत्र और प्रसारित करते हैं।

एन०सी०आर०बी० (N.C.R.B.)– राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो–

इस ब्यूरो का गठन 11 मार्च 1986 को किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के लिए निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये :

1. अपराध एवं अपराधियों पर सूचना जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अपराध एवं अपराधियों पर सूचना भी शामिल है उनके क्लीयिरिंग हाउस के रूप में कार्यकरना जिससे कि अन्वेषको एवं अन्य लोगों को अपराय से जुड़े अपराधियों से लिंक करने में सहायता मिल सके।
2. भारत में पुलिस थाना रिकार्ड को संदर्भ दिए विना संबंधित राज्यों, राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थाओं, न्यायालयों एवं वकीलों को अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय अपराधियों पर सूचना का संचय, समन्वय एवं आदान–प्रदान करना।
3. राष्ट्रीय स्तर पर अपराध आंकड़ों का संग्रह एवं संसाधन करना।
4. अपराधियों के पुनर्वास, उनकी रिमांड, पैरील, समय से पहले रिहाई आदि के कार्यों के लिए दंड एवं सुधार संस्थ करना एवं आपूर्ति कराना।

PTS Khetwara, Udaipur

5. राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो की की कार्य प्रणाली का समन्वयन, मार्गदर्शन एवं सहायता करना।
6. अपराध रिकार्ड ब्यूरो के कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।
7. अपराध रिकार्ड ब्यूरो का मूल्यांकन, विकास एवं आधुनिकीकरण करना।
8. केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए कार्य कारिणी एवं कंप्यूटर आधारित प्रणाली को विकसित करना एवं कंप्यूटरीकरण के लिए उनके डाटा संसाधन एवं प्रशिक्षण की आवयश्कताओं हेतु सुविधायें प्रदान करना।
9. विदेशी अपराधियों के अंगुलि छाप रिकार्ड जिसमें दोष–सिद्ध व्यक्तियों के अंगुलि छाप रिकार्ड भी शामिल है उनके राष्ट्रीय गोदाम के रुप में कार्य करना।
10. अंगुलि छाप खोज के द्वारा अन्तर्राज्यी अपराधियों की खोज करने में सहायता करना।
11. अंगुलि छापों एवं पद चिन्हों से संबंधित मामलों पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को सलाह देना, अंगुलि छाप विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

केन्द्र में अपराध – अपराधी सूचना प्रबंधन की प्रणाली को सुप्रवाह बनाने के लिए पहला कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने विभिन्न केन्द्रीय पुलिस संगठनों के निम्नलिखित अपराध रिकार्ड संस्थानों को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में विलय किया है:
1. पुलिस कंप्यूटर एवं समन्वय निदेशालय (गृह मंत्रालय)
2. केन्द्रीय अणवेषण ब्यूरो का अंतरराज्य अपराधियों के डाटा का व्यवस्थित करना।
3. पुलिस अनुसंसाधन एवं विकास ब्यूरो के अपराध आंकड़ो को व्यवस्थित करना।
4. केन्द्रीय अणवेषण ब्यूरो के केन्द्रीय अंगुलिं छाप ब्यूरो, कोलकाता।

अपराध एवं अपराधी खोज नेटवर्क एवं प्रणाली (अ.अ. खो.ने.प्र.) जो एक पूर्व योजना प्रणाली नामतः सामान्य एकीकृत पुलिस अनुप्रयोग (सीपा) के अनुभव के आधार पर संपादित की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो वर्तमान में इन शाखओं के माध्यम से कार्य कर रहा है–अपराध रिकार्ड शाखा, केन्द्रीय अंगुलि छांप ब्यूरो, सांख्यिकीय शाखा, प्रणाली विकास शाखा, राज्य कार्यान्वयन शाखा प्रणाली, अनुरक्षण शाखा, प्रशिक्षण शाखा, आंकड़ा कैन्द्र और तकनीकी शाखा ।

अपराधों की विवेचना सम्पादित अधिकारियों को अपराध की रोकथाम व अपराध की विवेचना बारे में सूचनाओं की आवश्यकता रहती है। स्थानीप अपराधियों की सूचनाएँ थाने के अपराध सम्बन्धी अभिलेखों से है व जनपद स्तर के अपराधियों के बारे में सूचनाएँ जिला अपराध अभिलेख ब्यूरी से प्राप्त हो जाती हैं। राज्य स्तर के अपराधियों के बारे में सूचनाएँ राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से प्राप्त की जा सकती हैं। कभी–कभी किसी महत्वपूर्ण अपराध कारित करने में अपराधी अन्य राज्य के भी सम्मिलित हो सकते हैं जैसे बैंक डकैती, शस्त्रों की दुकान में चोरी या फिरौती क लिए अपहरण हत्या, फर्जी करेन्सी की तस्करी एवं आतंकवादी घटना आदि। इस प्रकार के अपराधों को वर्कआउट करने या अपराधियों का पूर्व इतिहास जानने के लिए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की अभिलेखों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। विवेचक के लिए यह आवश्यक है कि यदि उसे थाना अभिलेखों, जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो या राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से प्राप्त सूचनाओं से है।

एन. आई.ए. (NIA)– नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेन्सी–

यह केन्द्रीय विवेचना की एजेन्सी है जिसको केन्द्र सरकार ने भारतवर्ष में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया है। इस एजेन्सी की स्थापना संसद द्वारा 31 दिसम्बर 2008 को नेशनल इनवेस्टीगेशन एजेन्सी एक्ट पारित होने के साथ हुई। इसका गठन मुम्बई में 2008 के आतंकवादी हमले के पश्चात् की गई है क्योंकि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एक केन्द्रीय एजेन्सी की आवश्यकता समझी गयी। भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस द्वारा विवेचना का कार्य राज्य का विषय है व किमी राज्य में पटित किसी अपराध की विवेचना अन्य कोई एजेन्सी अपने स्तर से, बिना राज्य की अनुमति के नहीं कर सकती है। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी के अधिनियम के अनुसार इस एजेन्सी

PTS Kherwara, Udaipur

को यह अधिकार दिया गया है कि वह आतंकवाद से सम्बन्धित किसी घटना की विवेचना विना राज्य की अनुमति के कर सकती है।
इस एजेन्सी का मुख्यालय नई दिल्ली में जयसिंह रोड पर स्थित एनडीसीसी, बिल्डिंग के 6व7 तल पर स्थित है। इस एजेन्सी के प्रभारी महानिदेशक पद के हैं व इनके मुख्यालय पर एक अपर महानिदेशक नियुक्त हैं।
गई हैं। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेन्सी आतंकवाद से सम्बन्धित विवेचना जो आपराधिक मामले के अन्वेषण करने की शक्तियां प्रदान की
1. राष्ट्र की प्रभुत्तत्ता व एकता को चुनौती देने वाली आपराधिक घटना।
2. बम विस्फोट की घटना।
3. वायुयान या समुद्री जहाज को हाईजैक करने की घटना।
4. परमाणु संयत्रों पर हमले की घटना।
5. फर्जी करेन्सी के मामले।

एस.एस.बी. (SSB)– सशस्त्र सीमा बल–

सशस्त्र सीमा बल (SSB) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं की रक्षा करना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना है।

सशस्त्र सीमा बल (SSB) के बारे में संक्षिप्त जानकारीः

स्थापना वर्ष	1963
मुख्यालय	नई दिल्ली
नियंत्रण	भारत सरकार, गृह मंत्रालय
प्राथमिक कार्य	भारत–नेपाल और भारत–भूटान सीमाओं की सुरक्षा
मोटो (Motto)	"Service, Security and Brotherhood" (सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व)

प्रमुख कार्यः
1. भारत–नेपाल और भारत–भूटान की खुली सीमाओं की निगरानी।
2. सीमा क्षेत्रों में तस्करी, घुसपैठ और आपराधिक गतिविधियों को रोकना।
3. आंतरिक सुरक्षा में सहायता देना (जैसे चुनाव ड्यूटी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती आदि)।
4. आपदा राहत और नागरिक सहायता कार्यों में भाग लेना।

विशेषताएँः
- SSB के जवान पर्वतीय, ग्रामीण और कठिन इलाकों में काम करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं।
- यह बल मित्रता और सहयोग की भावना से सीमा पर रहने वाले लोगों के साथ सम्बन्ध बनाए रखने पर बल देता है। यदि आप SSB में भर्ती, प्रशिक्षण, रैंक स्ट्रक्चर या उससे संबंधित किसी खास जानकारी की तलाश में हैं, तो कृपया बताएं।

आर.ए.डब्ल (RAW) रिसर्च एवम् एनेलिसिस विंग–

यह भारत की विदेशों से सम्बन्धित अभिसूचना की प्रमुख एजेसी है। इसका गठन भारत–चीन 1962 व भारत–पाकिस्तान के युद्ध 1965 के बाद 21 सितम्बर, 1968 में किया गया। इसकी स्थापना से पूर्व अभिसूचना ब्यूरो (आई.बी.) के द्वारा देश के अन्दर व विदेशों से सम्बन्धित के अभिसूचना एकत्र करने

PTS Kherwara, Udaipur

का कार्य किया जा रहा था और उक्त दोनों युद्ध के बाद अभिसूचना ब्यूरो के द्वारा विदेशों से सम्बन्धित अभिसूचना एकत्र करने को कमी उजागर हुई। तत्कालीन प्रधानमन्त्री व उनकी सरकार ने एक ऐसी एजेन्सी की आवश्यकता को महसूस किया जो युद्ध में जाने से पहले या आतंकी हमले से पहले भारत को खतरे के बारे में सचेत कर सके व देश की सुरक्षा कर सके व ऐसी एजेन्सी ऐसे किसी प्रकरण से निपटने के लिए ऐसे आवश्यक कदम उठा सके जो वह ठीक समझे। इसके सबसे पहले निदेशक रामेश्वर नाथ थे।

रॉ (RAW) द्वारा किए जाने वाले कार्य–

1. उन देशों की राजनैतिक, मिलिट्री, आर्थिक व वैज्ञानिक विकास को समीक्षा करना जिसका भारत का आन्तरिक सुरक्षा से व उसकी विदेश नीति बनाने में प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो।
2. प्रवासी भारतीयों व भारतीय मूल के लोगो के द्वारा अन्तर्राष्टीय जनमत को बदलना व विदेशी सरकारों का प्रभावित करना।
3. भारत की सुरक्षा के हित में गोपनीय कार्य करना।
4. आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करना व भारत के लिए खतरे वाले आतंक को तत्वों को अप्रभावी करना।
5. सोवियत संघ व चीन में साम्यवाद की प्रगति पर दृष्टि रखना क्योकि इन दोनों देशों का अन्य देशों की तरह भारत में कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बन्ध हैं।

यूरोपीय देशो, अमेरिका व चीन द्वारा पाकिस्तान को मिलिट्री के संसाधन देने को नियन्त्रितः एवं सीमित करना। विभाग का उत्तरदायित्व देश को संसद के प्रति किसी भी मामले में उत्तर देने के लिए यह प्रावधान रा को सूचना के अधिकार की पहुंच है बाहर रखता हैं। वास्तव में रा केवल देश के प्रधानमंत्री व संयुक्त अभिसूचना कमेटी के प्रति जवाबदेह है। इस विभाग के प्रमुख को केन्द्रीय सचिवालय में 'सेक्रेटरी रिसर्च' कहा जाता है। रों में अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारम्भ में रॉ में अभिसूचना ब्यूरो) भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रोना या रेवन्यू विभाग से लोगों को अपने कार्य हेतु लिया जाता था।

Assam Rifles

1. ऐतिहासिक विकासक्रम (Detailed Historical Evolution)

कछार लेवी (1835): ब्रिटिश शासन के दौरान असम के कछार जिले में ब्रिटिश चाय बागानों और बस्तियों को स्थानीय जनजातियों (जैसे नागा, लुशाई) के छापों से बचाने के लिए केवल 750 जवानों के साथ इसे गठित किया गया था।

विभिन्न नाम: इसे असम फ्रंटियर पुलिस (1883), असम मिलिट्री पुलिस (1891) और अंततः प्रथम विश्व युद्ध में इसकी वीरता के बाद 1917 में 'असम राइफल्स' नाम दिया गया।

विश्व युद्धों में भूमिका: इस बल ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप, मध्य पूर्व और म्यांमार (बर्मा) के मोर्चे पर भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया था।

1962 का भारत–चीन युद्ध: असम राइफल्स के जवानों ने नेफा (NEFA – अब अरुणाचल प्रदेश) में चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया था।

2. 'दोहरा नियंत्रण' ढांचा और उसकी कानूनी स्थिति (Dual Control Mechanism)

prsKherwara, Udaipur

पुलिस इनडोर क्लास के लिए यह सबसे तकनीकी और महत्वपूर्ण बिंदु है:

प्रशासनिक नियंत्रण (Administrative Control): वेतन, भत्ते, बुनियादी ढांचा, राशन, और पोस्टिंग आदि गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन आते हैं। बजट आवंटन भी गृह मंत्रालय ही करता है।

सैन्य संचालन नियंत्रण (Operational Control): उग्रवाद विरोधी अभियान, सीमा सुरक्षा और युद्ध जैसी स्थितियों में यह रक्षा मंत्रालय (MoD) यानी भारतीय सेना की श्ईस्टर्न कमांडश (Eastern Command) के तहत काम करता है।

अधिकारी संवर्ग (Officer Cadre): बल में कांस्टेबल से लेकर सूबेदार मेजर तक के पद असम राइफल्स के अपने होते हैं, लेकिन कैप्टन/मेजर से लेकर महानिदेशक (DG) तक के सभी वरिष्ठ अधिकारी भारतीय सेना से प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर आते हैं।

3. कानूनी शक्तियां और विशेष अधिनियम (Legal Powers – Acts)
एक पुलिस अधिकारी के रूप में यह जानना आवश्यक है कि बल को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या शक्तियां प्राप्त हैं:

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (Assam Rifles Act, 2006): इस बल का अपना विशेष सेवा अधिनियम है जो इसके कर्मियों के अनुशासन, कर्तव्यों और सेवा शर्तों को संचालित करता है। (इसने पुराने 1941 के अधिनियम को बदला)।

AFSPA (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम): पूर्वोत्तर के जिन क्षेत्रों में AFSPA लागू है, वहां असम राइफल्स को संदिग्ध उग्रवादियों को बिना वारंट गिरफ्तार करने, तलाशी लेने और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग/गोली चलाने का कानूनी अधिकार प्राप्त है।

CrPC / BNँ के तहत शक्तियां: केंद्र सरकार द्वारा विशेष अधिसूचनाओं के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में असम राइफल्स के अधिकारियों को तलाशी और जब्ती (Search and Seizure) के लिए पुलिस अधिकारी के समकक्ष शक्तियां दी गई हैं, ताकि वे सीमा पार तस्करी और उग्रवाद पर प्रभावी कार्रवाई कर सकें।

4. मुख्य परिचालन कार्य और जिम्मेदारियां (Core Operational Mandate)
(।) भारत–म्यांमार सीमा प्रबंधन (Border Management)
भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी अत्यंत दुर्गम, पहाड़ी और घने जंगलों वाली सीमा की रखवाली करना।
FMR (Free Movement Regime – मुक्त आवाजाही व्यवस्था): सीमा के दोनों ओर रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा के कुछ दूरी तक आने–जाने की अनुमति होती है, जिसका दुरुपयोग उग्रवादी करते हैं। असम राइफल्स इस व्यवस्था की निगरानी करती है और घुसपैठ, हथियारों व नशीले पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी रोकती है।

(B) उग्रवाद विरोधी अभियान (Counter–Insurgency Operations)

PTS Kherwara, Udaipur

पूर्वोत्तर भारत (जैसे नागालैंड, मणिपुर) में सक्रिय विभिन्न भूमिगत और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के खिलाफ भारतीय सेना के साथ मिलकर श्जंगल वॉरफेयरश (श्रनदहसम ॅतिंम) और सर्जिकल ऑपरेशन चलाना।

(C) नागरिक सहायता और विकास (Civic Action Programme)
दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में जहां राज्य पुलिस या प्रशासन आसानी से नहीं पहुंच पाता, वहां असम राइफल्स अस्पतालों का संचालन, शिक्षा, खेलकूद को बढ़ावा और सड़कें बनाने में मदद करती है। इसीलिए इन्हें श्पहाड़ी लोगों के मित्रश (Friends of the Hill People) कहा जाता है।

बी.पी.आर.एण्ड डी. (BPR&D)– पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

इस विकास ब्यूरो की स्थापना 28 अगस्त, 1970 को हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना है। यह ब्यूरो विविध प्रकार को सलाहकार एजेन्सी है। इसका मुख्यालय सी.जी.ओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली में है। इस ब्यूरो का प्रभारी पुलिस महानिदेशक स्तर का होता है जिसे निदेशक कहा जाता है व इनकी सहायता के लिए अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक व सहायक निदेशक नियुक्त हैं।

इस ब्यूरो के अन्तर्गत निम्नलिखित डिवीजन हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार के है। प्रत्येक डिवीजन को एक पुलिस महानिरीक्षक प्रभारी के रूप में देखता है।

रिसर्च डिवीजन– इस डिवीजन में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं–

1. भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य की पुलिस की समस्याओं को चिन्हित करना।
2. पुलिस की समस्याओं पर अनुसंधान करना।
3. पुलिस के आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं की जानकारी करना व अनुसंधान करना।
4. इस डिवीजन में पुलिस के निम्नलिखित समस्याओं व अपराध को प्रकृति का अध्ययन किया जाता है अपराध के कारण व तरीके, अपराध की रोकथाम व उसके उपाय, पुलिस के संगठन, शक्ति, प्रशासन, पद्धति, तकनीक व आधुनिकीकरण, विवेचना में वैज्ञानिक सहायता की उपयोगिता, कानून की अपर्याप्त, बाल अपराध, पुलिस को वर्दी, बिल्ले, मैडल, पुलिस समस्याओं पर पुलिस साइंस कान्फ्रेंस, सेमीनार आयोजित करना भारतवर्ष के अपराध के आँकड़े रखना

विकास डिवीजन– इस डिवीजन में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं–

1. पुलिस के कायों में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रयोग के विकास को देखना।
2. उक्त कार्य के लिए इस डिवीजन के द्वारा नई विधाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे तकनीक व विधा को पुलिस के कार्यों में सम्मितित किया जा सके।

एन.पी.ए. (N.P.A.)– राष्ट्रीय पुलिस अकादमी–राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का इतिहास

1. भारत की राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद शहर से आठ किलोमीटर के फासले पर 277 एकड़ भूमि में स्थापित है। इस अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है और यह भारतीय पुलिस सेवा का स्थायी प्रशिक्षण केन्द्र है। यह अकादमी भारतवर्ष का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।
2. भारत को स्वाधीनता के पूर्व भारतीय पुलिस (आई.पी.) के अधिकारी अपने–अपने प्रान्तो के पुलिस प्रशिक्षण कॉलेजों में अपने प्रारम्भिक प्रशिक्षण को प्राप्त करते थे। उनके प्रशिक्षण में एकरुपता न होने के कारण वह एक दूसरे को नहीं जानते थे व उनमें से कई अधिकारी दूसरे प्रान्तो की पुलिस की कार्य–शैली से भी परिचित नहीं हो पाते थे।
3. भारत की स्वाधीनता के पश्चात् भारत के प्रथम गृह मत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना को आवश्यकता के महत्व पर बल दिया और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के

PTS Kherwara, Udaipur

लिए एक समान प्रकार की संस्था की आवश्यकता को समझा गया जिससे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों तथा समाज के विभिन्न स्तरों से भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सके। इस सेवा को आई.पी. से बदल कर आई.पी.एस. कर दिया गया।

4. 15 सितम्बर, 1948 को सेन्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना माउन्ट आबू (राजस्थान) में को गई क्योंकि वहां पर कुछ खाली सेना की वैरकें उपलब्ध थी। एक वर्ष के भीतर ही सेना ने अपनी वैरकें वापिस लेने की माँग की और उसके कारण यह इस सेन्ट्रल पुलिस ट्रेनिग कॉलेज को माउन्ट आबू के राजपूताना होटल व लारेंस स्कूल में स्थानान्तस्ति करना पड़ा।

5. वर्ष 1967 में इस संस्थान का नाम बदल कर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कर दिया व वर्ष 1974 में इस अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कर दिया गया क्योकि इस अकादमी की स्थापना का विचार उन्ही का था।

6. वर्ष 1972 में पुलिस प्रशिक्षण के सभी पहलुओं पर विचार करने हेतु एक कमेटी श्री एम.एस. गोरे की अध्यक्षता में तत्कालीन प्रधानमत्री द्वारा गठित को गई जिसके सदस्यों में कई प्रशिक्षण से सम्बन्धित विशेष सम्मिलित किए थे। कमेटी ने संस्तुति की कि भारतीय पुलिस सेवा का संस्थान अपने स्थायी भवन में किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थानांतरित किया जाये।

7. माह फरवरी 1975 में वह अकादमी माउन्ट आबू से हैदरावाद में अपने स्थायी नवन में स्थानान्तरित कर दी गई और अब तक भारतीय पुलिस सेवा के चार हजार से अधिक अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सेवा में नियुक्त हो चुके हैं।

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का कार्य

राष्ट्रीय पुलिस आकादमी में आयोजित होने वाले कोर्स–राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में निम्नलिखित कोर्स चलाए जाते हैं

1. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण का आधारभूत कोर्स 46 सप्ताह का चलाया जाता है
2. सेवारत पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक पद के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रबन्धन विकास कोर्स चलाया जाता है।
3. देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कोर्स चलाया जाता है।
4. राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश प्रशिक्षण कोर्स चलाया जाता है।
5. पुलिस के सभी अधिकारियों के लिए उनके व्यवसाय से संबन्धित विषयों पर कार्यशाला आयोजित को जाती है व अल्प अवधि के कोर्स चलाए जाते हैं।
6. विदेशी पुलिस, सेना, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, राष्टीयकृत बैंक, बीमा कम्पनियों के अधिकारी भी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी द्वारा समय–समय पर आयोजित किए जाने वाले विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होने वाला शोध कार्य–

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में समकालीन पुलिस समस्याओ संबंधी योजनाबद्ध पढाई करके शोध कार्य हेतु सहायता प्रदान की जाती हैं समय–समय पर अकादमी के विभाग द्वारा पुलिस के समक्ष उभर कर आ रही समस्याओ पर शोध रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की जाती है जिनको लम्बी अवधि के सेवाकाल के कोर्स के प्रतिभागियों को पढ़ाई हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह शोध रिपोर्ट का संग्रह शोध कार्य करने वाले पुलिस के उन अधिकारियों के लिए बहुत लाभदायक है जो फील्ड में कार्य करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मुख्यालय द्वारा साइबर अपराध पर दिया गया एक बड़ा शोध कार्य इस अकादमी के शोध कार्य में एक मील के पत्थर के समान महत्वपूर्ण है।

C.D.T.S.

PTS Kherwara, Udaipur

यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक अत्यंत प्रतिष्ठित केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है, जो पुलिस अधिकारियों में वैज्ञानिक अनुसंधान (Scientific Investigation) और अन्वेषण कौशल (Detective Skills) का विकास करता है।

1. नामकरण और ऐतिहासिक विकासक्रम (Historical Evolution)

- स्थापना (1956): स्वतंत्रता के बाद भारत में अपराधों की प्रकृति बदलने लगी। पुलिस को पारंपरिक लाठी–गोली से अलग वैज्ञानिक तरीकों से जांच सिखाने के लिए 1956 में सबसे पहले कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई।
- गोरे समिति की सिफारिश (1970): पुलिस प्रशिक्षण पर बनी श्गोरे समितिश ने देश में जांच के स्तर को सुधारने के लिए ऐसे और अधिक संस्थानों को खोलने और सुदृढ़ करने की सिफारिश की थी।
- संस्थान का दर्जा (2017): गृह मंत्रालय (MHA) के 24 अक्टूबर 2017 के आदेश के अनुसार, इसका नाम Central Detective Training School (CDTS) से बदलकर Central Detective Training Institute (CDTI) कर दिया गया। यह बदलाव इसके बढ़ते हुए अकादमिक स्तर और आधुनिक प्रशिक्षण क्षमता को दर्शाता है।
-
- **2. प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा (Administrative Setup)**
- मूल मंत्रालयरू भारत सरकार का गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA)।
- शीर्ष नियंत्रण ब्यूरोरू यह सीधे BPR–D (Bureau of Police Research and Development – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो) के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण में कार्य करता है।
- संस्थान का नेतृत्व: प्रत्येक CDTI केंद्र का नेतृत्व एक निदेशक (Director) करते हैं, जो आमतौर पर पुलिस उप–महानिरीक्षक (DIG) या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रैंक के अनुभवी आईपीएस (IPS) अधिकारी होते हैं।

3. कानूनी संदर्भ और नया पाठ्यक्रम (Legal Framework – New Syllabus)

इनडोर क्लास में प्रशिक्षुओं को यह बताना अनिवार्य है कि ब्क्ज्प् वर्तमान में कानून के किस बदलाव पर काम कर रहा है:

- नया कानून प्रशिक्षण (BNS, BNSS, BSA): देश में नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) कृके लागू होने के बाद, CDTI का मुख्य फोकस पुलिस अधिकारियों को इन कानूनों के व्यावहारिक और तकनीकी पहलुओं का प्रशिक्षण देना है।
- साक्ष्य संग्रहण की शक्तियां (Under BSA): नए कानून में फॉरेंसिक साक्ष्यों (जैसे अनिवार्य वीडियोग्राफी, डिजिटल साक्ष्य) को अत्यधिक महत्व दिया गया है। CDTI पुलिस अधिकारियों को यह सिखाता है कि बिना किसी तकनीकी चूक के घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य कैसे संकलित किए जाएं, ताकि न्यायालय में केस मजबूत रहे।

4. देश में स्थित विभिन्न केंद्र (CDTI Locations across India)

वर्तमान में भारत में 6 क्रियाशील केंद्र हैं, जो अपने–अपने अधिकार क्षेत्र के राज्यों की पुलिस को प्रशिक्षित करते हैं:

PTS Kherwara, Udaipur

केंद्र (Location)	स्थापना वर्ष	मुख्य फोकस / विशेषता
1. कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	1956	देश का पहला और सबसे पुराना केंद्र।
2. हैदराबाद (तेलंगाना)	1964	दक्षिण भारतीय राज्यों के पुलिस बलों के लिए प्रमुख केंद्र।
3. चंडीगढ़	1973	उत्तरी राज्यों की पुलिस और आधुनिक साइबर फॉरेंसिक लैब।
4. गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	2012	Centre of Excellence: इसे 'आतंकवाद विरोध'(Counter Terrorism)और 'आतंकवादी वित्तपोषण' की जांच में विशेषज्ञता प्राप्त है।
5. जयपुर (राजस्थान)	2012	इसकी स्थापना 16 जनवरी 2012 को हुई। यह मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा के पुलिस अधिकारियों व अभियोजकों को प्रशिक्षित करता है।
6. बेंगलुरु (कर्नाटक)	2021	सबसे नया चालू केंद्र, जो आधुनिक फॉरेंसिक टूल्स और डेटा विश्लेषण पर केंद्रित है।

N.I.C.F.S.

राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान (NICFS)

इसका पूरा नाम LNJN NICFS (Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science) है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) के विभिन्न अंगों–पुलिस, न्यायपालिका, फॉरेंसिक वैज्ञानिक और सुधार गृहों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला भारत का एकमात्र सर्वोच्च शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान है।

1. स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Evolution)

- स्थापना (1972): भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देश में अपराधशास्त्र (Criminology) और फॉरेंसिक विज्ञान (Forensic Science) के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए 1972 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई।
- नाम परिवर्तन (2003): वर्ष 2003 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सम्मान में इस संस्थान का नाम बदलकर 'लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान' (LNJN NICFS) कर दिया गया।
- विश्वविद्यालय से संबद्धता: वर्तमान में यह संस्थान राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU), गांधीनगर के दिल्ली परिसर (Delhi Campus) के रूप में कार्य कर रहा है, जो इसे और अधिक अकादमिक मजबूती प्रदान करता है।

2. प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा (Administrative Setup)

- मूल मंत्रालय: भारत सरकार का गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs & MHA)।

pts Kherwara, Udaipur

- संस्थान का नेतृत्व: इस संस्थान का नेतृत्व एक निदेशक (Director) करते हैं, जो आमतौर पर महानिरीक्षक (IG) या वरिष्ठ आईपीएस (IPS) रैंक के अधिकारी अथवा एक ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ वैज्ञानिक होते हैं।
- विशिष्टता: यह देश का एकमात्र ऐसा मंच है जहां पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट/न्यायाधीश, सरकारी अभियोजक (Prosecutors) और फॉरेंसिक विशेषज्ञ एक ही क्लास में बैठकर एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

3. नए कानून (BNS, BNSS, BSA) और संस्थान की भूमिका

- वैज्ञानिक साक्ष्यों का अनिवार्य क्रियान्वयन: नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य (Forensic Evidence) का संकलन अनिवार्य कर दिया गया है।
- व्यावहारिक प्रशिक्षण: NICFS पुलिस अधिकारियों और जांचकर्ताओं को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के नए प्रावधानों के अनुसार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक और जैविक साक्ष्यों को कानूनी रूप से मान्य (Admissible) बनाने का गहन तकनीकी प्रशिक्षण दे रहा है।

4. मुख्य उद्देश्य और कार्य (Mandate – Objectives)

संस्थान के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है:

(A) अपराधशास्त्र खंड (Criminology Division)

यह अपराध के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर केंद्रित है:

- अपराध के कारणों का अध्ययन: समाज में अपराध क्यों बढ़ते हैं और अपराधियों की मानसिक स्थिति (Criminal Psychology) क्या होती है, इस पर शोध करना।
- पीड़ित शास्त्र (Victimology): अपराध से पीड़ित व्यक्तियों (विशेषकर महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्गों) के पुनर्वास और अधिकारों पर पुलिस को संवेदनशील बनाना।
- सुधारात्मक प्रशासन: जेलों और बाल सुधार गृहों (Juvenile Home) में कैदियों के सुधार और उनके मानवाधिकारों के संरक्षण पर नीतियां बनाना।

यह अपराध स्थल (Crime Scene) पर वैज्ञानिक तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित है:

- डीएनए प्रोफाइलिंग (DNA Profiling): जघन्य अपराधों (जैसे बलात्कार और हत्या) में जैविक साक्ष्यों (रक्त, वीर्य, बाल) का वैज्ञानिक विश्लेषण।
- दस्तावेज परीक्षा (Questioned Documents): जाली वसीयत, फर्जी चेक, हस्ताक्षरों की जालसाजी और जाली नोटों (FICN) की पहचान करना।
- फिंगरप्रिंट और बैलिस्टिक्स: उंगलियों के निशान उठाना और गोलियों/हथियारों (Ballistic) की फॉरेंसिक जांच।
- डिजिटल फॉरेंसिक: साइबर हमलों, मोबाइल फॉरेंसिक और कंप्यूटर डेटा विश्लेषण की आधुनिक तकनीकें सिखाना।

Central Forensic Science Laboratory
केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला

Piskhelwara, Udaipur

यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली देश की सर्वोच्च वैज्ञानिक अनुसंधान और साक्ष्य विश्लेषण प्रयोगशाला है। इसका मुख्य कार्य स्थानीय पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों (जैसे CBI, NIA, सर्विलांस विंग) और न्यायालयों द्वारा भेजे गए जटिल भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच करना और प्रामाणिक रिपोर्ट तैयार करना है।

1. स्थापना और प्रशासनिक ढांचा (Administrative Setup)

- मूल मंत्रालय: भारत सरकार का गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs & MHA)।
- शीर्ष नियंत्रण ब्यूरो: देश की सभी CFSL प्रयोगशालाएं सीधे DFSS (Directorate of Forensic Science Services – फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती हैं।
- स्थापना का उद्देश्य: राज्य पुलिस की फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं (FSL) पर बढ़ते बोझ को कम करना और जटिल/राष्ट्रीय महत्व के आपराधिक मामलों में विश्वस्तरीय वैज्ञानिक विश्लेषण प्रदान करना।

2. भारत में CFSL के विभिन्न केंद्र (CFSL Locations across India)

वर्तमान में भारत में 7 केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (CFSL) कार्यरत हैं। इनमें से एक प्रयोगशाला विशेष रूप से CBI के नियंत्रण में है:

- CFSL नई दिल्ली (CBI): यह प्रयोगशाला विशेष रूप से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है और दिल्ली उच्च न्यायालय व देश के अन्य जटिल मामलों की जांच करती है।
- CFSL कोलकाता (पश्चिम बंगाल): यह देश की सबसे पुरानी फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं में से एक है।
- CFSL हैदराबाद (तेलंगाना): इसे रासायनिक और जैविक साक्ष्यों की जांच में महारत हासिल है।
- CFSL चंडीगढ़: यह साइबर फॉरेंसिक और फिजिकल साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है।
- CFSL गुवाहाटी (असम): पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- CFSL भोपाल (मध्य प्रदेश): मध्य भारत के पुलिस बलों और जांच एजेंसियों के सहयोग के लिए।
- CFSL पुणे (महाराष्ट्र): पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के लिए अत्याधुनिक फॉरेंसिक जांच केंद्र।

3. नए कानूनों (BNS, BNSS, BSA) में CFSL का महत्व

अनिवार्य फॉरेंसिक जांच (Section 176 BNSS): नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत प्रावधान किया गया है कि जिन अपराधों में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, वहां घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम का जाना और साक्ष्य संकलित करना अनिवार्य है। इस नियम के बाद CFSL और राज्य FSL की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

डिजिटल साक्ष्यों की प्रामाणिकता (Under BSA): भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में कड़े नियमों के साथ स्वीकार किया गया है। CFSL की श्साइबर फॉरेंसिक विंगश इन डिजिटल साक्ष्यों के लिए धारा 63 BSA (जो

PTS Kherwara, Udaipur

पुराने IT Act और CrPC के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के समकक्ष है) के तहत आवश्यक वैज्ञानिक प्रमाण पत्र (Certificate) जारी करती है।

4. प्रयोगशाला के मुख्य वैज्ञानिक प्रभाग (Core Forensic Divisions)

(A) जीव विज्ञान और डीएनए प्रभाग (Biology & DNA Division)

कार्यः घटनास्थल से मिले रक्त (Blood), वीर्य (Semen), बाल (Hair), लार (Saliva) और कंकाल के अवशेषों की जांच करना।

उपयोग: बलात्कार (Rape), हत्या (Murder) और अज्ञात शवों की पहचान के मामलों में DNA प्रोफाइलिंग के जरिए आरोपी की अकाट्य उपस्थिति सिद्ध करना।

(B) रसायन और विष विज्ञान प्रभाग (Chemistry – Toxicology Division)

कार्य : संदिग्ध रसायनों, नशीले पदार्थों (Narcotics/NDPS Act के तहत), जहरीले पदार्थों (Poison) और शराब (Excise Act के तहत) का विश्लेषण।

उपयोग: जहर से हुई मौत (Poisoning) या अवैध ड्रग्स की जब्ती के मामलों में रासायनिक संरचना स्पष्ट करना।

(C) बैलिस्टिक और भौतिकी प्रभाग (Ballistics – Physics Division)

कार्य : अपराध में प्रयुक्त हथियारों (Firearms), कारतूसों, गोलियों के खोकों और कांच के टूटने के पैटर्न या पेंट मार्क्स की जांच।

उपयोग: Arms Act के तहत यह साबित करना कि बरामद गोली उसी विशेष हथियार से चलाई गई थी या नहीं।

(D) प्रश्नगत दस्तावेज प्रभाग (Questioned Documents Division)

कार्य : हस्तलेखन (Handwriting), हस्ताक्षरों का मिलान, जाली दस्तावेज, जाली स्टांप पेपर और जाली नोटों (FICN) की जांच।

उपयोग: धोखाधड़ी (Forgery), वित्तीय घोटालों और फिरौती के पत्रों (Ransom Notes) की वैज्ञानिक जांच।

(E) साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक प्रभाग (Cyber Forensics)

कार्य : मोबाइल फोन, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage), ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता की जांच करना और श्क्लोन इमेजश तैयार करना।

उपयोग: साइबर अपराधों, ब्लैकमेलिंग और डेटा चोरी के मामलों में डिजिटल कड़ियों को जोड़ना।

Central Finger print Bureau
केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो

[विषय: वैज्ञानिक अनुसंधान एवं तकनीकी पुलिसिंग]

- **ऐतिहासिक गौरव (Historical Legacy) — "विश्व को भारत की देन"**

क्लास की शुरुआत में जवानों को यह बताना जरूरी है कि फिंगरप्रिंट विज्ञान में भारत विश्व का गुरु रहा है:

PTS Kherwara, Udaipur

विश्व का प्रथम ब्यूरो (1897): जब पूरी दुनिया अपराध की जांच के लिए पारंपरिक तरीकों पर निर्भर थी, तब 12 जून 1897 को कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) के राइटर्स बिल्डिंग में विश्व के पहले 'फिंगरप्रिंट ब्यूरो' की स्थापना हुई थी।

हेनरी वर्गीकरण प्रणाली (Henry Classification System): इस विज्ञान को पूरी दुनिया में मान्यता दिलाने का श्रेय दो भारतीय पुलिस अधिकारियोंकृखान बहादुर अजीजुल हक और राय बहादुर हेमचंद्र बोस को जाता है। उन्होंने ही वह गणितीय सूत्र खोजा था जिससे लाखों फिंगरप्रिंट्स को वर्गीकृत किया जा सके।

केंद्रीय ब्यूरो का सफर: स्वतंत्रता के बाद, अंतर–राज्यीय अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए 1956 में कोलकाता में CFPB का पुनर्गठन हुआ और 1973 में इसे नई दिल्ली लाया गया।

- **प्रशासनिक कमान (Administrative Command)**

मंत्रालय: गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार।

मूल संस्था: यह ब्यूरो NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) के तकनीकी विंग के रूप में काम करता है।

अधिकार क्षेत्र: इसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है, और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल (INTERPOL) के लिए भारत की शफिंगरप्रिंट नेशनल सेंट्रल अथॉरिटीश के रूप में कार्य करता है।

Army(भारतीय सेना)

विषय: राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून–व्यवस्था एवं अंतः–एजेंसी समन्वय,

- **परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Introduction – Legacy)**
    - गौरवशाली इतिहासरू भारतीय सेना का औपचारिक गठन 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश राज के दौरान हुआ था, हालांकि इसकी जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसीडेंसी सेनाओं से जुड़ी हैं।
    - सर्वोच्च ध्येय वाक्य (Motto): "सेवा परमो धर्मः" (Service Before Self)।
    - वैश्विक स्थान: भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय (Active) सेना है और पूरी तरह से एक स्वैच्छिक बल है (यानी भारत में अनिवार्य सैन्य सेवा नहीं है)।
- **प्रशासनिक एवं कमांड ढांचा (Command – Organizational Structure)**

पुलिस अधिकारियों को सेना की संरचना और रैंक व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि फील्ड में समन्वय के समय शिष्टाचार (Protocol) का पालन किया जा सके:

- सर्वोच्च कमांडर: भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं।
- मंत्रालय: यह सीधे रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence – MoD) के अधीन कार्य करती है।
- शीर्ष कमान: सेना के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी थल सेनाध्यक्ष (Chief of the Army Staff – COAS) होते हैं, जो जनरल (General) रैंक के होते हैं। इसके ऊपर तीनों सेनाओं के समन्वय के लिए CDS (Chief of Defence Staff) का पद होता है।
- क्षेत्रीय कमांड (Operational Commands): भारतीय सेना प्रशासनिक रूप से 7 कमांड में बंटी है:

कमांड	**मुख्यालय (Headquarters)**
1. उत्तरी कमान (Northern Command)	उधमपुर (जम्मू–कश्मीर)

prs Kherwara, Udaipur

2. पश्चिमी कमान (Western Command)	चंडीमंदिर (हरियाणा)
3. पूर्वी कमान (Eastern Command)	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
4. दक्षिणी कमान (Southern Command)	पुणे (महाराष्ट्र)
5. मध्य कमान (Central Command)	लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
6. दक्षिण–पश्चिमी कमान (South–Western Command)	जयपुर (राजस्थान) (राजस्थान पुलिस परीक्षाओं के लिए अति–महत्वपूर्ण)
7. प्रशिक्षण कमान (ARTRAC)	शिमला (हिमाचल प्रदेश)

- **नागरिक प्रशासन की सहायता (Aid to Civil Authorities)**

उस्ताद की टिप: क्लास को समझाएं कि पुलिस और सेना का सामना कब और क्यों होता है। भारतीय सेना का प्राथमिक कार्य बाहरी खतरों से देश की रक्षा करना है, लेकिन CrPC/BNSS के तहत सेना नागरिक प्रशासन (पुलिस) की मदद भी करती है:

- असाधारण कानून–व्यवस्था (Dreaded Riots/Violent Unrest): जब स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बल (CAPFs) उग्र भीड़ या दंगों को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब जिला मजिस्ट्रेट (DM) के लिखित अनुरोध पर सेना को "फ्लैग मार्च" या कानून–व्यवस्था की बहाली के लिए बुलाया जाता है। (नए कानून BNSS की प्रासंगिक धाराओं के तहत जिला प्रशासन को यह शक्ति प्राप्त है)।
- आपदा प्रबंधन (Disaster Relief): बाढ़, भूकंप, ट्रेन दुर्घटना या बोरवेल में बच्चों के गिरने जैसी आपातकालीन स्थितियों में सेना (विशेषकर इंजीनियर्स कोर) राहत और बचाव कार्य के लिए पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है।
- आतंकवाद विरोधी अभियान (Counter Terrorism): जम्मू–कश्मीर या पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में खुफिया इनपुट के आधार पर स्थानीय पुलिस की विशेष विंग (जैसे SOG) और सेना मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाती हैं।
- **पुलिस विवेचक (IO) के लिए कड़े कानूनी प्रावधान (Legal Provisions for Police)**
- एक पुलिस अधिकारी के रूप में, सेना के जवानों या अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते समय विशेष नियमों का पालन करना होता है:
- गिरफ्तारी के नियम (Army Act, 1950): यदि सेना का कोई जवान छुट्टी के दौरान या कार्यक्षेत्र में किसी सामान्य अपराध (जैसे मारपीट, चोरी) में नामजद होता है, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसकी संबंधित यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर (CO) को आधिकारिक सूचना देना अनिवार्य है।
- सैन्य अदालत (Court Martial) का क्षेत्राधिकार: सेना के जवानों पर सामान्य अदालतों के अलावा उनकी अपनी सैन्य अदालत (ब्नतज डंतजपंस) में मुकदमा चलाने का विशेष प्रावधान है। गंभीर मामलों में सेना पुलिस से आरोपी जवान की कस्टडी अपने अधिकार में ले सकती है।
- सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA): देश के जिन अशांत क्षेत्रों (Disturbed Areas) में AFSPA लागू है, वहां सेना के जवानों को उग्रवाद से निपटने के लिए विशेष

PTS Kherwara, Udaipur

कानूनी संरक्षण प्राप्त है। वहां केंद्र सरकार की अनुमति के बिना सेना के जवानों पर सीधे पुलिस केस या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

➢ **पुलिस–सेना समन्वय: व्यावहारिक फील्ड गाइड (Field Coordination)**

- रेड रडार और मिलिट्री पुलिस (CMP): सेना के पास अपनी आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस (CMP) होती है। फील्ड में यदि सेना की गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है या कोई जवान अनुशासनहीनता करता है, तो स्थानीय पुलिस को तुरंत नजदीकी स्टेशन मुख्यालय या मिलिट्री पुलिस (CMP) से संपर्क करना चाहिए।
- सैनिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता: थानों में कई बार सेवारत सैनिकों या उनके परिवारों के भूमि विवाद/पारिवारिक विवाद के मामले आते हैं। गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के कड़े निर्देश हैं कि देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के आवेदनों पर प्राथमिकता (Priority) के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

भारतीय नौसेना (Indian Navy)

परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Introduction – Legacy)

- **गौरवशाली इतिहास:** भारतीय नौसेना की आधुनिक जड़ें 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन बल से जुड़ी हैं। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को इसका पुनर्गठन हुआ और इसे 'रॉयल इंडियन नेवी' से 'भारतीय नौसेना' नाम दिया गया।
- **सर्वोच्च ध्येय वाक्य (Motto):** "शं नो वरुणः" (May the Lord of Water be auspicious unto us — जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी हों)।
- **नौसेना दिवस:** भारत में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के कराची बंदरगाह पर किए गए ऐतिहासिक और सफल 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' (Operation Trident) की याद में मनाया जाता है।

➢ **प्रशासनिक एवं कमांड ढांचा (Command – Organizational Structure)**

- सर्वोच्च कमांडर: भारत के राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं।
- मंत्रालय: यह सीधे रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence – MoD) के अधीन कार्य करती है।
- शीर्ष कमान: नौसेना के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी नौसेनाध्यक्ष (Chief of the Naval Staff – CNS) होते हैं, जो एडमिरल (Admiral) रैंक के होते हैं।
- क्षेत्रीय कमांड (Operational Commands): भारतीय नौसेना प्रशासनिक और रणनीतिक रूप से 3 कमांड में बंटी है:

कमांड	**मुख्यालय (Headquarters)**	**जिम्मेदारी क्षेत्र**
1. पश्चिमी नौसेना कमान	मुंबई (महाराष्ट्र)	अरब सागर और पश्चिमी समुद्री सीमा
2. पूर्वी नौसेना कमान	विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)	बंगाल की खाड़ी और पूर्वी समुद्री सीमा
3. दक्षिणी नौसेना कमान	कोच्चि (केरल)	मुख्य रूप से प्रशिक्षण

PTS Kherwara, Udaipur

		(Training Command)

विशेष नोट (त्रि–सेवा कमान): अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पोर्ट ब्लेयर) में भारत की एकमात्र संयुक्त थिएटर कमान (Joint Theatre Command) है, जहाँ थल सेना, वायु सेना और नौसेना एक साथ मिलकर काम करती हैं।

➢ **पुलिस और नौसेना का आपसी समन्वय तटीय सुरक्षा (Coastal Security Architecture)**

उस्ताद की टिप: क्लास को समझाएं कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत की समुद्री और तटीय सुरक्षा प्रणाली में आमूल–चूल बदलाव किए गए। इस हमले के आतंकवादी समुद्र के रास्ते ही भारत में घुसे थे। इसके बाद भारत सरकार ने तीन–स्तरीय (3–Tier) सुरक्षा घेरा तैयार किया:

- ✔ प्रथम घेरा (0 से 5 नॉटिकल मील): यह मुख्य रूप से तटीय पुलिस (Coastal Police) यानी संबंधित राज्यों की मरीन पुलिस के पास होता है। थानों के पुलिसकर्मियों को तटीय थानों (Marine Police Stations) में तैनात किया जाता है जो छोटी गश्ती नौकाओं (Speed Boats) से निगरानी रखते हैं।
- ✔ द्वितीय घेरा (5 से 20 नॉटिकल मील): इस क्षेत्र की रखवाली भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast Guard – ICG) करता है, जो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय में काम करता है।
- ✔ तृतीय/बाहरी घेरा (20 से 200 नॉटिकल मील और उससे आगे): गहरे समुद्र (High Seas) और अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा (EEZ – EÛclusive Economic Zone) की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारतीय नौसेना (Indian Navy) की होती है।

➢ **पुलिस विवेचक (IO) और समुद्री क्षेत्राधिकार (Maritime Jurisdiction)**

तटीय राज्यों (जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल) की पुलिस के लिए समुद्री कानूनों को समझना इनडोर क्लास का सबसे तकनीकी हिस्सा है:

- ✔ क्षेत्रीय जल (Territorial Waters): भारत के तट आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील (लगभग 22 किमी) तक भारत का संप्रभु क्षेत्र है। इस क्षेत्र में यदि किसी विदेशी या भारतीय जहाज पर कोई अपराध (जैसे हत्या, तस्करी) होता है, तो स्थानीय तटीय पुलिस थाना उस अपराध की FIR दर्ज करने और विवेचना (Investigation) करने के लिए पूर्णतः अधिकृत है।
- ✔ विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ): तट से 200 नॉटिकल मील तक भारत का आर्थिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में या इससे बाहर गहरे समुद्र में यदि नौसेना किसी संदिग्ध जहाज, ड्रग्स तस्करों या समुद्री डाकुओं (Pirates) को पकड़ती है, तो वे सीधे मुकदमा नहीं चला सकते।
- ✔ कस्टडी सौंपना: नौसेना या कोस्ट गार्ड पकड़े गए अपराधियों, हथियारों या नशीले पदार्थों को निकटतम तटीय पुलिस थाने (Marine Police Station) या केंद्रीय जांच एजेंसी (जैसे NIA/CBI) को सौंपती है। इसके बाद पुलिस BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) और BNS (भारतीय न्याय संहिता) के तहत वैधानिक कानूनी कार्यवाही (Arrest, Seizure – Charge Sheet) करती है।

prs Kherwara, Udaipur

➢ **नौसेना की विशेष विंगरू मारकोस (MARCOS)**

- **परिचय:** इसे Marine Commando Force (MCF) कहा जाता है। यह भारतीय नौसेना की एक अत्यंत घातक और गुप्त स्पेशल फोर्सेज विंग है।
- **कार्य :** इन्हें समुद्र, हवा और जमीनकृतीनों मोर्चों पर काम करने के लिए अत्यधिक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **पुलिस के साथ समन्वय:** बंधक संकट, समुद्री आतंकवाद या संवेदनशील तटीय प्रतिष्ठानों (जैसे बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र या तेल रिग्स) पर बड़े हमले के समय स्थानीय पुलिस और कमांडो बल (जैसे NSG) के साथ मिलकर जॉइंट काउंटर–टेरर ऑपरेशन में मारकोस को तैनात किया जाता है।

भारतीय वायु सेना (Indian Air Force)

परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Introduction – Legacy)

- स्थापना: भारतीय वायु सेना की आधिकारिक स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। शुरुआत में इसे 'रॉयल इंडियन एयर फोर्स' कहा जाता था।
- स्वतंत्रता के बाद: 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना, तो इसके नाम से 'रॉयल' शब्द हटाकर इसे 'भारतीय वायु सेना' कर दिया गया।
- सर्वोच्च ध्येय वाक्य (Motto): "नभः स्पृशं दीप्तम्" (Touch the Sky with Glory – वैभव के साथ आकाश को छुओ)। यह वाक्य भगवद्गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है।
- वायु सेना दिवस: प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को देश में वायु सेना दिवस मनाया जाता है।
- वैश्विक स्थान: परिचालन क्षमता और बेड़े के आकार के मामले में भारतीय वायु सेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायु सेना है।

➢ **प्रशासनिक एवं कमांड ढांचा (Command – Organizational Structure)**

- सर्वोच्च कमांडर: भारत के राष्ट्रपति वायु सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं।
- मंत्रालय: यह सीधे रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence – MoD) के अधीन कार्य करती है।
- शीर्ष कमान: वायु सेना के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी वायु सेनाध्यक्ष (Chief of the Air Staff – CAS) होते हैं, जो एयर चीफ मार्शल (Air Chief Marshal) रैंक के होते हैं।
- क्षेत्रीय कमांड (Operational Command): भारतीय वायु सेना प्रशासनिक और रणनीतिक रूप से 7 कमांड (5 परिचालन, 1 रखरखाव और 1 प्रशिक्षण) में बंटी है:

कमांड	**मुख्यालय (Headquarters)**
1. पश्चिमी वायु कमान	नई दिल्ली
2. पूर्वी वायु कमान	शिलांग (मेघालय)
3. केंद्रीय वायु कमान	प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)
4. दक्षिणी वायु कमान	तिरुवनंतपुरम (केरल)
5. दक्षिण–पश्चिमी वायु कमान	गांधीनगर (गुजरात) (इसके परिचालन क्षेत्र में राजस्थान का हवाई क्षेत्र भी शामिल है)

PTS Kherwara, Udaipur

6. प्रशिक्षण कमान	(Training Command)बेंगलुरु (कर्नाटक)
7. रखरखाव कमान	(Maintenance Command)नागपुर (महाराष्ट्र)

पुलिस और वायु सेना का आपसी समन्वय (Police–Air Force Coordination)

उस्ताद की टिप: क्लास को समझाएं कि वायु सेना केवल युद्ध के समय ही काम नहीं आती, बल्कि आंतरिक सुरक्षा और शांति काल में स्थानीय पुलिस के साथ इसके कई महत्वपूर्ण व्यावहारिक जुड़ाव (Practical Interfaces) होते हैं:

- वीआईपी / वीवीआईपी सुरक्षा (VVIP Movement – Security): भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की हवाई यात्राओं के लिए वायु सेना के विशेष विमान विंग (Communication Squadron) का उपयोग किया जाता है। जब ये वीवीआईपी किसी राज्य के हवाई अड्डे या अस्थायी हेलीपैड पर उतरते हैं, तो वायु सेना के अधिकारी और स्थानीय पुलिस की विशेष सुरक्षा शाखा (Security Wing) मिलकर 'अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा घेरा' (Inner – Outer Security Cordon) तैयार करते हैं।
- कानून–व्यवस्था और सुरक्षा बलों का एयरलिफ्टरू देश के किसी हिस्से में अचानक भड़के दंगों, उग्रवाद या चुनाव के समय बड़ी संख्या में पुलिस बल या अर्धसैनिक बलों (CAPFs) को तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए वायु सेना के भारी परिवहन विमानों (जैसे C–17 ग्लोबमास्टर, C–130J सुपर हरक्यूलिस) का उपयोग किया जाता है।
- गंभीर आपदाओं में राहत कार्य (Operation Rahat): बाढ़, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन या केदारनाथ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय दुर्गम स्थानों पर फंसे नागरिकों को एयरलिफ्ट करने और भोजन सामग्री गिराने (Air&dropping) के लिए वायु सेना के हेलीकॉप्टरों (जैसे MI–17 V5, चिनूक) को तैनात किया जाता है, जहां जमीनी स्तर पर स्थानीय पुलिस मार्ग और क्राउड मैनेजमेंट संभालती है।

पुलिस विवेचक के लिए तकनीकी व कानूनी पहलू

पुलिस अधिकारियों को हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और अपराधों से जुड़े निम्नलिखित नियमों का ज्ञान होना अनिवार्य है:

- वायु सेना स्टेशनों की सुरक्षा– देश के सभी वायु सेना स्टेशन (Air Force Stations) और सैन्य हवाई अड्डे प्रतिबंधित क्षेत्र (Prohibited Areas) होते हैं। यदि कोई नागरिक या संदिग्ध व्यक्ति अनधिकृत रूप से दीवार फांदकर अंदर घुसता है या ड्रोन उड़ाता है, तो वायु सेना के सुरक्षाकर्मी उसे हिरासत में ले सकते हैं। लेकिन वे उस पर मुकदमा नहीं चला सकतेय वे उसे आधिकारिक मेमो के साथ स्थानीय पुलिस थाने को सौंपते हैं। इसके बाद पुलिस BNS (भारतीय न्याय संहिता) और Official Secrets Act (शासकीय गुप्त बात अधिनियम) के तहत FIR दर्ज कर विवेचना करती है।
- विमान अपहरण (Aircraft Hijacking): यदि भारतीय हवाई क्षेत्र में किसी नागरिक या सैन्य विमान का अपहरण होता है, तो वायु सेना के लड़ाकू विमान (जैसे राफेल, सुखोई–30) उस विमान को घेरकर मजबूरन निकटतम सुरक्षित हवाई अड्डे पर उतारते हैं। विमान के जमीन पर उतरते ही बंधक संकट से निपटने की कमान NSG (कमांडो) और स्थानीय पुलिस संभालती है।

PTS Kherwara, Udaipur

- ✔ ड्रोन नियमावली (Drone Rule): वर्तमान में ड्रोन और यूएवी (UAV) का अवैध उपयोग आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वायु सेना के राडार हवाई क्षेत्र की निगरानी करते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर अवैध ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनके उपकरण जब्त करने की शक्ति स्थानीय पुलिस के पास होती है।

➢ **वायु सेना की विशेष विंग: गरुड़ कमांडो (Garud Commando Force)**

- ✔ **स्थापना:** वर्ष 2004 में वायु सेना के संवेदनशील हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों को आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए इस विशेष कमांडो बल का गठन किया गया था।
- ✔ **मुख्य कार्य:** हवाई अड्डों की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान (Counter–Terrorism), युद्ध के समय दुश्मन के इलाके में फंसे पायलटों को सुरक्षित निकालना (Search and Rescue)।
- ✔ **पुलिस समन्वय:** पठानकोट एयरबेस हमले जैसी आपातकालीन स्थितियों में गरुड़ कमांडो, थल सेना और स्थानीय पुलिस की क्विक रिएक्शन टीमें (QRT) मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाती हैं।

लोकल आर्मी (Local Army / LMA)

पुलिस प्रशासनिक और व्यावहारिक कार्यप्रणाली में "लोकल आर्मी" शब्द के दो मुख्य अर्थ होते हैं:

संदर्भ 1: स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (Local Military Authority – LMA)

जब पुलिस या जिला प्रशासन किसी जिले, छावनी (Cantonment) या मिलिट्री स्टेशन के स्तर पर सेना से समन्वय करता है, तो उसे कानूनी और आधिकारिक भाषा में स्ड। (स्थानीय सैन्य प्राधिकरण) कहा जाता है।

➢ **प्रशासनिक ढांचा व नेतृत्व**

- ✔ स्टेशन कमांडर: किसी भी शहर या जिले में स्थित सैन्य छावनी (जैसे जयपुर कैंट, जोधपुर कैंट) का जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी (обычно ब्रिगेडियर या कर्नल रैंक) होता है, उसे 'स्टेशन कमांडर' कहा जाता है। वही उस क्षेत्र का LMA होता है।
- ✔ पुलिस–प्रशासनिक संपर्क: जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक किसी भी आपातकालीन स्थिति में सेना के जिस विंग से संपर्क करते हैं, वह LMA ही होता है।

➢ **पुलिस और LMA का आपसी समन्वय (Field Interface)**

- ✔ फ्लैग मार्च और दंगा नियंत्रण (Under BNSS): जिले में अत्यंत गंभीर सांप्रदायिक तनाव या दंगे होने पर जब पुलिस बल कम पड़ता है, तब क्ड और SP स्थानीय सैन्य प्राधिकरण (LMA) के स्टेशन कमांडर से लिखित अनुरोध कर सेना की टुकड़ी को 'फ्लैग मार्च' के लिए बुलाते हैं।
- ✔ अतिक्रमण और सुरक्षा एनओसी (NOC): सैन्य क्षेत्रों या छावनी की दीवारों के आसपास (आमतौर पर 100 से 500 मीटर के भीतर) यदि कोई नागरिक अवैध निर्माण करता है, तो LMA स्थानीय पुलिस थानों को सूचित करता है। ऐसी जमीनों पर निर्माण के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन को LMA से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होता है।

PTS Kherwara, Udaipur

- ✔ आपदा राहत (Disaster Relief): स्थानीय स्तर पर अचानक आई बाढ़, आगजनी या बोरवेल में बच्चे के गिरने जैसी घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए LMA तुरंत अपनी 'इंजीनियरिंग विंग' और जवानों को पुलिस की मदद के लिए भेजता है।

संदर्भ 2: प्रादेशिक सेना (Territorial Army – TA) — "सिटिजन आर्मी"
यदि "लोकल आर्मी" शब्द का प्रयोग किसी सैन्य बल के संदर्भ में किया जा रहा है, तो इसका सीधा अर्थ प्रादेशिक सेना (Territorial Army) से होता है। इसे आम बोलचाल में 'लोकल आर्मी' या 'नागरिकों की सेना' भी कहा जाता है।

➢ **परिचय एवं स्थापना**

- ✔ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 के तहत इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1949 को की गई थी।
- ✔ स्वरूप: यह भारतीय सेना की एक विशेष स्वैच्छिक और अंशकालिक (Part–time) विंग है। इसमें वे भारतीय नागरिक (Working Professionals) भर्ती होते हैं जो पहले से ही अपने–अपने नागरिक व्यवसायों (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी नौकरी, पुलिस) में कार्यरत हैं। वे वर्ष में केवल 2 महीने के लिए वर्दी पहनकर सेना की ट्रेनिंग और ड्यूटी करते हैं।

➢ **मुख्य कार्य और पुलिस के लिए महत्व**

- ✔ स्थिर कर्तव्यों से मुक्ति (Static Duties): युद्ध या बड़े संकट के समय जब मुख्य सेना अग्रिम मोर्चों (Borders) पर चली जाती है, तब देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा, छावनियों की रखवाली और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा प्रादेशिक सेना (TA) संभालती है।
- ✔ आवश्यक सेवाओं की बहाली (Essential Services): यदि देश या राज्य में रेलवे, तेल रिफाइनरी या अस्पतालों के कर्मचारी बड़ी हड़ताल कर दें और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाए, तो प्रादेशिक सेना के विशेष तकनीकी दल (जैसे TA Railway Units) उन सेवाओं को चालू रखते हैं। इस दौरान स्थानीय पुलिस इन्हें बाहरी सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

यह स्कूल और कॉलेज स्तर के छात्रों के लिए भारत का एक त्रि–सेवा (Tri–Services) स्वैच्छिक युवा संगठन है, जो भारतीय सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना और वायु सेना) से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में चरित्र, अनुशासन और नेतृत्व की भावना विकसित करना है।

➢ **स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Legacy)**

- ✔ स्थापना: भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (NCC Act, 1948) पारित करके 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना की गई थी।
- ✔ समिति की सिफारिश: इसकी स्थापना एच. एन. कुंजरू समिति (H.N. Kunzru Committee) की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
- ✔ ध्येय वाक्य (Motto): "एकता और अनुशासन" (Unity and Discipline)।

PTS Kherwara, Udaipur

- वैश्विक स्थान: यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन (Largest Uniformed Youth Organization) है।

➢ **प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा (Administrative Command)**

- मूल मंत्रालय: यह सीधे रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence – MoD) के अधीन कार्य करता है।
- शीर्ष नेतृत्व: इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सर्वोच्च प्रभारी महानिदेशक (Director General – DG NCC) होते हैं, जो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल (Lt. General) रैंक के अधिकारी होते हैं।
- प्रादेशिक विभाजन (Directorates): देश स्तर पर इसे 17 निदेशालयों (Directorates) में बांटा गया है। राजस्थान के संदर्भ में 'NCC निदेशालय, राजस्थान' का मुख्यालय जयपुर में स्थित है।

➢ **पुलिस और कानून–व्यवस्था में NCC का व्यावहारिक उपयोग (Police–NCC Interface)**

- उस्ताद की टिप: क्लास को समझाएं कि NCC कैडेट्स कोई सक्रिय सैनिक या पुलिसकर्मी नहीं होते, लेकिन वे पूरी तरह अनुशासित होते हैं। आपातकालीन स्थितियों में स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी सहायता ली जाती है:
- ट्रैफिक रेगुलेशन और क्राउड मैनेजमेंटरू बड़े त्योहारों (जैसे दीपावली, ईद), मेलों या मैराथन के दौरान भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए स्थानीय पुलिस NCC कैडेट्स (विशेषकर सीनियर डिवीजन) की सहायता लेती है।
- राष्ट्रीय त्योहार और वीआईपी सुरक्षा आवरणरू स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की परेडों में पुलिस और सेना के साथ NCC कैडेट्स भी कदमताल करते हैं।
- चुनाव ड्यूटी में पूरक भूमिका: आम चुनावों (Lok Sabha / Vidhan Sabha Elections) के समय जब पुलिस बल की भारी कमी होती है, तब मतदान केंद्रों पर कतारों को व्यवस्थित करने और शांति बनाए रखने के लिए गैर–संवेदनशील बूथों पर पुलिस के मार्गदर्शन में कैडेट्स को तैनात किया जाता है।

➢ **पुलिस भर्ती में NCC कैडेट्स को विशेष लाभ (Bonus Marks in Police Recruitment)**

पुलिस सेवा की परीक्षाओं और इनडोर क्लास के लिए यह व्यावहारिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों (जैसे राजस्थान पुलिस) ने पुलिस बलों में अनुशासित युवाओं को आकर्षित करने के लिए बोनस अंकों का प्रावधान किया है:

- प्रमाण पत्र (Certificates): NCC में तीन स्तर के सर्टिफिकेट होते हैं— A (स्कूल स्तर), B (कॉलेज शुरुआती स्तर) और C (कॉलेज उच्चतम स्तर)।
- बोनस अंक प्रणाली:
- 'C' सर्टिफिकेट धारक: पुलिस सब–इंस्पेक्टर (SI) और कांस्टेबल भर्ती की लिखित/शारीरिक परीक्षाओं में सर्वाधिक बोनस अंक (आमतौर पर कुल अंकों का 5: या निर्धारित नीति अनुसार) दिए जाते हैं।
- 'B' सर्टिफिकेट धारक: मध्यम स्तर के बोनस अंक प्राप्त होते हैं।
- 'A' सर्टिफिकेट धारक: न्यूनतम बोनस अंक दिए जाते हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

- फायदा: चूंकि ये कैडेट पहले से ही ड्रिल (Drill), फायरिंग (Firing), और मैप रीडिंग (Map Reading) सीखे होते हैं, इसलिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स (PTC) में इन्हें बुनियादी कमान जल्दी समझ में आती है।
- आपदा प्रबंधन (Disaster-Relief): कोविड–19 महामारी (जैसे 'एक्सरसाइज एनसीसी योगदान') या प्राकृतिक आपदाओं के समय पुलिस के साथ मिलकर राशन वितरण, राहत शिविरों के प्रबंधन और सूचनाओं के आदान–प्रदान में इनका सराहनीय उपयोग किया जाता है।

- **महत्वपूर्ण अंग और डिवीजन (Wings of NCC)**

यह बल तीन प्रभागों में कार्य करता है जो पुलिस को अलग–अलग क्षेत्रों में सहायता कर सकते हैं:

- सेना विंग (Army Wing): थल सेना के तौर–तरीके और आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण।
- नौसेना विंग (Naval Wing): तटीय थानों (Marine Police) के पास तटीय सुरक्षा और बचाव कार्यों में सहायक।
- वायु सेना विंग (Air Wing): नागरिक हवाई सुरक्षा और एयरो–मॉडलिंग से जुड़े कार्यों का ज्ञान।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (Rastriya Raksha Shakti University)

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस विश्वविद्यालय है। यह सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA) के अधीन संचालित एक स्वायत्त और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (Institution of National Importance) है।

1. स्थापना एवं विकासक्रम (Evolution)

- शुरुआती स्थापना (राज्य स्तर): इसकी स्थापना मूल रूप से वर्ष 2009 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री (वर्तमान प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 'रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी' के रूप में की गई थी।
- केंद्रीय अपग्रेडेशन (2020): भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (Rashtriya Raksha University Act, 2020) पारित करके इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदलकर RRU कर दिया गया।
- ध्येय वाक्य (Motto): "राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि" (National Security is Supreme)।

2. प्रशासनिक मुख्यालय और विस्तार (Campuses)

- मुख्य परिसर (Headquarters): इसका मुख्य 45 एकड़ का अत्याधुनिक ग्रीन कैंपस लावाड़, गांधीनगर (गुजरात) में स्थित है।
- क्षेत्रीय परिसर (Offcampuses): देश की विविध सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके अन्य राज्यों में भी परिसर खोले गए हैं:
- पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश कैंपस (पूर्वोत्तर सीमा सुरक्षा के लिए)।

PTS Kherwara, Udaipur

- ✔ भोपाल, मध्य प्रदेश कैंपस (2025 में स्थापित – मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा और सेंट्रल इंडिया की क्षमता निर्माण के लिए)।
- ✔ जम्मू और कश्मीर कैंपस (काउंटर–इंसर्जेंसी और विशेष पुलिसिंग के लिए)।

3. पुलिसिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा में RRU की मुख्य भूमिका

उस्ताद की टिपरू क्लास को समझाएं कि यह पारंपरिक यूनिवर्सिटीज की तरह सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाती, बल्कि इसका सीधा संबंध स्मार्ट पुलिसिंग (SMART Policing) और आधुनिक अपराधों से निपटने से है:

1. थ्री–टियर ट्रेनिंग मॉडल (Skilling – Upskilling):

- ✔ स्किलिंग (Skilling): सुरक्षा बलों में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को पहले से प्रशिक्षित करना।
- ✔ अपस्किलिंग (Upskilling): सेवारत पुलिस अधिकारियों, आईपीएस (IPS) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों को आधुनिक अपराधों (जैसे साइबर क्राइम, फोरेंसिक इनवेस्टिगेशन) की ट्रेनिंग देना।
- ✔ री–स्किलिंग (Re–skilling): सेवानिवृत्त (Ex–servicemen) फौजियों और पुलिसकर्मियों को नागरिक सुरक्षा क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करना।

2. साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक (Cyber – Forensics): नए आपराधिक कानूनों (BNS, BNSS, BSA) में डिजिटल साक्ष्यों को बहुत महत्व दिया गया है। RRU पुलिस अधिकारियों को डेटा रिकवरी, डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रैक करने और सायबर हमलों से निपटने के लिए 'एम.एससी साइबर सुरक्षा व डिजिटल फोरेंसिक' जैसे कोर्स कराता है।

3. पुलिस छवि और मानवीय पुलिसिंग (Police Image Reforms): हाल ही में (जैसे 2026 की कार्यशालाओं में) RRU ने देशभर के डीजीपी और आईजीपी रैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर "पुलिस छवि और सर्वोत्तम प्रथाओं" पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़कर जनता के अनुकूल पुलिसिंग की जा सके।

4. सशस्त्र बलों से समन्वय: RRU भारतीय नौसेना, थलसेना और वायुसेना के साथ मिलकर तकनीकी नवाचार (Innovation) और रिसर्च पर काम करता है। इसके बोर्ड में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) जैसे शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं।

5. सार्क और वैश्विक प्रशिक्षणरू गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ITEC (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) योजना के तहत, RRU ने दुनिया के 84 से अधिक मित्र देशों के 2,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को आधुनिक पुलिसिंग की ट्रेनिंग दी है।

4. पुलिस भर्ती में RRU के छात्रों को लाभ (Weightage in Recruitment)

- ✔ अतिरिक्त अंक (Bonus Marks): गुजरात पुलिस सहित कई अन्य राज्यों की पुलिस भर्तियों में, RRU से पुलिस साइंस, क्रिमिनोलॉजी या सुरक्षा प्रबंधन में डिग्रीधडिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों को अतिरिक्त बोनस अंक ॅeightage Marks) दिए जाते हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

- तैयार जनशक्ति: यहाँ के पढ़े हुए छात्र सीधे थानों के व्यावहारिक माहौल को समझते हैं, जिससे उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण में कम समय लगता है।

National Forensic Science University
राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) दुनिया का पहला और एकमात्र व्यवहारिक फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है। यह सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA) के अधीन काम करने वाला एक स्वायत्त और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (Institution of National Importance) है।

1. स्थापना एवं विकासक्रम (Evolution)

- पूर्व नाम (राज्य स्तर): इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में गुजरात सरकार द्वारा 'गुजरात फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी' (GFSU) के रूप में की गई थी।
- केंद्रीय अपग्रेडेशन (2020): भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 (NFSU Act, 2020) पारित करके इसे केंद्रीय दर्जा दिया गया और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया।
- संबद्धता: दिल्ली स्थित ऐतिहासिक एलएनजेपीएनआईसीएफएस (LNJPNNICFS) (लोक नायक जय प्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस) का भी इसके साथ विलय कर दिया गया।

2. प्रशासनिक मुख्यालय और विस्तार (Campuses)

- मुख्य परिसर (Headquarters): इसका मुख्य अत्याधुनिक परिसर गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
- क्षेत्रीय परिसर (Offcampuses) व विस्ताररू पूरे देश में वैज्ञानिक पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए इसके कई परिसर कार्यरत हैं:
- नई दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल (मध्य प्रदेश), धारवाड़ (कर्नाटक), और गुवाहाटी (असम)।
- राजस्थान के लिए विशेष बिंदुरू राजस्थान में फोरेंसिक जांच की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए NFSU का एक क्षेत्रीय परिसर जोधपुर में भी स्थापित किया गया है।
- अंतरराष्ट्रीय पदचिह्न: इसका पहला विदेशी परिसर जिंजा, युगांडा (अफ्रीका) में खोला गया है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ाता है।

3. नए कानूनों (BNSS – BSA) के दौर में पुलिस के लिए NFSU का महत्व

उस्ताद की टिप: क्लास के विवेचकों (Investigating Officers – IOs) को यह विशेष रूप से समझाएं कि नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में घटनास्थल (Crime Scene) पर फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम का दौरा और साक्ष्य जुटाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस जरूरत को पूरा करने में NFSU रीढ़ की हड्डी है:

1. IOs और पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण (Training of Police):

PrS Kherwara, Udaipur

- NFSU देशभर के सब–इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी और आईपीएस अधिकारियों को क्राइम सीन मैनेजमेंट, चेन ऑफ कस्टडी (Chain of Custody) और आधुनिक साक्ष्य संग्रहण की व्यावहारिक ट्रेनिंग देता है।
- इसके द्वारा पुलिस अधिकारियों को "भ्रष्टाचार मुक्त एवं वैज्ञानिक विवेचना" के गुर सिखाए जाते हैं ताकि अदालत में साक्ष्य खारिज न हों।

2. अत्याधुनिक फोरेंसिक विंग्स (Specialized Fields):

- डिजिटल और साइबर फोरेंसिक: मोबाइल क्लोनिंग, डार्क वेब इनवेस्टिगेशन, और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों को क्रैक करना।
- डीएनए प्रोफाइलिंग और फोरेंसिक मेडिसिन: गंभीर अपराधों (जैसे बलात्कार, हत्या, जले हुए शवों के मामलों) में सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण।
- नारकोटिक्स और विष विज्ञान (ToÛicology): एनडीपीएस (NDPS) मामलों में रसायनों और ड्रग्स की सटीक पहचान।
- व्यवहार विज्ञान (Behavioral Forensic̀): लाई–डिटेक्टर, नार्को–एनालिसिस, और सस्पेक्ट प्रोफाइलिंग तकनीक।

3. मोबाइल फोरेंसिक वैन (MFV̀) का विकास: देश के दूर–दराज के थानों तक फोरेंसिक तकनीक पहुंचाने के लिए छथ्ैन्‍ ने विशेष मोबाइल फोरेंसिक वैन डिजाइन और विकसित करने में तकनीकी सहयोग दिया है, ताकि जिला पुलिस मौके पर ही प्रारंभिक जांच कर सके।

4. पुलिस आधुनिकीकरण और अनुसंधान (R&D)

- बैलिस्टिक और फिंगरप्रिंट टेस्टिंग: गोलियों, हथियारों (Firearms) के मिलान और उंगलियों के निशानों की वैज्ञानिक जांच के लिए यह देश की सर्वोच्च संस्थाओं को मार्गदर्शित करता है।
- स्मार्ट पुलिसिंग टूल्स: पुलिस थानों के मालखाना रजिस्टरों की सुरक्षा, डिजिटल साक्ष्यों की हैश वैल्यू (Hash Value) निकालने की प्रक्रियाओं को मानकीकृत (Standardize) करने में इसकी रिसर्च अहम भूमिका निभाती है।

3- Organizational Structure of State Police - D.G.P. Office, Range, Commissionerate, District, Sub Division, Circle, Police Station, Chowki, Outpost - Functioning of various branches of Police - C.P./S.P. Office and its various admin branches, Reader Branch, Special Branch/L.I.B., P.C.B., D.C.B./L.C.B., Police Headquarter, Traffic Police, Woman Police Station, Coastal Police Station, Wireless, M.O.B., M.T., S.O.G. etc.(Modification can be done as per the state police organization / structure).

राज्य पुलिस का संगठन पुलिस महानिदेशक कार्यालय, रेंज आयुक्तालय, जिला सर्कल, थाना, चौकी तथा विभिन्न शाखाएं –

PTS Kherwara, Udaipur

RAJASTHAN POLICE ORGANISATION

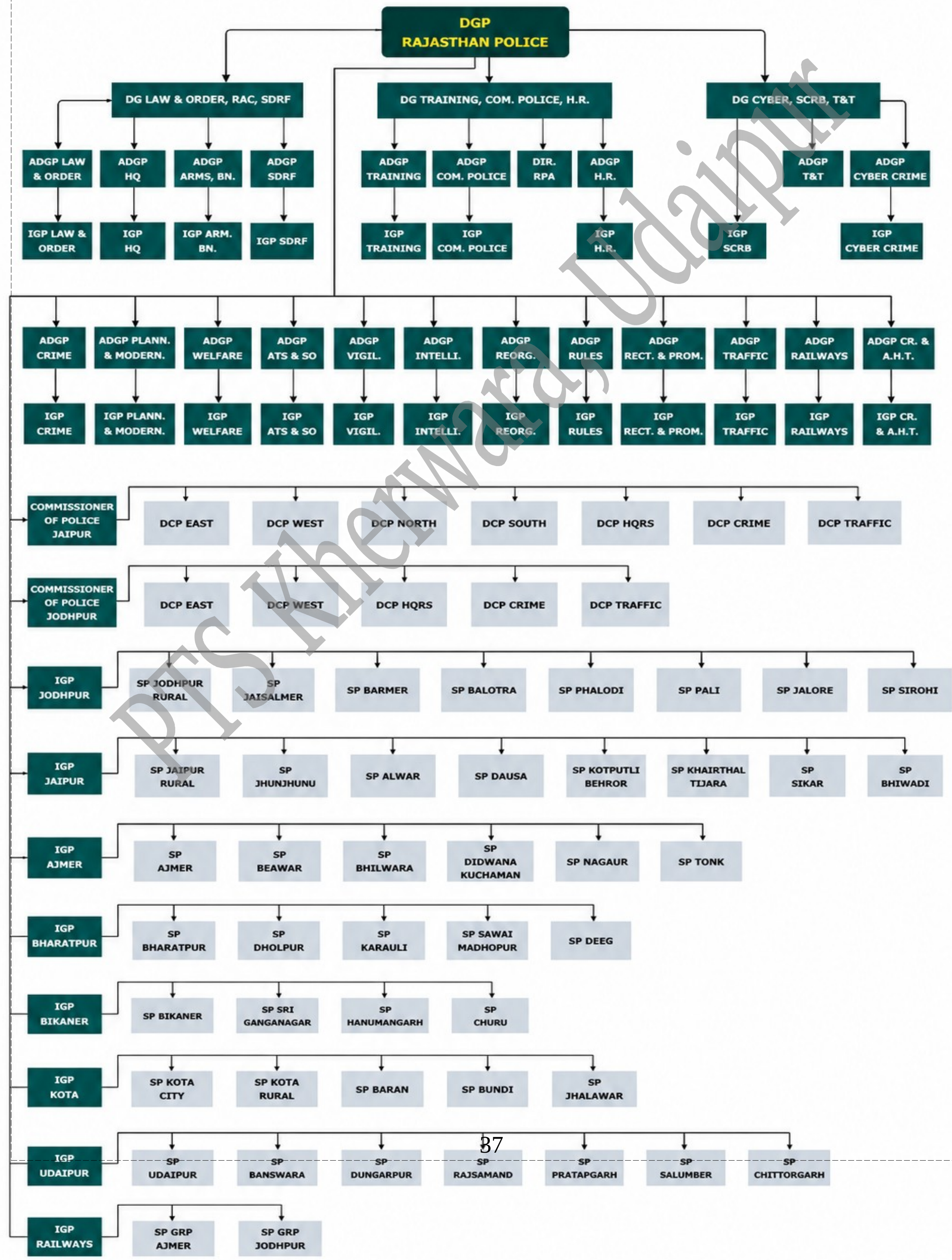

PTS Kherwara, Udaipur

राज्य पुलिस का संगठन

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान

महानिदेशक पुलिस, राजस्थान पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं तथा विभाग के विभागाध्यक्ष हैं जिन पर विभाग के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण तथा राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व है। इस दायित्व के निर्वहन के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर कार्य को कई शाखाओं में विभाजित किया हुआ है। इन शाखाओं का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे जिनमें कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं।

राज्य में चार महानिदेशक स्तर के अधिकारी जेल, होमगार्ड, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं इन्टेलीजेन्स में भी पदस्थापित हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, महानिरीक्षक पुलिस, उप महानिरीक्षक पुलिस

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण

राज्य में चार महानिदेशक स्तर के अधिकारी जेल, होमगार्ड, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं इन्टेलीजेन्स में भी पदस्थापित हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, महानिरीक्षक पुलिस, उप महानिरीक्षक पुलिस

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण

2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आसूचना
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, पुर्नगठन / नियम
6. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आवासन
7. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसडीआरएफ
8. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कार्मिक
9. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कम्यूनिटी पुलिसिंग
10. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस / एसओजी
11. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, होमगार्ड
12. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसीबी
13. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, जेल
14. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति
15. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा
16. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट/एएचटी
17. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मुख्यालय
18. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वे
19. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण
20. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सशस्त्र बटालियन
21. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सह निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी
22. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, तकनीक एवं दूरसंचार / स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो
23. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, यातायात
24. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मानवाधिकार
25. निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला
26. पुलिस आयुक्त, जयपुर

prs Kherwara, Udaipur

27. पुलिस आयुक्त, जोधपुर
28. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज द्वितीय
29. पुलिस महानिरीक्षक, बीकानेर रेंज
30. पुलिस महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज
31. पुलिस महानिरीक्षक, अजेमर रेंज
32. पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज
33. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज
34. पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज
35. उप महानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक

- **रेंज**

राजस्थान राज्य को 8 रेंजों एवं 2 पुलिस आयुक्तालयों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैं :–

1. जयपुर शहर आयुक्तालय :–

1. जयपुर मुख्यालय	5. जयपुर उत्तर
2. जयपुर पश्चिम	6. जयपुर यातायात
3. जयपुर शहर दक्षिण	7. अपराध
4. जयपुर पूर्व	8. जयपुर मेट्रो

2. जोधपुर आयुक्तालय:– 1. जोधपुर मुख्यालय एवं यातायात 2. जोधपुर पूर्वजोधपुर पश्चिम

रेंज हैड क्वाटर्स

1. जयपुर रेंज :–1. सीकर 2. झुन्झुनू 3. दौसा 4. अलवर 5. जयपुर ग्रामीण 6. भिवाडी
2. बीकानेर रेंज :–1. बीकानेर 2. श्रीगंगानगर 3. चुरू 4. हनुमानगढ़
3. जोधपुर रेंज :–1. जोधपुर ग्रामीण 2. पाली 3. सिरोही 4. बाड़मेर 5. जालौर 6. जैसलमेर
4. अजमेर रेंज :–1. अजमेर 2. भीलवाड़ा 3. नागौर 4. टोंक
5. उदयपुर रेंज :–1 उदयपुर 2 बांसवाड़ 3 डूंगरपुर 4 राजसमन्द 5 चितौड़ढ 6 प्रतापगढ
6. कोटा रेंज :–1. कोटा शहर 2. कोटा ग्रामीण 3. झालावाड़ 4. बूंदी 5. बारां
7. भरतपुर रेंज :–1. भरतपुर 2. सवाईमाधोपुर 3. धौलपुर 4. करौली
8. जी.आर.पी. रेंज (मुख्यालय जयपुर) :–

1. जी.आर.पी. अजमेर 2. जी.आर.पी. जोधपुर

रेंज कार्यालय का गठन– रेंज में महानिरीक्षक पद का अधिकारी सर्वोच्च होता है। ये कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। ये जिलों का निरीक्षण करते हैं। गम्भीर घटना घटने पर दुर्घटना स्थल पर पहुँचते हैं और पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हैं। इनके कानून निम्नलिखित अधिकारी और शाखाएं होती हैं:–

1. लीव रिजर्व उप अधीक्षक पुलिस जनता द्वारा प्रस्तुत परिवादों की जाँच करता है तथा कानून और व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस की मदद करता है।
2. स्टाफ ऑफिसर यह निरीक्षक स्तर का अधिकारी होता है। अपराध शाखा के कार्य का परिवीक्षण करता है। तथा परिवादों का तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करता है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही को देखता है।

pts Kherwara, Udaipur

3. अपराध शाखा इसका प्रभारी रीडर होता है जो जो उपनिरीक्षक के पद का होता है। यह निम्नलिखित कार्यवाही करता है :—

1. अनुशासनात्मक कार्यवाही 2. विशेष प्रतिवेदन 3. सम्मन वारण्ट 4. संख्यिकी कार्य 5. विविध कार्य

4. फोर्स शाखा : इसमें मंत्रालयिक कर्मचारी होते हैं। ये उपनिरीक्षकों का सेवाभिलेख तैयार करते हैं तथा स्थानान्तरण सम्बन्धी आदेश तैयार करते हैं।

5. लेखा शाखा :— इसमें कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बिल आदि तैयार किये जाते हैं।

6. स्टेनो अर्द्धशासकीय पत्रों के उत्तर आदि भिजवाना तथा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन तैयार करवाना, उनका अभिलेख रखना व अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना।

7. कार्यालय सहायक यह वरिष्ठ लिपिक को पदोन्नति देकर बनाया जाता है। यह पूरे कार्यालय के कार्य के प्रति जिम्मेदार होता है तथा उनका पर्यवेक्षण करता है।

- **जिला स्तर पर पुलिस संगठन :**

प्रत्येक जिले की पुलिस का अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक होता है जो जिले की पुलिस में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। यह जिले में शान्ति स्थापित करने में जिला कलक्टर की सहायता करता है और कुछ मामलों में जिला कलक्टर के परामर्श एवं सहयोग से काम करता है। पुलिस अधीक्षक का मुख्यालय जिले का मुख्यालय होता है पुलिस अधीक्षक पुलिस सम्बन्धी कार्यों के लिए महानिरीक्षक रेंज के प्रति उत्तरदायी होता है। पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए अधिकारी व कर्मचारी भी होते हैं। संक्षेप में जिला स्तर पर संगठन निम्न प्रकार होता है :—

पुलिस अधीक्षक :— जिले का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है। यह सम्पूर्ण जिले का पुलिस प्रशासन एवं कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होता है। महत्वपूर्ण घटनास्थल पर पहुँचकर निरीक्षण करता है। पुलिस स्टेशनों और पुलिस लाईन का भी निरीक्षण करते हैं।

1. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) :— इनका कार्यालय जिला पुलिस मुख्यालय पर होता है। मुख्यालय स्थित लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन तथा पुलिस लाईन्स के कार्य को देखना मुख्य कर्त्तव्य है।

2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर):— बड़े शहरों में कानून तथा शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व इन पर होता है। मध्यम श्रेणी के शहरों में यही कार्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जिला) करते हैं।

3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण):— बड़े जिलों को जब शहर और ग्रामीण भागों में बांटा जाता है तब ग्रामीण क्षेत्र का कार्य देखने का दायित्व इनका होता है।

4. अपराध शाखा :— इस शाखा का कार्य चार अपराध सहायक के जिम्मे होता है। ये पुलिस निरीक्षक के पद के होते हैं। इसमें उप निरीक्षक पद का रीडर होता है। यह अपराध शाखा के कार्य की रिपोर्ट तैयार करता है। इनके कार्य निम्न प्रकार हैं :—

i. अनुशासनात्मक कार्यवाही

ii. मुकदमों के विशिष्ट प्रतिवेदन

iii. सम्मन वारण्ट

iv. पुलिस स्टेशनों से प्राप्त माल को पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भिजवाना

V. अपराध सारणियां बनाना

vi. निरीक्षण की अनुपालना करना

vii. मेलों, हथियारों, जुलूसों आदि के लाईसेन्स बनाना

PTS Kherwara, Udaipur

viii. हरिजनों व दलित वर्गों के प्रति अत्याचार सम्बन्धी अपराधों की जानकारी प्राप्त करना।

ix. अन्य विविध कार्य करना

5. एम०ओ०बी० (कार्य प्रणाली शाखा):– इस शाखा के प्रभारी उप निरीक्षक होते हैं। इसमें अपराधियों से सम्बन्धित कार्यप्रणाली का अभिलेख रखा जाता है। पुलिस स्टेशनों से आईपीसी के अध्याय 12 व 17 से सम्बन्धित अपराध पंजीयन होने पर एफआईआर, आरपीएम फार्म 10,13,13ए, 11 एवं सर्च स्लिप एमओबी को प्रेषित की जाती है। इसमें हिस्ट्रीशीटरों तथा उद्घोषित अपराधों का अभिलेख भी रखा जाता है। इस शाखा द्वारा पुलिस स्टेशनों को एमओबी टाईप के मामलों में अपराधियों को पकड़ने के सम्बन्ध में सुझाव भिजवाये जाते हैं।

6. जिला विशेष शाखा :– इस शाखा का प्रभारी पुलिस निरीक्षक होता है। इसके द्वारा सम्पूर्ण जिले की समस्त गोपनीय सूचनायें एकत्र की जाती हैं और पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की जाती हैं। इस शाखा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :–

i. साम्प्रदायिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।

ii. असामाजिक तत्वों व तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वों की निगरानी रखना। राजनैतिक दलों के नेताओं की गतिविधियों की जानकारी रखना।

iv. श्रमिक नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखना, उनके भाषणों (भड़काने वाले) की रिपोर्ट तैयार करना।

V. आम सभाओं में, सभा कक्षों में आयोजित सभाओं के वक्ताओं के भाषणों का अभिलेख रखना। जुलूसों, उत्सवों व मेलों आदि की सूचना एकत्र करना।

vi. औद्योगिक प्रतिष्ठानों व उपक्रमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना।

vii. विशिष्ट व अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा करना।

viii. पासपोर्ट सम्बन्धी पत्रों की जाँच करना।

7. बल शाखा (Force Branch) :– इसमें पूरा स्टाफ मंत्रालयिक कर्मचारियों का होता है। एक वरिष्ठ लिपिक इस शाखा का प्रभारी होता है इसके कानून कई कनिष्ठ लिपिक होते हैं। जिले के समस्त पुलिसकर्मियों की सेवा पंजीकायें तैयार की जाती हैं व उसका अभिलेख रखा जाता है।

8. लेखा शाखा :– इसमें पूरा स्टाफ मंत्रालयिक कर्मचारियों का होता है। लेखाकार इस शाखा का प्रभारी होता है। जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों ६ कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के बिल बनाना, पारित करवाना, भुगतान करना तथा लेखा सम्बन्धी अन्य कार्य करना है।

9. स्टेनो :– यह अधीक्षक महोदय के गोपनीय कार्य को देखता है, अर्द्धशासकीय पत्रों के उत्तर भिजवाता है, पत्र तैयार करता है। जिला पुलिस अधीक्षक के ग्रुप कोष के आय–व्यय का लेखा जोखा भी रखता है।

10. कार्यालय अधीक्षक :– मुख्य कार्य सम्पूर्ण कार्यालय का पर्यवेक्षण करना है।

पुलिस लाईन का संगठन

पुलिस लाईन में सिविल पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस (Armed Police) के कर्मचारी होते हैं। जब कभी भी जिले के किसी पुलिस स्टेशन या चौकी पर स्थान रिक्त होता है या किसी का स्थानान्तरण करना होता है तो पुलिस लाईन से ही ये पद भरे जाते हैं। सशस्त्र पुलिस का प्रमुख कार्य गार्ड ड्यूटी, गश्त

PTS Kherwara, Udaipur

ड्यूटी तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने का होता है। पुलिस लाईन्स के कार्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए वहाँ निम्नलिखित विभाग होते हैं –

1. रिजर्व निरीक्षक का कार्यालय रिजर्व निरीक्षक पुलिस लाईन्स का प्रभारी अधिकारी होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं

1 अनुशासन बनाये रखना।

2 कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना तथा अन्य प्रकार के अवकाशों को अग्रेषित करना।

3. अर्दली कक्ष में कर्मचारियों को पेश करना।

4. परेड में उपस्थित होना।

5. साप्ताहिक गार्ड का निरीक्षण करना।

6. गार्ड ड्यूटी भिजवाना।

7. पुलिस लाईन्स की शाखाओं का पर्यवेक्षण करना।

8. सेरेमोनियल परेड का आयोजन करना।

9 कर्मचारियों को समय–समय पर विभिन्न ड्यूटियों पर भिजवाना।

रिजर्व उपनिरीक्षक रिजर्व निरीक्षक के कार्यों में सहायक होता है।

शस्त्रागार– इसमें समस्त शस्त्र सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं। इन समस्त शस्त्रों की प्रविष्टि शस्त्र रजिस्टर में की हुई होती है। इनकी देख–रेख का कार्य उपनिरीक्षक या हैड कॉन्सटेबल करता है।

लेखा शाखा – इसका प्रभारी लेखाधिकारी होता है। यह पुलिस लाईन्स के कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि के बिल तैयार करवाता है, समस्त प्रकार के लेखा सम्बन्धी कार्य करता है राशि का वितरण करता है तथा रोकड बही लिखता है।

क्वार्टर गार्ड– पुलिस लाईन्स में 24 घंटे क्वार्टर गार्ड पर सन्तरी तैनात रहता है। उच्च अधिकारियों के आगमन पर गार्ड द्वारा सलामी दी जाती है।

स्टोर – इसका प्रभारी हैड कॉन्सटेबल होता है। यह स्टोर में उपलब्ध सामान का रजिस्टर के अनुसार उचित रखरखाव करता है। कर्मचारियों को आवश्यक सामान प्रदत्त करता है।

वाहन शाखा– इसका प्रभारी एम.टी.ओ. होता है, यहाँ की समस्त गाड़ियों की देख रेख इस शाखा के द्वारा होती है जिले के समस्त वाहनों की मरम्मत का कार्य भी इसी शाखा द्वारा किया जाता है।

शस्त्रों का वर्कशाप– पुलिस लाईन तथा जिले की पुलिस के समस्त शस्त्रों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य इसी शाखा में होता है।

मैस पुलिस– लाईन्स के समस्त कर्मचारियों की भोजन की व्यवस्था करने का दायित्व इसी शाखा का है

कैन्टीन – इसमें समस्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए चाय पानी तथा अल्पाहार के लिए व्यवस्था होती है। दैनन्दिन कार्यों में उपयोग में आने वाली वस्तुएँ भी उचित मूल्य पर इस शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

बैण्ड – पुलिस लाईन्स का स्वयं का एक बैण्ड होता है इसका उपयोग सेरेमोनियल परेड आदि अवसरों पर किया जाता है पुलिस अधीक्षक की अनुमति लेकर इसे निमयानुसार निजी व सार्वजनिक समारोहों में भी जा सकता है ।

अश्व शाला–घोड़ों के रखरखाव का कार्य इस शाखा का होता है इन घोड़ों का उपयोग नीड़ पर नियंत्रण करने हेतु तथा गश्त कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की सुविधा के लिए नाई की दुकान, धोबी की दुकान, मोची, दर्जी, खाती व सफाई कर्मचारी व लांगरी, जलधारी इत्यादि भी होते हैं।

● वृत स्तर

PTS Kherwara, Udaipur

जिले के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे कई सर्किल में बांटा जाता है प्रत्येक सर्किल में पुलिस स्टेशनों की निश्चित संख्या होती है। सर्किल का कार्य देखने के लिए सर्किल एकजुडेंट होता है। यह पयवेक्षण करने तथा निर्देश देने का कार्य करता है यह पुलिस उप अधीक्षक के रैंक का होता है।

कार्य :—

1. अपने सर्किल में शान्ति तथा कानून व्यवस्था बनाये रखना तथा जनता के जान माल की रक्षा करना।
2. पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारियों को नवीनतम आदेशों को संसूचित करना तथा उनकी पालना करवाना
3. अपराधों पर नियंत्रण करवाना।
4. पुलिस स्टेशनों से प्राप्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन, केस डायरी को डाईजेस्ट रजिस्टर में प्रविष्ट करना।
5. अनुसंधान कार्य में दिशा निर्देश देना, गम्भीर अपराध के मामलों घटनास्थल पर पहुँचना तथा अनुसंधान करना।
6. हरिजनों के प्रति अत्याचार के मामलों में विशेष अनुसंधान करना।
7. पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण करना, निरीक्षण प्रतिवेदन भिजवाना व उसकी अनुपालना करवाना।

पुलिस स्टेशनों से आने वाली डाक का नियमन करना, निर्देश देना सम्बन्धित पत्र व्यवहार व उसके रिकार्ड का रखरखाव करवाना।

● पुलिस स्टेशन

1. प्रभारी अधिकारीः— पुलिस स्टेशन पर एस.एच.ओ. मुख्य अधिकारी होता है, यह क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने का एवं जनता के जानमाल की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होता है। यह प्रभारी अधिकारी मुख्य अनुसंधान अधिकारी भी होता है इसके प्रमुख कार्य अनुशासन बनाये रखना तथा मातहतों को निर्देश देना है बड़े पुलिस स्टेशनों पर प्रभारी अधिकारी निरीक्षक स्तर का तथा छोटे पुलिस स्टेशन पर प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक स्तर का होता है।
2. सहायक उप निरीक्षकः पुलिस स्टेशन पर प्रभारी अधिकारी की सहायता के लिए सहायक उप निरीक्षक नियुक्त होता है, यह अनुसंधान का कार्य भी करता है।
3. हैड कांस्टेबलः इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं —

1. पुलिस स्टेशन में रखे जाने वाले रजिस्टरों व पत्रावलियों को सुचारू रूप से रखना, उनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना, रोजनामचा आदि लिखना।
2. कानि० की ड्यूटी निर्धारित करना।
3. पुलिस स्टेशन के माल खाने के कार्य को करना। माल का निस्तारण व सुरक्षा करना।
4. कांस्टेबल सम्मन, वारण्ट की तामील, गश्त, बदमाशों व दुश्चरित्र व्यक्तियों की निगरानी व संतरी के कर्तव्य का निष्पादन

सी०आई०डी० (सी०बी०)

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस

↓

महानिरीक्षक पुलिस पुलिस

↓

उप महानिरीक्षक पुलिस

↓

Prs Jherwara, Udaipur

पुलिस अधीक्षक (प्रथम) पुलिस अधीक्षक (द्वितीय) पुलिस अधीक्षक (तृतीय)

इनके प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। इसमें पूरे प्रदेश में कहीं पर भी पंजीबद्ध अपराध का अनुसंधान किया जा सकता है। मुख्यालय के अलावा रेंज मुख्यालयों पर शाखाओं के रूप से संगठित किया हुआ है।

ये रेंज शाखायें निम्नलिखित हैं :–

1. जयपुर 2. भरतपुर 3. कोटा 4. अजमेर 5. जोधपुर 6. उदयपुर 7. बीकानेर

रेंज शाखा के प्रभारी अति० पुलिस अधीक्षक होते हैं। इनके अधीन सहायता हेतु उप अधीक्षक, निरीक्षक व अन्य स्टाफ होता है। रेंज सेल का कार्य महानिरीक्षक पुलिस रेंज देखते हैं तथा शेष समस्त प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) द्वारा किया जाता है।

प्रमुख कार्य :–

i. अनुसंधान करना।

ii. जनता द्वारा परिवाद प्राप्त होने पर उसकी जाँच करना एवं जाँच प्रतिवेदन भिजवाना।

iii. पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी अपराध के घटित होने पर सूचना प्राप्त होने पर वहां पर कार्यवाही की जा सकती है तथा अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है।

PTS Kherwara, Udaipur

सी.आई.डी. (एस.एस.बी.)–

Addl. D.G.P. (Int.)

I.G.P. (Int.) **I.G.P. (Operation)** **I.G.P. (Security)**

Dy.I.G.P.(Int.) **Dy. I.G.P.(Operation)** **Dy.I.G.P.(Security) S.P. (Security)**

1. SP (Int.) Jaipur.
2. SP (SB.) Jodhpur.
3. SP (SB.) Jaipur.
4. SP Zone Kota.

इन्टेलीजेन्स ब्रांच की कार्यक्षमता व कुशलता को बढ़ाने के लिए राजस्थान राज्य को विभिन्न जोन में विभक्त किया गया है:–

1. कोटा

2. जोधपुर
3. श्रीगंगानगर
4. बीकानेर
5. अजमेर
6. उदयपुर
7. भरतपुर
8. जयपुर शहर
9. जयपुर ग्रामीण

कार्यः—

राजनैतिक असन्तोष, छात्र असंतोष, श्रमिक असंतोष व सुरक्षा के संबंध में जनहित के मामलों में आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करना, संकलित करना, राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों के सबंध में सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका प्रतिवेदन तैयार करना तथा अपने उच्च अधिकारियों की मार्फत राज्य सरकार को स्थिति से अवगत करना ।

1. दूसरे राज्यों की राज्य विशेष शाखा को प्रमुख घटनाओं की जो उनसे संबंधित हो. जानकारी देना।
2. रेंज के महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक आदि को उनसे संबंधित सूचनाये भिजवाना ।
3. सामयिकी तैयार करना।
4. राजनैतिक आन्दोलनों एव उनकी गतिविधियों तथा प्रगति का प्रतिवेदन तैयार करना व अभिलेख रखना।
5. राजनैतिक मामलों से संबंधित घटित अपराधों के मामलों में सिविल पुलिस को सहायता उपलब्ध करवाना
6. राजनैतिक व विध्वंसकारी गतिविधियों का रिकार्ड रखना ।
7. स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना ।
8. युवा संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना।
9. छात्र संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना ।
10. धार्मिक संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना।
11. साम्प्रदायिक गतिविधियों दंगों, झगड़ों आदि का रिकार्ड रखना।
12. श्रमिक संगठनों की गतिविधियों एवं प्रगति का रिकार्ड रखना।
13. सुरक्षा योजनायें तैयार करना जैसे— औद्योगिक सुरक्षा, विभागीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, वी.आई.पी. सुरक्षा आदि ।
14. राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों का रिकार्ड रखना।
15. विदेशी जो देश में भ्रमण, पर्यटन आदि के लिए आये हों उनके द्वारा की जाने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नजर रखना।
16. राजनैतिक मामलों से संबंधित गोपनीय जाँच करना।
17. राजनीति में संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों का रिकार्ड रखना।
18. पार्टी गतिविधियों से संबंधित पत्रादि का रखरखाव करना।
19. सरकारी कर्मचारियों की वफादारी में संदेह होने पर निगरानी रखना।
20. समाचार पत्रों की कटिंग रखना।

सूचनायें एकत्रित करने का तरीका

1. सार्वजनिक सभायें किसी राजनैतिक दल द्वारा जब सार्वजनिक सभा की जाती है तो उस सभा की दिनांक समय, स्थान, अध्यक्ष कौन था, श्रोताओं की संख्या, वक्ताओं के नाम, भाषण का प्रभाव आदि के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है उस दल के उद्देश्य, तैयारी योजना आदि का पता भी लगया जाता है। वक्ताओं के भाषण यदि राष्ट्रद्रोही हो तो उस पर गवाहों के हस्ताक्षर भी लिये जाते हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

2. समाचार पत्र तथा पेम्पलैट प्रायः सभी राजनैतिक दल अपने कार्यक्रमों की जानकारी जनता तक पहुँचाने के लिए पम्पलेट आदि छपवाते हैं तथा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देते हैं इनसे उस दल की नीतियाँ आदि भी उजागर होती है।

3. एजेन्ट या अन्य स्रोत जनता में ऐसे एजेन्ट पुलिस द्वारा नियुक्त होते हैं ये अनुभवी होना चाहिए इनकी विश्वसनीयता जगजाहिर नहीं होनी चाहिए, इनसे प्राप्त सूचना की सत्यता का भी पता लगाना चाहिए। ये एजेन्ट तीन प्रकार के होते हैं :–

1. स्थायी 2. अस्थायी 3. आकस्मिक

4. निगरानी दुश्चरित्र व्यक्ति, राजनैतिक आन्दोलन करने वाले, जासूस विदेशी, विध्वंसकारी व्यक्ति आदि की निगरानी करनी चाहिए। निम्नलिखित बातों का पता लगाना चाहिए–

i. किस संस्था का सदस्य है।

ii. वारदात में किन तरीकों को काम में लेता है।

iii.छिपने के उपाय।

iv. बचने के उपाय।

V. गतिविधियों व कार्यक्रम।

vi. आदतें

vii.उठ बैठ

viii.मेल मिलाप

ix. रीति रिवाज

x. लगाव

xi. विचार धारा आदि।

5.पूछताछ :– सी०आई०डी० (आई०बी०) के महानिरीक्षक पुलिस महोदय द्वारा एक दल का गठन किया जाता है यह दल पूछताछ के लिए विशेष स्टाफ लगाया जाता है। राजनैतिक षड्यंत्र की बू आने पर इन्टेलीजन्स ब्यूरो की सहायता प्राप्त की जाती है।

राजस्थन सशस्त्र दल (आर.ए.सी./ एम.बी.सी.)

अति. महानिवेशक पुलिस

महानिरीक्षक पुलिस (प्रथम) (द्वितीय) महानिरीक्षक पुलिस

नोट– आर.ए.सी में कुल 12 बटालियन हैं। प्रत्येक बटालियन का प्रमुख कमांडेन्ट कहलाता है। आर.ए.सी. की सभी बटालियनों का मुख्यालय निम्नानुसार हैं :–

Ist	जोधपुर
IInd	कोटा

PTS Kherwara, Udaipur

IIIrd	बीकानेर
IVth	जयपुर (चैनपुरा)
Vth	जयपुर (घाटगेट)
VIth	धौलपुर
VIIth	भरतपुर
VIIIth	दिल्ली
IXth	टोंक
Xth	बीकानेर
XIth	दिल्ली
XIIth	दिल्ली
XIIIrd	जयपुर (जेल सुरक्षा)
XIVth	जयपुर
M.B.C.	खैरवाड़ा
M.B.C.	बांसवाड़ा
हाड़ी रानी महिला बटालियन	अजमेर
महाराणा प्रताप बटालियन	प्रतापगढ़
रानी पद्मिनी महिला बटालियन	सीकर
काली बाई महिला बटालियन	अलवर
अमृता देवी महिला बटालियन	बाड़मेर

PTS Kherwara, Udaipur

इसका गठन भारत पाक अन्तराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी हेतु तथा सीमा सुरक्षा के लिए किया गया था। बाद में राजस्थान के सीमावर्ती प्रान्त उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश से लगे क्षेत्रों में डाकू उन्मूलन कार्य तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने में तैनात किया जाने लगा। 1965 व 1971 में भारत पाक युद्ध में शौर्य व वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बटालियन का संरक्षक कमाण्डेन्ट होता है और उसके सहायक अधिकारी निम्नानुसार हैं।

(अ) क्वार्टर मास्टर (उप अधीक्षक) एक
(आ) कम्पनी कमाण्डर (निरीक्षक) 6 या 7
(इ) प्लाटून कमाण्डर (उप निरीक्षक) 18–21
(ई) सूबेदार एडजुटेन्ट (उप निरीक्षक) एक
(उ) सूबेदार एम.टी.ओ. (उप निरीक्षक) एक
(ऊ) सूबेदार क्वार्टर मास्टर (उप निरीक्षक) एक

(ए) मुख्य आरक्षक 139 या 161
(ऐ) आरक्षक 656 या 867

उपरोक्त बटालियन से 4 बटालियन देश की सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से देश के किसी भी भाग में तैनात की जा सकती हैं।
बटालियन का संगठन प्रत्येक बटालियन के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बतौर कमाण्डेन्ट आदेशक तैनात किया जाता है। आदेशों की पालना सहायता के लिये पुलिस उप अधीक्षकों, कम्पनी कमाण्डरों, प्लाटून कमाण्डरों, हैड कानि. तथा सिपाहियों के अलावा पर्याप्त संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक बटालियन में सात कम्पनियां होती हैं।

एक कम्पनी मुख्यालय पर मौजूद रहती है जबकि अन्य कम्पनियां राज्य में कानून व्यवस्था कायम रखने में अपना कर्तव्य पालन करती है।

जिला पुलिस कार्यालय व लाइन की भांति कमाण्डेन्ट के कार्यालय में भी अंग्रेजी शाखा, सेना शाखा, लेखा शाखा, स्टेनों, क्वाटर क्व मास्टर शाखा, फुटकर भण्डार व वस्त्र भण्डार, परिवहन शाखा, कोत तथा लाइन कार्यालय की स्थापना की गई है ताकि किसी कार्य में कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो।

राजकीय रेल्वे पुलिस (जी.आर.पी.)

Addl.D.G.P.

I.G.P.

Dy.I.G.P.

S.P. Ajmer (Western Railways) **S.P. Jodhpur (Northern Railways)**

जी.आर.पी में भी सर्किल, पुलिस स्टेशन व चौकियां होती हैं। इनका सी.पी. की तरह ही कार्य होता है।
कार्य –
1. अपराध अनुसंधान सम्बन्धी कार्य
2. शांति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य।
शांति व्यवस्था के कार्य :–
1. स्टेशन की सीमा के भीतर यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था विशेषतया प्लेटफार्मों पर, टिकट घरों पर, प्रतीक्षालयों में, आने जाने वाले फाटकों पर तथा अन्य आवश्यकताओं पर जिसकी रेल्वे अधिकारियों ने मांग की हो।
2. स्टेशन पर आवागमन के साधनों पर नियंत्रण रखना।
3. गाडी ठहरने पर आवागमन के साधनों पर नियंत्रण रखना ।
4. स्टेशन पर यात्रियों की जान, माल की सुरक्षा करना।
5. समाज कंटकों की निगरानी व प्रभावी कार्यवाही करना।
6. जिनको संक्रामक रोग हो उनको पृथक करना।
7. भिक्षुओं को स्टेशन की सीमा से बाहर करना।

PTS Kherwara, Udaipur

आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) –

देश में आतंकवादी घटनाओं से निपटने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस में आतंकवाद निरोधक दस्ता (Anti terrorist Squad) पूर्णकालिक संस्था का गठन किया गया है। प्रारम्भ में दिनांक 04.09.2008 को सी.आई.डी. (सी.बी.) के अधीन आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन किया गया था परन्तु अब एक अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के अधीन यह दस्ता स्वतंत्र तौर पर कार्य कर रहा है।

आतंकवाद एवं राष्ट्र विरोधी सूचनाओं का संकलन करने एवं जिला पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों से समन्वय स्थापित कर आतंकवादी व राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कारवाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

आतंकवादी घटना होने पर तत्काल राहत एवं प्रतिरोधात्मक कारवाई करने के लिए राजस्थान आर्ड पुलिस (आर०ए०सी०) की 9 Emergency Response Team (ERT) टीम (त्वरित कारवाई दल) ए०टी०एस० के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। जिन्हें संभावित हमले के मध्यनजर विशेष इमारतों एवं सरकारी कार्यालयों का परिचयकरण कराया जा रहा है तथा नियमित रूप से अभ्यास ६ कवायद कराई जा रही है।

उदयपुर, कोटा, अजमेर व जोधपुर में ए०टी०एस० यूनिट्स स्थापित है जो आतंकवाद विरोधी कार्य सुचारू रूप से कर रही है जिसे हाल ही वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। जोधपुर में ए०टी०एस० चौकी पूर्व से ही कार्य कर रही है। ए०टी०एस० नवम्बर 2009 से स्वतंत्र पूर्णकालिक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।

ए.टी.एस. का प्रशासनिक ढ़ांचा

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर के अधिकारी को ए०टी०एस० का प्रभार सौंपा गया है। इनके अधीन महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक का पद भी सृजित किया गया है। पुलिस अधीक्षक स्तर से कानि० तक कुल 274 पद पुलिस कर्मियों के स्वीकृ त है।

विशेष जयपुर सीरीयल बम ब्लास्ट एवं अजमेर बम ब्लास्ट का अनुसंधान किया गया। प्रतिबंधित संगठनों एवं संभावित आतंकवादी संरक्षकों के बारे में सूचनाओं का संकलन/डोजियर तैयार किये जाते हैं। ताकि आतंकवादी घटनाओं पर प्रतिरोधात्मक कारवाई की जा सके।

स्पेशल ओपरेशन ग्रुप (एस०ओ०जी०) –

गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश आतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, जाली, ड्रग्स हथियार, तस्करी, आर्थिक अपराध व अन्य संगठित अपराध से निपटने के उद्देश्य से देश के समस्त राज्यों में सी.आई.डी. (सी.बी.) के अधीन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप प्रस्ताव किया गया।

महानिदेशक पुलिस राजस्थान के आदेश क्र० 194 दिनांक 27.01.2003 के द्वारा एस०ओ०जी० (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) का गठन सी०आई०डी० (सी०बी०) के अधीन किया गया था परन्तु अब यह अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ए.टी.एस के अधीन कार्यरत है। एस०ओ०जी० कार्यालय घाटगेट, जयपुर स्थित है। एस०ओ०जी० का प्रभार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस को सौंपा गया है जिन्हें ए०टी०एस० का प्रभार भी सम्मिलित रूप से दिया गया है। महानिरीक्षक पुलिस एस०ओ०जी० एवं उप महानिरीक्षक पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक ए०ओ०जी० का पद भी सृजित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर से कानि० तक 134 पुलिसकर्मियों के पद स्वीकृत हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

ए०ओ०जी० की चौकियाँ नई दिल्ली, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में कार्यरत हैं। ए०ओ०जी० मुख्य रूप से निम्नलिखित अपराधों पर अपनी गतिविधियों केन्द्रित करती हैं।

1. जाली नोट
2. नारकोटिक्स
3. विस्फोटक
4. भू माफिया
5. हथियार तस्करी
6. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन
7. आई०टी० एक्ट के विषय
8. बडे पैमाने पर आर्थिक अपराध
9. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर किए अपराध
10. अपहरण

उक्त के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषय भी शामिल हैं जो जन–सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धित हैं। नवम्बर 2009 से ए०ओ०जी० सी०आई०डी० (सी०बी०) के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य कर रही है। जिसका प्रभार ADGP ATS – SOG के पास है।

स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो

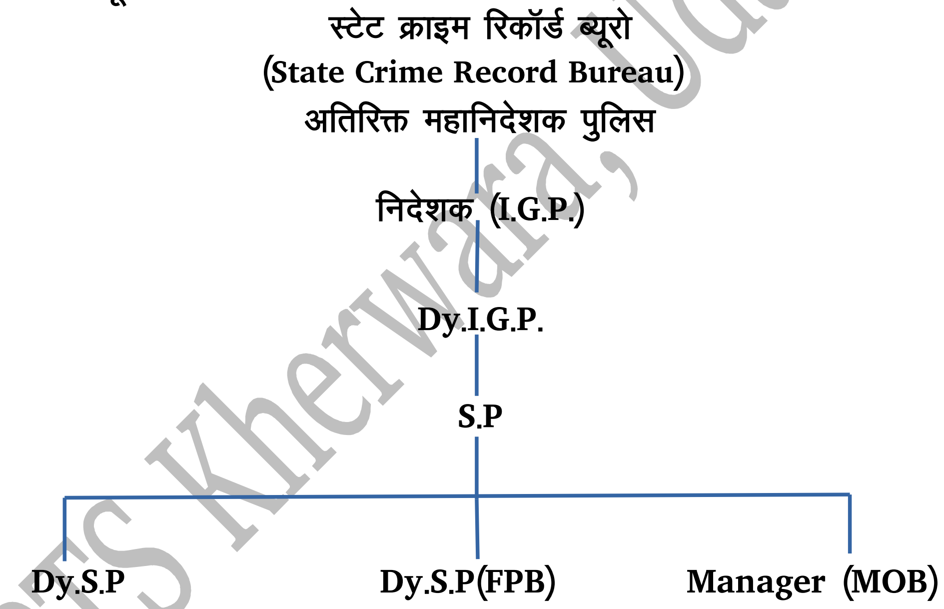

PTS Kherwara, Udaipur

SCRB:

पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र फरवरी 1980 से कार्यरत है। इसके प्रभारी महानिरीक्षक पुलिस (एससीआरबी) हैं। अपराधों को रोकने एवं अपराधियों को पकड़ने में यह केन्द्र अनुसंधानकर्ताओं को मदद करता है।

कम्प्यूटर फाइलों में अब तक लगभग 1.50 लाख कार्यप्रणाली अपराधों तथा लगभग दो लाख से ज्यादा अपराधियों का रिकार्ड उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से अनुसंधान को अपराध निवारण में सहायता दी जा रही हैं।

कार्यप्रणाली के अलावा अंगुल चिन्हों के आधार पर अनुसंधान अधिकरियों को अपराधियों के बारे में जानकारी देने के अगुंल चिन्हों का रिकार्ड भी कम्प्यूटर फाइलों पर रखा जा रहा है।

इसके अलावा नाम, हुलिया एवं पहचान के चिन्हों के आधार पर भी अपराधियों की जानकारी देने के लिए आंकड़े कम्प्यूटर पर रखे जा रहे हैं।

पुराने प्रचलित पुलिस प्रपत्रों व कम्प्यूटर फार्मों के रख–रखाव में होने वाली कठिनाईयों व उनसे पुलिस कार्यों में वांछित व सामयिक सहायता प्राप्त न होने के कारण निम्न नवीनीकृत पुलिस प्रपत्रों का सृजन किया गया है–

1. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (एफआईआर)
2. घटना स्थल का रेखाचित्र व वर्णन (नक्शा मौका)
3. गिरफ्तार व न्यायालय में अर्थ्यपण पत्र।
4. अंतिम परिणाम (एफ आर)
5. सम्पत्ति अभिग्रहण पत्र।
6. न्यायालय निपटान पत्र।

कम्प्यूटर का उपयोग अपराध सम्बन्धी आंकड़ों के अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन वितरण एवं सेवा अभिलेख सम्बन्धी व्यक्तिगत सूचनाओं को संकलित करने के लिए भी किया जा रहा है।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF)–

राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF) का गठन राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 27 (क) ग (6) गृह–2/2010 दिनांक 10.07.2012 के द्वारा हुआ। राजस्थान राज्य में होने वाली प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए 800 आरक्षकों की भर्ती की गई। एसडीआरएफ का मुख्यालय गाड़ोता, बगरू, जयपुर में स्थित है।

आपदा प्रतिसाद बल के कार्य

उचित आपदा प्रबन्धन एवं समय पूर्व चेतावनी ।

प्रभावी प्रतिक्रिया एवं सुरक्षित संचार प्रणाली ।

जनजागरूकता अभियानों का संचालन।

आपदा पीडितों ६ प्रभावित लोगों तक तत्काल पहुँच एवं आवश्यक चिकित्सा सेवाये उपलब्ध कराना।

आपदा प्रभावित क्षेत्र से मलबे को हटाकर, मृत एवं घायल व्यक्तियों की निकासी।

स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आपदा पीडितों तक राहत सामग्री पहुँचाना एवं पीड़ितों के मनोबल को ऊँचा रखते हुए पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग करना।

राहत एवं बचाव कार्य में लगी सभी एजेन्सीज में प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

एस.डी.आर.एफ. की संरचना–

एस.डी.आर.एफ. बटालियन में कुल आठ कम्पनियां है प्रत्येक कम्पनी के प्रभारी रूप सहायक कमाण्डेन्ट स्तर के अधिकारी नियुक्त हैं जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के होगें तथा प्रत्येक कम्पनी के अन्तर्गत चार टीमें होगी, जिनके प्रभारी प्लाटून कमाण्डर होगें। प्रत्येक टीम की कुल नफरी 45–47 होगी। एसडीआरएफ बटालियन के प्रथम प्रभारी कमाण्डेंट होंगे। डिप्टी कमाण्डेंट प्रथम (प्रशासन ऑपरेशन्स) एवं द्वितीय (क्वार्टर मास्टर व प्रशिक्षण) कमाण्डेंट के पर्यवेक्षण में दायित्व निर्वहन करेंगे।

राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF)–

राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF) का गठन राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 27 (क) ग (6) गृह–2/2010 दिनांक 10.07.2012 के द्वारा हुआ। राजस्थान राज्य में होने वाली प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए 800 आरक्षकों की भर्ती की गई। एसडीआरएफ का मुख्यालय गाड़ोता, बगरू, जयपुर में स्थित है।

आपदा प्रतिसाद बल के कार्य

उचित आपदा प्रबन्धन एवं समय पूर्व चेतावनी ।

प्रभावी प्रतिक्रिया एवं सुरक्षित संचार प्रणाली ।

DTS Kherwara, Udaipur

जनजागरूकता अभियानों का संचालन।
आपदा पीडितों / प्रभावित लोगों तक तत्काल पहुँच एवं आवश्यक चिकित्सा सेवाये उपलब्ध कराना।
आपदा प्रभावित क्षेत्र से मलबे को हटाकर, मृत एवं घायल व्यक्तियों की निकासी।
स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर आपदा पीडितों तक राहत सामग्री पहुँचाना एवं पीड़ितों के मनोबल को ऊँचा रखते हुए पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग करना।
राहत एवं बचाव कार्य में लगी सभी एजेन्सीज में प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

एस.डी.आर.एफ. की संरचना–

एस.डी.आर.एफ. बटालियन में कुल आठ कम्पनियां है प्रत्येक कम्पनी के प्रभारी रूप सहायक कमाण्डेन्ट स्तर के अधिकारी नियुक्त हैं जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के होगें तथा प्रत्येक कम्पनी के अन्तर्गत चार टीमें होगी, जिनके प्रभारी प्लाटून कमाण्डर होगें। प्रत्येक टीम की कुल नफरी 45–47 होगी। एसडीआरएफ बटालियन के प्रथम प्रभारी कमाण्डेंट होंगे। डिप्टी कमाण्डेंट प्रथम (प्रशासन ऑपरेशन्स) एवं द्वितीय (क्वार्टर मास्टर व प्रशिक्षण) कमाण्डेंट के पर्यवेक्षण में दायित्व निर्वहन करेंगे।

पुलिस दूरसंचार
(POLICE TELE COMMUNICATIONS)

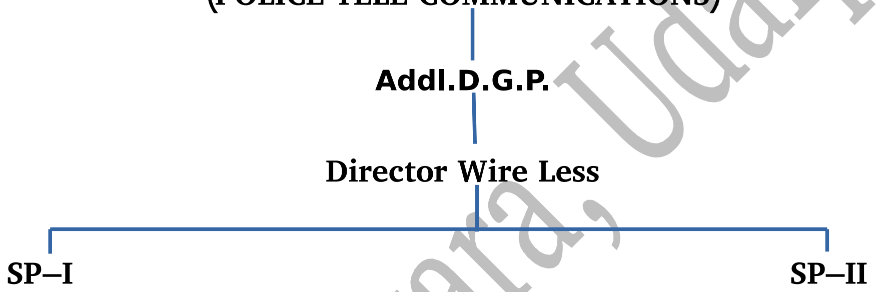

पुलिस वायरलैस शाखा का मुख्यालय जयपुर है। यह राजस्थान की पुलिस संचार व्यवस्था उपलब्ध करवाने में कार्यरत है। राज्य में एच.एफ., वी.एच.एफ. मिडबैंड, टेलीप्रिन्टर सहित लगभग 3200 केन्द्र कार्यरत हैं। राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और संवेदनशील व महत्वपूर्ण चौकियों पर वायरलैस सेट उपलब्ध है। घाटगेट, जयपुर में वायर लैस प्रशिक्षण केन्द्र है।

पुलिस वायर लैस राज्य प्रशासन को कई संकटकालीन कार्य जैसे बाढ़, उपद्रव, वीआईपी., के आगमन पर समय–समय पर विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। सीमावर्ती राज्यों के पुलिस वायरलैस केन्द्रों से सम्पर्क कर आतंकवादी व अन्य अपराध सम्बन्धी सूचनायें पहुँचाने में सहायता करते हैं। राज्य में वायरलैस दो भागों में बांटा हुआ हैं–

- तकनीकी पुलिस
- सामान्य पुलिस

राजस्थान में पुलिस आयुक्त प्रणाली –

राजस्थान राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 18 (9) गृह 3/ 2006 पार्ट 2 दिनांक 04.01. 2011 द्वारा जयपुर एवं जोधपुर महानगर क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई। इसके अन्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता, आयुध अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, प्रेस पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम, राजस्थान नाटकीय प्रदर्शन एवं मनोरंजन अधिनियम, राजस्थान सिनेमा विनियमन 1952, राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं राजस्थान पशु एवं पक्षी बली (निषेध) अधिनियम सहित 25 अधिनियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तिया पुलिस आयुक्त एवं उनके अधीन

PTS Kherwara, Udaipur

अति० आयुक्त पुलिस, उपायुक्त पुलिस, अति० उपायुक्त पुलिस तथा सहायक पुलिस आयुक्त को प्रदान की गई है।

जयपुर महानगर क्षेत्र को उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम 4 पुलिस जिलों में बांटा गया है। प्रत्येक जिले का प्रभारी अधिकारी पुलिस उपायुक्त है। इनके अलावा पुलिस उपायुक्त यातायात, पुलिस उपायुक्त मेट्रो, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) एवं पुलिस उपायुक्त अपराध के पद हैं। पुलिस उपायुक्त के अधीन उनके सहयोग हेतु एक–एक अति० पुलिस उपायुक्त के पद हैं। थानों का पर्यवेक्षण वृत स्तर पर होता हैं, जिसके प्रभारी अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के कार्यों के संपादन हेतु प्रत्येक पुलिस जिले में सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय गठित किया गया है। पुलिस आयुक्त की सहायतार्थ दो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, प्रथम एवं द्वितीय के पद हैं। लाईसेंसिंग कार्यों के संपादन हेतु अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त लाईसेंसिंग एवं लीगल का पद सृजित किया गया है। एक अतिरिक्त उपायुक्त इन्टेलीजेन्स एवं सिक्योरिटी है। जोधपुर आयुक्त क्षेत्र में तीन पुलिस जिले है जिनमें मुख्यालय एवं यातायात, पूर्व एवं पश्चिम पुलिस जिला है।

जयपुर एवं जोधपुर महानगरों में नयी आयुक्त प्रणाली दिनांक 1.4.2011 से प्रारम्भ हो चुकी है। इस प्रणाली द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाहियों के द्वारा समाज में शांति कायम रखने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने से सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ पुलिस अधिकारियों के पास होने से बेहतर समन्वय द्वारा प्रभावी क्रियान्वयन हो सकेगा। शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम इत्यादि अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञापन सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग पुलिस आयुक्त द्वारा किया जा रहा है।

विभिन्न संगठनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी–

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो –

(Anti Curruption Bureau) के प्रभारी महानिदेशक (ACB) हैं। इनकी सहायतार्थ एक अतिरिक्त महानिदेशक (ACB) हैं। दो महानिरीक्षक पुलिस प्रथम एवं द्वितीय हैं तथा चार उप महानिरीक्षक पुलिस हैं जिनमें से दो मुख्यालय जयपुर तथा एक जोधपुर व एक उदयपुर में पदस्थापित हैं। 6 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं जिनमें से दो जयपुर (प्रथम एवं द्वितीय), भरतपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा में पदस्थापित हैं। 16 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। 12 चौकियां के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होते हैं जो निम्नलिखित हैं –

1. जयपुर शहर प्रथम	5. जयपुर शहर द्वितीय	9. जयपुर ग्रामीण
2. कोटा	6. उदयपुर	10. बीकानेर
3. श्री गंगानगर	7. अजमेर	11. भीलवाडा
4. भरतपुर	8. अलवर	12. जोधपुर

इसके अतिरिक्त 18 चौकियां और हैं जिनमें उप अधीक्षक पद के प्रभारी हैं जो निम्नलिखित हैं–

1. बूंदी	5. झालावाड़	9. बासवाड़ा	13. चित्तौड़गढ़	17. पाली
2. बाड़मेर	6. सिरोही	10. हनुमानगढ़	14. चुरू	18. झुन्झूनू
3. सीकर	7. टोंक	11. नागौर	15. सवाई माधोपुर	
4. बारां	8. राजसमन्द	12. जैसलमेर	16. धौलपुर	

इसके अतिरिक्त मुख्यालय जयपुर पर विशेष अनुसंधान विंग भी है जो आय से अधिक सम्पत्ति व परिवादों की जाँच करते हैं।

कार्य :–

PTS Kherwara, Udaipur

लोकसेवकों के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों, रिश्वत लेने, रिश्वत की मांग करने वालों को रंगे हाथों पकडना तथा जाँच करना। प्रत्येक मामले में अभियोग का पंजीकरण महानिदेशक के आदेश से ही होता है तथा अंतिम रिर्पोट भी उन्ही के आदेश से लगाई जाती है।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला –

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सर्वोच्च अधिकारी निदेशक होते हैं। इनका मुख्यालय जयपुर में है। इस प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य की श्रृंखला में अधिकारिक स्रोतों की आपूर्ति करना, दोषी अथवा साक्षी द्वारा दिये गये दस्तावेजों की जाँच करना तथा अन्वेषण अधिकारी को घटनास्थल से प्राप्त पदार्थों का वैज्ञानिक विधि से परीक्षण कर सहयोग प्रदान करना है। प्रयोगशाला की निम्न आठ मुख्य शाखायें है

1. प्रलेख खण्ड,
2. रसायन खण्ड,
3. जैविक खण्ड,
4. भौतिक खण्ड,
5. बैलास्टिक खण्ड,
6. विष खण्ड,
7. सीरम खण्ड,
8. फोटो खण्ड,

प्रयोगशाला के वैज्ञानिक घटनास्थल का निरीक्षण कर अन्वेषण में वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। न्यायालयों में विशेषज्ञ साक्षी के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।

गृह रक्षा दल एवं नागरिक सुरक्षा–

HOME GUARD – CIVIL DEFENCE

D.G.(C.D. – H.G.)

Addl. D.G. (C.D.–H.G.)

Dy.Director (C.D.–H.G.)

S.S.O Store | **S.S.O Home Guar** | **S.S.O Civil Defence**

जिले में सिविल डिफेन्स का नियंत्रण जिलाधीश (ब्स्स्म्ब्ज्व्) होता है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. प्रशिक्षण
2. डिपो एवं ट्रांसपोर्ट
3. संचार
4. खाद्य एवं आपूर्ति
5. बाढ़ एवं आपातकालीन सेवायें जैसे– भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति मेंसेवायें
6. फायर सर्विस
7. प्राथमिक चिकित्सा सहायता इत्यादि ।

इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा राज्य के कई स्थानों पर इनकी शाखायें हैं।

होम गार्ड (HOME GURD) गृह रक्षा दल

होम गार्ड की तीन विंग हैं–

PTS Kherwara, Udaipur

1. शहरी होम गार्ड
2. ग्रामीण होम गार्ड
3. बॉर्डर होम गार्ड

होम गार्ड का कमाण्डेन्ट जिले का पुलिस अधीक्षक होता है तथा असिस्टेंट कमाण्डेन्ट होम गार्ड का अधिकारी होता है। बोर्डर होम गार्ड का कमाण्डेन्ट होम गार्ड का अधिकारी होता हैं। होम गार्ड में स्वयंसेवकों की भर्ती होती है जिन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जब भी इनकी सेवाओं की आवश्यकता होती है इन्हें ड्यूटी पर बुलाया जाता है जो आमतौर पर पुलिस कर्मचारियों को मदद प्रदान करते हैं बोर्डर होम गार्ड की 6 कम्पनी एक यूनिट में होती हैं। इनका मुख्य कार्य सीमाओं की सुरक्षा कर रहे सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की मदद करना है।

होम गार्ड के कार्य होमगार्ड के निम्नलिखित कार्य हैं

1. पुलिस के कार्यों में सहायता करना।
2. अधिकारी तथा कर्त्तव्यों की पूरी जानकारी रखना।
3. मेलों में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।
4. थानों में पुलिस के साथ गश्त करना ।
5. ड्यूटी के समय निर्धारित वर्दी पहनना।
6. सड़कों में यातायात व्यवस्था को कायम रखना।
7. प्राकृतिक प्रकोपों जैसे महामारी, संक्रामक रोग, बाढ़ आदि में जनता की सहायता करना।
8. निर्वाचन के समय पुलिस के साथ ड्यूटी करना।
9. जुलूसों में ड्यूटी करना।
10. बलवे में शांति व्यवस्था बनाए रखना।

PTS Kherwara, Udaipur

कारागार (जेल) प्रशासन–

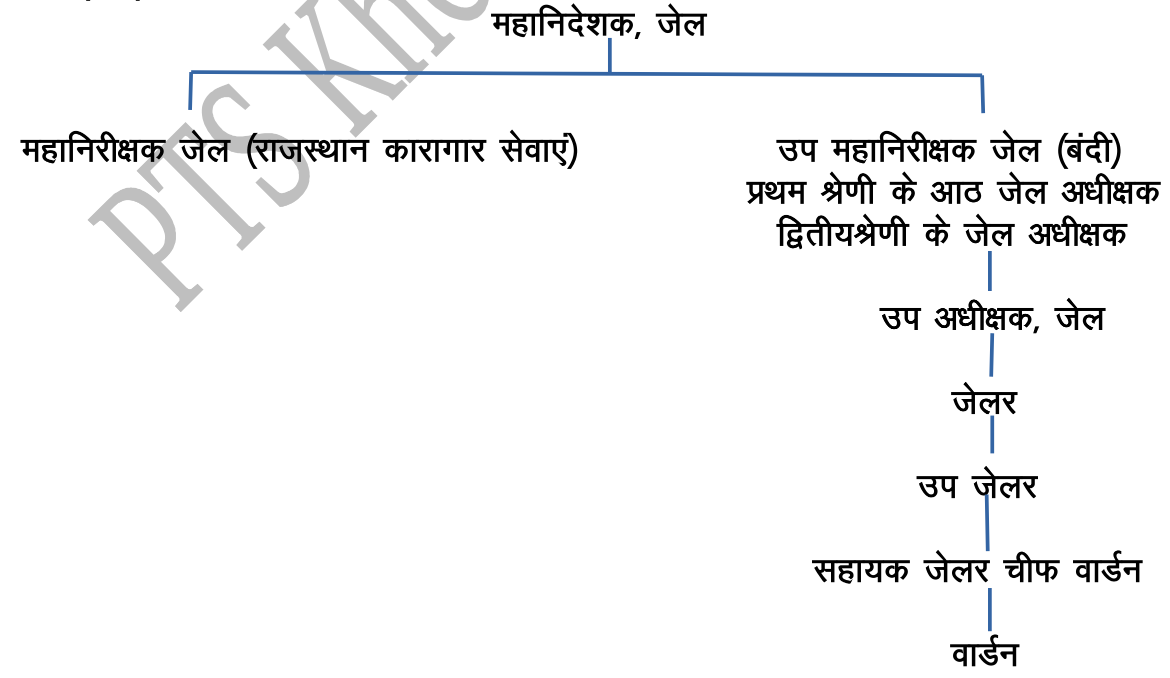

प्रत्येक राज्य में अपराधियों को सुधारने के लिए कारागार या सुधार गृहों का निर्माण किया गया है। कारागारों का मूल उद्देश्य अपराधी को पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करने के साथ समाज को अपराध मुक्त करना था। जिन अपराधियों के मामले विचारधीन होते हैं उन्हें सुधार गृहों में रखा जाता है। कारागार दो प्रकार के होते हैं बन्द कारागार और खुले कारागार। इनका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधार कर एक सभ्य नागरिक बनाकर उसकी समाज में वापसी करना है।

राज्य में 8 केन्द्रीय जेल, 3 प्रथम श्रेणी के जिला जेल, 22 द्वितिय श्रेणी के जेल, 22 उपकारागार, 59 लॉक अप, एक महिला बंदी सुधार गृह (जयपुर), एक किशोर बंदी सुधार गृह (अजमेर), दस खुली जेल तथा कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है।

अग्निशमन सेवा –

शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित आग जीवन और माल के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है और अग्निशमन कर्मी (Fire Fighters) इस खतरे से बचाव करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में आग पर काबू पाकर उसे बंद करने के लिए बहुत–सी तकनीके सीखनी पड़ती हैं और उन कठिन परिस्थितियों में जाकर उन्हें झेलने के लिए शारीरिक क्षमता भी जरूरी है। अग्निशमन के लिए विशेष सामान और यंत्रों का प्रयोग भी होता है। इसमें पानी, आग निरोधक रसायन अग्नि कवच अग्निशमकों की आग निरोधक पोशाकें जल गिराने वाले विमान, अग्निशमकों के विशेष वाहन, वगैरहा शामिल हैं। अलग–अलग तरह की आग के लिए अग्निशमक भिन्न चीजों का प्रयोग करते हैं, मसलन बिजली से लगी आग के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जाता अग्निशमन यंत्र आग से बचाव की एक युक्ति है जिसकी सहायता से छोटे आकार की आग को बुझाया जा सकता है या उसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह प्रायः आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है। किन्तु यह ऐसी आग के बुझाने या नियंत्रण के लिये प्रयुक्त नहीं होता जो बहुत विकराल रूप ले चुकी हो। प्रायः अग्निशमन यंत्र में एक बेलनाकार दाब पात्र (Pressure Vessel) होता है जिसमें एक ऐसा पदार्थ भरा रहता है जिसे छोड़ने पर वह आग बुझाने में सहायक होता है।

PTS Kherwara, Udaipur

संगठन अग्निशमन सेवा

↓

डायरेक्टर (निदेशक) सम्पूर्ण फायर सर्विस का इंचार्ज होता है।

↓

चीफ फायर ऑफिसर एक महानगर की फायर सर्विस का इंचार्ज होता है।

↓

डिप्टी सीएफओ –

↓

फायर ऑफिसर

शाखाये–

ट्रेलर पम्प 50,000 हजार की आबादी पर छोटी ट्रेलर पम्प होता है। पम्पिंग यूनिट एक लाख की आबादी पर एक फायर टेण्डर (अग्निशमन वाहन) होता है। औद्योगिक क्षेत्र में यह नियम लागू नहीं होता है। जयपुर में 12 अग्निशमन केन्द्र है व अन्य 4 निर्माणाधीन हैं।

स्टाफ (कर्मचारी)

ट्रेलर पम्प व एक अग्निशमन वाहन पर 04 फायरमैन, एक लीडिंग फायरमैन, एक ड्राईवर इस प्रकार 06 आदमियों को मिलाकर 01 कू (यूनिट) बनता है 25 प्रतिशत स्टॉफ रिजर्व में रहता है। अग्निशमन सेवा का डायरेक्टर नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग के अधीन है भर्ती इसी विभाग के अधीन होती है व यह नियमित राजकीय सेवा है इनको हार्ड ड्यूटी भत्ता मिलता है। इसमें आग बुझाने के लिए जैसी आग होती है, वैसे वाहन की व्यवस्था होती है।

वाहनों के प्रकार

1. वाटर टेण्डी– पानी फेंकता है।
2. मल्टीपरपज क्रास टेण्डर– फेंकता है। पानी फोम + $CO2$ + Dry Chemical power
3. DCP टेण्डर– DCP फेंकता है।
4. $CO2$ टेण्डर– $CO2$ फेंकता है।
5. फोम टेण्डर
6. हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (स्नकिल लैडर) हाइराईज बिल्डिंग की आग बुझाने के काम आता है। (40 से 200 फीट तक)
7. टर्नटेबल लैडर TTL हार्डराईज बिल्डिंग की आग बुझाने के काम आती है।
8. हजमत वाहनः– (रेस्क्यू टेण्डर) बिल्डिंग गिरने आदि की स्थिति में काम आती है। हाइड्रॉलिक जैक कटर आदि उपकरणों से लैस होती है।

PTS Kherwara, Udaipur

पुलिस के रैंक व बैजेज–

नाम/पद	बैज	रिबन	स्टार	बिसल कोड	टोपी	मोनोग्राम
कॉन्सटेबल	राज० पुलिस	–	–	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
हैड कानि.	राज० पुलिस	–	तीन फीत	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
ए.एस.आई.	राज० पुलिस	लाल, नीली	एक	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
उ.नि.	राज० पुलिस	लाल, नीली	दो	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
पुलिस निरीक्षक	राज० पुलिस	लाल, नीली	तीन	खाकी	खाकी	राज. पुलिस
उप अधीक्षक	आर०पी०एस०	–	तीन	नीली	नीली	आर.पी.एस.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	आर०पी०एस०	–	अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आर.पी.एस.
नोटः– सलेक्शन ग्रेड पर अति० पुलिस अधीक्षक के एक स्टार व अशोक स्तम्भ लगता है।						
पुलिस अधीक्षक	आई०पी०एस०	–	एक स्टार, अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आई.पी.एस.
नोटः– सलेक्शन ग्रेड पर पुलिस अधीक्षक (एस.एस.पी.) के दो स्टार, एक अशोक स्तम्भ व कॉलरैब लगता है।						
उप महानिरीक्षक पुलिस	आई०पी०एस०	कॉलरैब	तीन स्टार, अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आई.पी.एस.
महानिरीक्षक पुलिस	आई०पी०एस०	कॉलरैब	बेटन कॉसव एक स्टार	नीली	नीली	आई.पी.एस.
अति. महानिदेशक पुलिस	आई०पी०एस०	कॉलरैब	बेटन कॉस, अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आई.पी.एस.
महानिदेशक पुलिस	आई०पी०एस०	कॉलरैब	बेटन कॉस, अशोक स्तम्भ	नीली	नीली	आई.पी.एस.

अधिकारियों, विशिष्ट व्यक्तियों के वाहनों पर लगने वाले झण्डे, तारे व चिन्ह :–

कारों के फ्लेग व स्टारः

1. उप महानिरीक्षक पुलिस के कार के आगे व पीछे एक स्टार तथा तिकोना फ्लेग

PTS Kherwara, Udaipur

2. महानिरीक्षक पुलिस की कार के दो स्टार व फ्लेग

3. महानिदेशक पुलिस के कार के तीन स्टार
व आयताकार फ्लेग

गणमान्य व्यक्तियों जो अपने वाहन पर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं –
1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के उपराष्ट्रपति
3. गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स
4. विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुख
5. प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री
6. संघ के राज्य मंत्री और उप मंत्री
7. राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य और संघ शासित प्रदेशों के अन्य कैबिनेट मंत्री
8. राज्य सरकार में राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उप मंत्री
9. लोकसभा के अध्यक्ष
10. राज्य सभा के उपाध्यक्ष
11. लोक सभा के उपाध्यक्ष
12. राज्यों में विधान परिषदों के अध्यक्ष
13. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष
14. राज्यों विधान परिषदों के उपाध्यक्ष
15. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा के उपाध्यक्ष
16. भारत के मुख्य न्यायाधीश
17. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
18. उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
19. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

PTS Kherwara, Udaipur

4- Allied Institutions S.C.R.B., Fingerprint Bureau, C.I.D. Crime, State Intelligence Bureau, Armed Units, Railway Police, Director of prosecution, Communication, State Traffic Branch, D.F.S., A.T.S., S.O.G., Home Guard and Civil Defiance, A.C.B., Special Police Officer, State Police Training Academy, state Commando, State Vigilance Bureau, Fire Services, Home **Department, Jail, state Police Housing Corporation**
(Modification can be done as per the state police organization / structure).

राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB)

राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (State Crime Records Bureau – SCRB) पुलिस विभाग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट तकनीकी शाखा है। आधुनिक पुलिसिंग में जब तक अपराधियों का डेटा, फिंगरप्रिंट और केस हिस्ट्री व्यवस्थित रूप से सुरक्षित नहीं होगी, तब तक धरातल पर काम करने वाली पुलिस (Field Police) किसी भी अपराध को वैज्ञानिक तरीके से नहीं सुलझा सकती।

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- ✔ राष्ट्रीय स्तर पर: राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977–1981) और गृह मंत्रालय के कार्यबल की सिफारिशों पर 1986 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की स्थापना हुई।
- ✔ राज्य स्तर पर (राजस्थान का विशेष संदर्भ): राजस्थान में तकनीकी और कंप्यूटर विकास के लिए 2 फरवरी 1980 को "राजस्थान पुलिस कंप्यूटर सेंटर" की स्थापना की गई थी। आगे चलकर 16 अगस्त 1986 को इसका नाम और स्वरूप बदलकर स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (SCRB), राजस्थान कर दिया गया। इसका मुख्य कार्यालय जयपुर में पुलिस मुख्यालय (PHQ) में स्थित है।

2. संगठनात्मक ढांचा

SCRB सीधे राज्य पुलिस मुख्यालय (PHQ) के अधीन कार्य करता है। इसका नेतृत्व एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करते हैं:

$$\text{अतिरिक्त महानिदेशक (ADGP)} \longrightarrow \text{महानिरीक्षक (IGP)} \longrightarrow \text{पुलिस अधीक्षक (SP)}$$

इसके प्रशासनिक और तकनीकी संचालन के लिए निम्नलिखित अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त होते हैं:

- ✔ उप पुलिस अधीक्षक (Dysp) एवं पुलिस निरीक्षक (Inspectors)
- ✔ तकनीकी स्टाफ (सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, डेटा एंट्री ऑपरेटर)
- ✔ फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ (Fingerprint Experts)

3. SCRB की प्रमुख शाखाएं और उनके कार्य

SCRB मुख्य रूप से तीन बड़े विंग्स के माध्यम से काम करता है:

(क) पुलिस कंप्यूटर केंद्र और CCTNS विंग

यह विंग पुलिसिंग के डिजिटल ढांचे को संभालती है:

- ✔ CCTNS (Crime and Criminal Tracking Network – Systems): इसके तहत राज्य के सभी पुलिस थानों, सर्किल कार्यालयों, SP कार्यालयों और पुलिस मुख्यालय को एक ही

PTS Kherwara, Udaipur

सुरक्षित नेटवर्क से जोड़ा गया है। थानों में दर्ज होने वाली FIR, चार्जशीट और केस डायरी सीधे CCTNS पोर्टल पर लाइव फीड की जाती है०

- ✔ ICJS (Interoperable Criminal Justice System) का एकीकरणरू यह पोर्टल पुलिस के डेटाबेस को कोर्ट, जेल, अभियोजन (Prosecution) और फोरेंसिक लैब के साथ जोड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अपराधी को अदालत सजा सुनाती है, तो जेल विभाग और पुलिस दोनों के पास उसका रिकॉर्ड तुरंत अपडेट हो जाता है।
- ✔ नागरिक सेवाएं (Citizen Services): आम जनता के लिए चरित्र सत्यापन (Character Verification), गुमशुदगी की रिपोर्ट, किरायेदार सत्यापन (Tenant Verification) और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के पोर्टल्स का बैक–एंड प्रबंधन भी इसी विंग के पास होता है।

(ख) फिंगर प्रिंट ब्यूरो (Finger Print Bureau – FPB)

अपराधियों की पहचान के लिए यह विंग वैज्ञानिक रीढ़ की हड्डी है:

- ✔ केंद्रीय डेटाबेस (Automated Fingerprint Identification System – AFIS/NAFIS): गिरफ्तार और सजायाफ्ता अपराधियों के 10–अंगुलियों के प्रिंट की रिकॉर्ड स्लिप (10–Digit Slips) को डिजिटल रूप से सहेजा जाता है।
- ✔ चांस प्रिंट (Chance Prints) विश्लेषण: घटनास्थल से फोरेंसिक टीम द्वारा उठाए गए अदृश्य या धुंधले फिंगरप्रिंट्स को यह ब्यूरो अपने डेटाबेस से मिलाकर संदिग्ध की पहचान करता है।
- ✔ न्यायालय में साक्ष्य (Expert Opinion): फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स अदालतों में जाकर वैज्ञानिक गवाह के रूप में अपनी तकनीकी राय प्रस्तुत करते हैं, जो सजा दिलाने (Conviction Rate बढ़ाने) में निर्णायक साबित होती है।

(ग) मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो (Modus Operandi Bureau – MOB)

हर शातिर अपराधी के काम करने का एक खास तरीका (Modus Operandi) होता है (जैसे– केवल रात में ताला तोड़कर चोरी करना, खिड़की के कांच काटना, या खास तरह के हथियार का उपयोग)।

- ✔ अपराध शैली का वर्गीकरण: डव्ळ आदतन अपराधियों की अपराध शैली का डेटा कार्ड तैयार करता है।
- ✔ संदिग्धों की सूची: जब किसी नए मामले में विशिष्ट शैली (Pattern) दिखाई देती है, तो डव्ळ जांच अधिकारी को उस शैली के सक्रिय पुराने अपराधियों की सूची (Dossiers) सौंपता है।

4. सांख्यिकी और अनुसंधान

SCRB पूरे राज्य के थानों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके अपराध के रुझानों (Crime Trends) पर नजर रखता है:

- ✔ वार्षिक प्रकाशन: यह हर साल "क्राइम इन राजस्थान" (या संबंधित राज्य की अपराध रिपोर्ट) का विस्तृत डेटा संकलन प्रकाशित करता है।
- ✔ NCRB को डेटा प्रेषण: राज्य का यही संकलित डेटा केंद्र सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजा जाता है, जिससे देश की प्रसिद्ध रिपोर्ट "Crime in India" तैयार होती है।

PTS Kherwara, Udaipur

- ✔ संवेदनशील क्षेत्रों (Hotspots) की मैपिंग: किस क्षेत्र में किस तरह के अपराध (जैसे साइबर क्राइम, महिला अपराध या वाहन चोरी) बढ़ रहे हैं, इसका सांख्यिकीय विश्लेषण कर फील्ड पुलिस को सचेत करना।

5. खोए–पाए (Missing – Recovered) प्रकोष्ठ का प्रबंधन

यह विंग मानवीय दृष्टिकोण और संपत्ति की रिकवरी के लिए बहुत उपयोगी है:

- ✔ गुमशुदा इंसान और अज्ञात शव: राज्य के लापता बच्चों/व्यक्तियों और लावारिस मिले शवों के शारीरिक लक्षणों, कपड़ों और तस्वीरों का मिलान करना।
- ✔ चोरी की गाड़ियां और हथियार: 'मोटर वाहन समन्वय प्रणाली' के तहत चोरी गए वाहनों के चेसिस/इंजन नंबरों का मिलान देश भर के चोरी हुए डेटा से करना।

6. जिला स्तर पर इसकी सहयोगी इकाई: DCRB

SCRB सीधे राज्य मुख्यालय से काम करता है, लेकिन हर जिले में इसकी एक छोटी सहायक इकाई होती है जिसे District Crime Records Bureau (DCRB) कहा जाता है।

DCRB जिले के थानों से डेटा एकत्र कर उसे जांचता है और फिर आगे SCRB को भेजता है।
यह जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को जिले के अपराध ग्राफ की सटीक स्थिति से अवगत कराता है।

7. संक्षेप में – SCRB का महत्व

विशेषता	विवरण
प्रकृति	पुलिस का तकनीकी और अनुसंधान सहायक विंग
मुख्य तकनीक	CCTNS, ICJS, NAFIS (अंगुल चिह्न मिलान प्रणाली)
बड़ा लाभ	अंतर–राज्यीय अपराधियों को पकड़ना आसान, पुलिसिंग में पारदर्शिता
नागरिक	सुरक्षाऑनलाइन वेरिफिकेशन, गुमशुदा बच्चों की तलाश में त्वरित मदद

फिंगरप्रिंट ब्यूरो

फिंगरप्रिंट ब्यूरो (Fingerprint Bureau) पुलिस प्रशासन और फोरेंसिक विज्ञान का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य काम अपराधियों के उंगलियों के निशान (fingerprints) को इकट्ठा करना, उनका वर्गीकरण (classification) करना, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और अपराध अनुसंधान (criminal investigation) में वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है।

भारत में उंगलियों के निशान के आधार पर पहचान करने की प्रणाली का एक लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है। दुनिया का सबसे पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो 1897 में कोलकाता (तब कलकत्ता) में स्थापित किया गया था।

1. संगठनात्मक ढांचा

भारत में फिंगरप्रिंट ब्यूरो मुख्य रूप से दो स्तरों पर काम करता है

PTS Kherwara, Udaipur

क) केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो

- ✔ यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।
- ✔ इसका मुख्य कार्य देश भर के अंतर–राज्यीय (inter–state) और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड का रख–रखाव करना है।

ख) राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो

- ✔ प्रत्येक राज्य में अपना एक फिंगरप्रिंट ब्यूरो होता है जो आमतौर पर राज्य की CID (Crime Branch) या SCRB (State Crime Records Bureau) के तहत काम करता है।
- ✔ उदाहरण के लिए: राजस्थान में राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो जयपुर में स्थित है, जो राजस्थान पुलिस के तहत काम करता है और राज्य स्तर के अपराधियों का डेटाबेस संभालता है।

2- मुख्य कार्य और भूमिका

फिंगरप्रिंट ब्यूरो के कार्य केवल रिकॉर्ड रखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह आधुनिक पुलिसिंग का एक रीढ़ की हड्डी है:

- ✔ घटनास्थल का निरीक्षण (Crime Scene Investigation): जघन्य अपराधों (जैसे मर्डर, डकैती, चोरी) के मामलों में फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ घटनास्थल पर जाकर श्चांस प्रिंट्सश (chance prints – जो अपराधी अनजाने में छोड़ जाता है) को वैज्ञानिक तरीकों (पाउडर, केमिकल या लेजर) से विकसित (develop) करते हैं।
- ✔
- ✔ रिकॉर्ड का रख–रखाव (Ten–Digit Finger Print Cards): गिरफ्तार किए गए अपराधियों के दोनों हाथों की दसों उंगलियों के निशान (स्लिप) तैयार कर उन्हें वर्गीकृत करके डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है।
- ✔ संदेहास्पद व्यक्तियों और अज्ञात शवों की पहचानरू संदिग्धों की उंगलियों के निशान का मिलान पुराने रिकॉर्ड से करके उनकी सही पहचान और आपराधिक इतिहास (criminal history) का पता लगाया जाता है। साथ ही, लावारिस या विकृत शवों (unidentified dead bodiè) की पहचान में भी यह ब्यूरो अहम भूमिका निभाता है।
- ✔ न्यायालय में विशेषज्ञ राय (Expert Opinion in Court): फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स अदालत में वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) (पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45) के तहत फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की राय को अदालत में सुसंगत साक्ष्य (relevant evidence) माना जाता है।

3. आधुनिक तकनीक:

वर्तमान में फिंगरप्रिंट मिलान का काम पूरी तरह डिजिटल और तेज हो गया है। इसके लिए NAFIS (National Automated Fingerprint Identification System) का उपयोग किया जा रहा है।

NAFIS क्या है?

यह एक देशव्यापी वेब–आधारित एप्लीकेशन है जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपराधियों का फिंगरप्रिंट डेटा रियल–टाइम में उपलब्ध रहता है। इसकी मदद से देश के किसी भी कोने में बैठे पुलिस अधिकारी महज कुछ ही मिनटों में संदिग्ध का मिलान पूरे राष्ट्रीय डेटाबेस से कर

PTS Kherwara, Udaipur

सकते हैं। NAFIS प्रत्येक अपराधी को एक विशिष्ट NSI (National Fingerprint Number) आवंटित करता है जो उसकी जीवनभर की विशिष्ट पहचान बन जाता है।

अपराध अन्वेषण विभाग (CID)

यह राज्य पुलिस की सर्वोच्च और विशिष्ट जांच शाखा (Apex Specialized Investigation Wing) है। इसका मुख्य कार्य राज्य के भीतर होने वाले अत्यंत जटिल, संवेदनशील, अंतर–जिला और सनसनीखेज मामलों की निष्पक्ष व वैज्ञानिक जांच करना है। थानों की पुलिस (Local Police) जब किसी मामले को सुलझाने में असमर्थ होती है या मामला गंभीर रूप ले लेता है, तब सरकार या न्यायालय द्वारा जांच ब्ध्क को सौंपी जाती है।

1. स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Evolution)

- ✔ पुलिस आयोग 1902–03: ब्रिटिश काल के दौरान 'लॉर्ड कर्जन' द्वारा गठित श्भारतीय पुलिस आयोग (1902–03)' की सिफारिशों के आधार पर देश के सभी प्रांतों (States) में CID का गठन किया गया था।
- ✔ शुरुआती उद्देश्य: स्वतंत्रता से पहले इसका मुख्य उद्देश्य न केवल गंभीर आपराधिक मामलों की जांच करना था, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों की राजनीतिक गतिविधियों पर खुफिया नजर रखना भी था (जिसके लिए बाद में इसकी 'इंटेलिजेंस विंग' को अलग किया गया)।

2. प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा (Administrative Setup)

- ✔ मूल कमान: यह सीधे राज्य पुलिस मुख्यालय (जैसे राजस्थान पुलिस मुख्यालय) की एक प्रमुख शाखा है, जो राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के प्रति जवाबदेह होती है।
- ✔ शीर्ष नेतृत्व: CID का नेतृत्व आमतौर पर अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) या महानिरीक्षक (IG) रैंक के वरिष्ठ आईपीएस (IPS) अधिकारी करते हैं, जिन्हें प्रमुख, CID या ADG (Crime) कहा जाता है।
- ✔ शाखाएं (Wings): कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्ध्क को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है:

I. CID (CB – Crime Branch): यह केवल गंभीर और जटिल अपराधों की जांच/विवेचना (Investigation) करती है।

II. CID (SB – Special Branch) / इंटेलिजेंस: यह मुख्य रूप से राज्य की आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक हलचल, कानून–व्यवस्था के इनपुट और खुफिया जानकारियां (Intelligence) जुटाती है।

3. क्षेत्राधिकार और शक्तियां (Jurisdiction – Legal Power)

उस्ताद की टिप: क्लास के प्रशिक्षुओं को CBI और CID का अंतर स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। CBI एक केंद्रीय एजेंसी है, जबकि CID पूरी तरह से राज्य पुलिस का ही एक हिस्सा है।

DTS Kherwara, Udaipur

- ✔ अधिकार क्षेत्र: CID का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य होता है। स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र केवल उनके पुलिस स्टेशन की सीमा (Territorial Limits) तक सीमित होता है, लेकिन CID अधिकारी राज्य के किसी भी हिस्से में जाकर कानूनी रूप से जांच कर सकते हैं।
- ✔ मामला हाथ में लेने की प्रक्रिया: CID सीधे किसी भी सामान्य अपराध की FIR दर्ज नहीं करती। यह जांच तभी संभालती है जब:

i. राज्य सरकार या पुलिस महानिदेशक (DGP) लिखित आदेश जारी करें।

ii. राज्य का उच्च न्यायालय (High Court) या सर्वोच्च न्यायालय जांच CID को स्थानांतरित (Transfer) करने का निर्देश दे।

4. CID के मुख्य प्रभाग और विशिष्ट इकाइयाँ (Specialized Cells)

एक विवेचक (IO) के रूप में आपको पता होना चाहिए कि गंभीर मामलों में वैज्ञानिक सहायता के लिए CID के तहत कौन से विशेष सेल काम करते हैं:

- ✔ मानव तस्करी विरोधी इकाई (Anti&Human Trafficking Unit – AHTU): बच्चों और महिलाओं की तस्करी, अनैतिक व्यापार और गुमशुदा बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल विंग।
- ✔ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (Economic Offences Wing – EOW): करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले, बड़े भूमि घोटाले (Land Scams) और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली वित्तीय धोखाधड़ी की जांच।
- ✔ साइबर अपराध पुलिस थाना (Cyber Crime Cell): जटिल साइबर हमलों, डेटा चोरी और राज्य स्तर के बड़े तकनीकी अपराधों को क्रैक करना।
- ✔ स्वापक नियंत्रण प्रकोष्ठ (Narcotics Cell): अंतर–जिला या अंतर–राज्यीय मादक पदार्थों (Drugs) की तस्करी और NDPS एक्ट के तहत बड़े गिरोहों का भंडाफोड़ करना।

5. नए कानूनों (BNS, BNSS, BSA) के तहत CID की कार्यप्रणाली

- ✔ वैज्ञानिक विवेचना और डिजिटलीकरण: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत साक्ष्यों की वीडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। CID अपने केसों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के कड़े मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य FSL और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से "अचूक केस फाइल" (Foolproof Case File) तैयार करती है।
- ✔ दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) बढ़ाना: चूंकि CID के पास थानों की तरह कानून–व्यवस्था (Law – Order) या वीआईपी सुरक्षा का रोजमर्रा का बोझ नहीं होता, इसलिए इसके विवेचक पूरी तरह से वैज्ञानिक साक्ष्य और कड़ियों को जोड़ने में ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे न्यायालय में सजा कराने की दर उच्च होती है।

आसूचना ब्यूरो (Intelligence Bureau – IB)

यह भारत की सर्वोच्च आंतरिक खुफिया एजेंसी (Internal Intelligence Agency) है। इसका मुख्य कार्य देश के भीतर होने वाली राष्ट्रविरोधी गतिविधियों, जासूसी (Espionage), आतंकवाद, उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े खतरों की गुप्त रूप से जानकारी जुटाना और सरकार को सचेत करना है।

PTS Kherwara, Udaipur

1. स्थापना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Evolution)

- ✔ विश्व की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक: इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल के दौरान 23 दिसंबर 1887 को 'सेंट्रल स्पेशल ब्रांच' के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के उत्तर–पश्चिमी मोर्चे पर रूसी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखना था।
- ✔ CBI से अलग होना: स्वतंत्रता के बाद, वर्ष 1947 में इसका पुनर्गठन किया गया। शुरुआत में यह देश के भीतर और बाहर (अंतरराष्ट्रीय) दोनों स्तरों पर खुफिया काम देखती थी, लेकिन वर्ष 1968 में विदेशी खुफिया जानकारी के लिए 'रॉ' (R&AW) का गठन होने के बाद IB को पूरी तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया गया।

2. प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा (Administrative Setup)

- ✔ मूल मंत्रालय: यह सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है।
- ✔ शीर्ष नेतृत्व: इसके सर्वोच्च अधिकारी को निदेशक, आसूचना ब्यूरो (Director, Intelligence Bureau – DIB) कहा जाता है। यह भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों में से होते हैं। डीआईबी भारत की 'रणनीतिक नीति समूह' (Strategic Policy Group) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख सदस्य होते हैं।
- ✔ मुख्यालय: नई दिल्ली।

3. कानूनी स्थिति और कार्यप्रणाली (Legal Status – Work Pattern)

उस्ताद की टिप (अति–महत्वपूर्ण): क्लास के जवानों को यह जानना बहुत जरूरी है कि IB कोई पुलिस थाना नहीं है और न ही इसके पास किसी को गिरफ्तार करने की कानूनी शक्ति है।

- ✔ कोई दंडात्मक शक्ति नहीं: IB के पास अपराधियों या संदिग्धों को गिरफ्तार करने, तलाशी वारंट जारी करने या किसी मामले की FIR दर्ज करके विवेचना (Investigation) करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है।
- ✔ शुद्ध रूप से खुफिया काम (Proactive Intelligence): इसका कार्य केवल "सूचना (आसूचना) का संकलन" करना है। यह गुप्त सूत्रों, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी (Intercepts) और तकनीकी माध्यमों से देश विरोधी साजिशों का पता लगाती है।
- ✔ गुप्त बजट: यह सीधे संसद या सूचना के अधिकार (RTI) के प्रति सामान्य रूप से जवाबदेह नहीं होती। इसके संचालन और बजट को अत्यधिक गोपनीय रखा जाता है।

4. राज्य पुलिस और IB का आपसी समन्वय (Police-IB Interface)

फील्ड में काम करते समय जिला पुलिस (SP कार्यालय) और थानों का IB के साथ सीधा और बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव होता है:

- ✔ SIB (Subsidiary Intelligence Bureau): प्रत्येक राज्य की राजधानी में प्ठ का एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है, जिसे SIB कहा जाता है (जैसे जयपुर में SIB कार्यालय)। इसके प्रमुख संयुक्त निदेशक या उप–निदेशक स्तर के आईपीएस अधिकारी होते हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

- ✔ इंटेलिजेंस इनपुट साझा करना (Alerts): जब IB को किसी आतंकवादी हमले, सांप्रदायिक दंगे या बड़े वीआईपी (VIP) की सुरक्षा में चूक का इनपुट मिलता है, तो वह तुरंत संबंधित राज्य के DGP और जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को "खुफिया इनपुट/अलर्ट" भेजती है।
- ✔ एक्शन पुलिस लेती है: IB से मिले इनपुट के आधार पर संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने, रेड डालने या सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का जमीनी कार्य (Action) स्थानीय पुलिस या विशेष कमांडो विंग (जैसे ATS/SOG) द्वारा ही किया जाता है।

5. नए कानूनों (BNS, BNSS) और आधुनिक सुरक्षा में IB की भूमिका

- ✔ मल्टी–एजेंसी सेंटर (MAC): आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक MAC (Multi–Agency Center) काम करता है, जिसे ठ संचालित करती है। इसमें देश की सभी जांच और खुफिया एजेंसियां (जैसे राज्य पुलिस की CID/Intelligence, NIA, RAW, Military Intelligence) एक साथ बैठकर रीयल–टाइम डेटा साझा करती हैं।
- ✔ साइबर और डार्क वेब सर्विलांस: नए युग के डिजिटल अपराधों और आतंकवादियों द्वारा सोशल मीडिया/डार्क वेब के जरिए युवाओं को बरगलाने की साजिशों को क्रैक करने के लिए IB तकनीकी स्तर पर राज्य पुलिस की खुफिया शाखाओं को इनपुट प्रदान करती है।

अभियोजन निदेशालय (Directorate of Prosecution)

अभियोजन निदेशालय राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्वतंत्र अंग है। इसका मुख्य कार्य पुलिस द्वारा जांच (Investigation) के बाद अदालत में पेश किए गए मामलों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी (Prosecution) करना और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 18 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 24A/25।) के तहत प्रत्येक राज्य सरकार में अभियोजन निदेशालय के गठन का स्पष्ट प्रावधान है।

1. संगठनात्मक ढांचा (Organizational Structure)

अभियोजन निदेशालय आमतौर पर राज्य के गृह विभाग (Home Department) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका ढांचा शीर्ष स्तर से लेकर जिला स्तर तक इस प्रकार होता है:

निदेशक, अभियोजन (Director of Prosecution)

|

उप–निदेशक / संयुक्त निदेशक (Deputy/Joint Director)

|

जिला अभियोजन अधिकारी (District Prosecution Officer – DPO)

PTS Kherwara, Udaipur

|

–

अपर लोक अभियोजक (Addl- Public Prosecutor – APP) (सत्र न्यायालय / Sessions Court में कार्यरत)	सहायक लोक अभियोजक(Assistant Public Prosecutor–Assistant PP) (मजिस्ट्रेट न्यायालय / Magistrate Court में कार्यरत)

शीर्ष पद:

निदेशक (Director of Prosecution): निदेशालय का प्रमुख होता है। इसकी नियुक्ति राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाती है। इस पद पर किसी सेवारतध्सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) या वरिष्ठ अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है।

2. मुख्य कार्य एवं जिम्मेदारियां (Core Functions – Duties)

✔ अभियोजन निदेशालय पुलिस जांच और अदालती सुनवाई के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करता है:

1. अदालतों में राज्य का प्रतिनिधित्व:

✔ पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट (आरोप पत्र) के आधार पर अदालतों में पीड़ितों/राज्य की ओर से मुकदमा लड़ना और अभियुक्तों को सजा दिलाना।

2. कानूनी परामर्श (Legal Opinion):

✔ पेचीदा या गंभीर मामलों में पुलिस अधिकारियों (SP/Investigating Officer) को कानूनी राय देना कि मामला अदालत में टिकने योग्य है या नहीं।

3. जांच एवं साक्ष्यों की संवीक्षा (Scrutiny of Charge–sheets):

✔ चालान/चार्जशीट को अदालत में पेश करने से पहले यह जांचना कि क्या सभी आवश्यक साक्ष्य और कानूनी धाराएं सही तरीके से लगाई गई हैं।

4. अपील दायर करने की समीक्षा:

✔ यदि किसी मामले में अभियुक्त बरी (Acquit) हो जाता है या कम सजा मिलती है, तो उच्च अदालत (High Court/Sessions Court) में अपील (Appeal) या निगरानी (Revision) याचिका दायर करने की सिफारिश करना।

5. सरकारी वकीलों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण:

✔ जिलों में तैनात लोक अभियोजकों (Public Prosecutors), अपर लोक अभियोजकों और सहायक लोक अभियोजकों के कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करना।

3. पुलिस और अभियोजन में पृथक्करण (Independence of Prosecution)

डी.के. बासु और अन्य ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों के बाद अभियोजन पक्ष को पुलिस नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया गया है:

PTS Kherwara, Udaipur

- ✔ निष्पक्षता: पुलिस का काम केवल अपराध का अनुसंधान (Investigation) करना और साक्ष्य जुटाना है, जबकि यह तय करना कि साक्ष्य अदालत में सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, अभियोजन (Prosecutor) का काम है।
- ✔ नियंत्रण: सहायक लोक अभियोजक या लोक अभियोजक सीधे अभियोजन निदेशक के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि जिला पुलिस कप्तान (SP) के प्रति।

होमगार्ड Home Guards

होमगार्ड (Home Guards / नागरिक सुरक्षा बल) भारत में एक स्वयंसेवी बल (Voluntary Force) है, जो आपदाओं, आपात स्थिति और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में राज्य पुलिस की सहायता करता है।

यह नागरिक सुरक्षा (Civil Defence) और सामुदायिक सेवा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

1. स्थापना और पृष्ठभूमि

- ✔ शुरुआत: भारत में होमगार्ड्स का गठन सबसे पहले दिसंबर 1946 में बॉम्बे प्रांत में नागरिक अशांति और दंगों के दौरान पुलिस की मदद के लिए किया गया था।
- ✔ राष्ट्रीय पुनर्गठन: 1962 में चीन–भारत युद्ध के बाद, केंद्र सरकार की सलाह पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होमगार्ड्स का पुनर्गठन किया गया।
- ✔ कानूनी आधार: प्रत्येक राज्य का अपना होमगार्ड अधिनियम (Home Guards Act) और नियमावली (Rules) होती है, जिसके तहत इनकी भर्ती और सेवाएं संचालित होती हैं।

2. संगठन और प्रशासनिक ढांचा

होमगार्ड्स का ढांचा राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभाजित है:

- ✔ केंद्रीय स्तर: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA) में महानिदेशक (नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक – DG Civil Defence – Home Guards) इसकी नीतियों और बजट का समन्वय करते हैं।
- ✔ राज्य स्तर: राज्य स्तर पर इसका नेतृत्व महानिदेशक / समादेष्टा (Director General / Commandant General] Home Guard) करते हैं, जो आमतौर पर एक वरिष्ठ IPS अधिकारी होते हैं।
- ✔ जिला स्तर: जिले में इसका प्रबंधन जिला समादेष्टा (District Commandant) द्वारा किया जाता है।

3. होमगार्ड्स के मुख्य कार्य एवं भूमिका (Functions – Duties)

1. कानून–व्यवस्था में सहायता: त्योहारों, चुनावों, वीआईपी दौरों, और सम्मेलनों के दौरान भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा में राज्य पुलिस की सहायता करना।
2. आपातकाल व आपदा प्रबंधन: भूकंप, बाढ़, आगजनी या चक्रवात जैसी प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों (Rescue Operations) में प्राथमिक बल के रूप में कार्य करना।

PTS Kherwara, Udaipur

3. महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा: सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों में सुरक्षा गार्ड के रूप में ड्यूटी देना।
4. यातायात नियंत्रण: शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यातायात प्रबंधन संभालना।
5. सीमा सुरक्षा (Border Wing Home Guards): कुछ सीमावर्ती राज्यों (जैसे राजस्थान, पंजाब, असम) में 'बॉर्डर विंग होम गार्ड्स' (BWHG) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की द्वितीय पंक्ति (Second Line of Defense) के रूप में BSF और सशस्त्र बलों की मदद करते हैं।

4. सेवा की प्रकृति (Nature of Service)

- ✔ स्वयंसेवी बल (Voluntary Force): होमगार्ड्स नियमित पुलिस बल की तरह स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि यह एक पार्ट–टाइम/वॉलंटरी कैडर है।
- ✔ मानदेय (Duty Allowance): इन्हें मासिक वेतन की जगह दैनिक कर्तव्य भत्ता (Daily Duty Allowance) दिया जाता है, जब उन्हें ड्यूटी के लिए बुलाया (Call–up) जाता है।
- ✔ प्रशिक्षण (Training): भर्ती के बाद होमगार्ड्स को परेड, हथियारों को संभालने (Irms handling), प्राथमिक चिकित्सा (First Aid), अग्निशमन (Firefighting) और आपदा प्रबंधन का विशेष इनडोर/आउटडोर प्रशिक्षण दिया जाता है।

पुलिस और होमगार्ड्स में अंतर

आधार	राज्य पुलिस (State Police)	होमगार्ड (Home Guards)
प्रकृति	स्थायी सरकारी नौकरी (Regular Force)	स्वयंसेवी बल (Voluntary / Part-time)
मुख्य कार्य	स्वतंत्र रूप से अपराध की जांच (Investigation) व कानून-व्यवस्था Unknown	पुलिस और नागरिक सुरक्षा बलों की सहायता करना
कानूनी शक्तियां	FIR दर्ज करना, गिरफ्तारी और जांच का पूरा अधिकार Unknown	केवल पुलिस के साथ ड्यूटी के दौरान सीमित शक्तियां
भुगतान	नियमित मासिक वेतन व पेंशन	दैनिक आधार पर मानदेय (Allowance)

नागरिक सुरक्षा (Civil Defence)

सिविल डिफेन्स (नागरिक सुरक्षा) किसी भी देश का वह संगठनात्मक ढांचा है, जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या किसी भी प्रकार की प्राकृतिक व मानव–निर्मित आपदा के दौरान आम नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना होता है।

1. मुख्य उद्देश्य (Core Objectives)

जीवन और संपत्ति की सुरक्षा: आपदा या हमले के समय जन–धन की हानि को न्यूनतम करना।
उत्पादन और आपूर्ति बनाए रखनारू संकट के समय आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना।

PTS Kherwara, Udaipur

जनता का मनोबल बढ़ाना: अफवाहों को रोकना और नागरिकों में घबराहट (Panic) फैलने से रोकना। पुलिस और प्रशासन का सहयोग: कानून–व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और राहत कार्यों में अग्रिम पंक्ति के रूप में कार्य करना।

2. वैधानिक एवं सांगठनिक ढांचा (Legal – Organizational Setup)

- कानूनी आधार: भारत में सिविल डिफेन्स की स्थापना सिविल डिफेन्स एक्ट, 1968 (Civil Defence Act, 1968) के तहत की गई है।
- नोडल मंत्रालयरू गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA), भारत सरकार।
- राज्य व जिला स्तर:

i. राज्य स्तर पर नियंत्रक/डायरेक्टर सिविल डिफेन्स।

ii. जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर (District Magistrate / Collector) इसके नियंत्रक (Controller) होते हैं।

- स्वयंसेवक (Volunteers): इसमें समाज के नागरिक, गृह रक्षक (Home Guards) और विभिन्न क्षेत्रों के स्वयंसेवक शामिल होते हैं।

3. सिविल डिफेन्स की मुख्य सेवाएँ

सिविल डिफेन्स का कार्यक्षेत्र विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक सेवाओं में विभाजित होता है:

सेवा का प्रकार	मुख्य कार्य
कंट्रोल व कम्यूनिकेशन (Control – Comm.)	सूचनाओं का त्वरित आदान–प्रदान और चेतावनी सायरन बजाना।
वार्डन सेवा (Warden Service)	आम जनता और प्रशासन के बीच की मुख्य कड़ीय स्थानीय स्तर पर नेतृत्व।
हवाई हमला चेतावनी (Air Raid Warning)	हमले या संकट की स्थिति में सायरन और ब्लैकआउट लागू करना।
खोज एवं बचाव (Search – Rescue)	ढही हुई इमारतों या मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालना।
प्राथमिक चिकित्सा (First Aid – Medical)	घायलों को तुरंत राहत देना और ट्राइएज (Triage) प्रक्रिया अपनाना।
अग्निशमन सेवा (Fire Fighting)	शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाना और दमकल टीम का सहयोग करना।
कल्याण व राहत (Welfare – Relief)	बेघर हुए लोगों के लिए भोजन, शिविर और कपड़ों की व्यवस्था।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो Anti–Corruption Bureau

एसीबी (ACB) का सामान्य अर्थ भारत में एंटी करप्शन ब्यूरो (Inti–Corruption Bureau / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) से है। यह राज्य सरकारों की एक प्रमुख विशेष जांच एजेंसी (Special

PTS Kherwara, Udaipur

Investigation Agency) होती है, जिसका मुख्य कार्य सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग को रोकना व उसकी जांच करना है।

1. मुख्य उद्देश्य और कार्य

- ✔ रिश्वतखोरी पर कार्रवाई (Trap): लोक सेवकों (Public Servant) द्वारा रिश्वत मांगने पर रंगे हाथों पकड़ने (Trap) के लिए छापेमारी करना।
- ✔ आय से अधिक संपत्ति की जांच (Disproportionate Assets – DA): अधिकारियोंध्कर्मचारियों की आय के वैध स्रोतों से अधिक संपत्ति की जांच करना।
- ✔ पद का दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताएं: सरकारी योजनाओं, निविदाओं (Tenders) और खरीद प्रक्रियाओं में हुए घोटालों या गबन की जांच।
- ✔ सत्यापन (Verification): रिश्वत की मांग से संबंधित शिकायतों का औपचारिक सत्यापन करना।

2. कानूनी अधिकार एवं ढांचा

- ✔ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (Prevention of Corruption Act, 1988): एसीबी मुख्य रूप से इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों (जैसे धारा 7, 13 आदि) की जांच करती है।
- ✔ पुलिस शक्तियां: एसीबी अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) / CrPC के तहत पुलिस थाना घोषित एसीबी चौकियों के माध्यम से जांच करने, एफआईआर (थ्प्) दर्ज करने, तलाशी लेने और गिरफ्तारी के अधिकार प्राप्त होते हैं।
- ✔ नियंत्रण: यह आमतौर पर राज्य के गृह विभाग या सतर्कता (Vigilance) विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक (DGP) या अतिरिक्त महानिदेशक (ADGP) स्तर के अधिकारी करते हैं।

3. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (Complaint Process)

- ✔ शिकायत: यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी किसी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो नागरिक एसीबी के हेल्पलाइन नंबर या कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- ✔ सत्यापन: एसीबी टीम शिकायत की सत्यता की पुष्टि (Verification) के लिए एक प्रारंभिक सत्यापन करती है।
- ✔ ट्रैप (Trap Procedure): शिकायत सही पाए जाने पर रंगे हाथों पकड़ने के लिए फेनोलफ्थलीन पाउडर (Phenolphthalein Powder) का प्रयोग कर ट्रैप की योजना बनाई जाती है और स्वतंत्र गवाहों (Independent Witnesses) की मौजूदगी में कार्रवाई की जाती है।

एटीएस–एसओजी

ATS (Inti&Terrorist Squad / एंटी–टेररिस्ट स्क्वाड) और SOG (Special Operations Group / स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) राज्य पुलिस की दो अति–विशिष्ट और अत्याधुनिक इकाइयाँ हैं। इनका गठन सामान्य पुलिसिंग से परेकृजटिल, संगठित और गंभीर अपराधों तथा आतंकवाद से निपटने के लिए किया जाता है।

राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में ये दोनों इकाइयाँ अक्सर एक ही प्रशासनिक प्रमुख (जैसे ADGP, ATS – SOG) के तहत समन्वित रूप से कार्य करती हैं।

1. ATS (Anti–Terrorist Squad / एंटी–टेररिस्ट स्क्वाड)

prs Kherwara, Udaipur

एटीएस का प्राथमिक ध्यान राज्य में आतंकवाद, कट्टरपंथ और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने पर होता है।

मुख्य कार्य एवं भूमिका:

- ✔ आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन: आतंकवादी नेटवर्क, sleeper cells (स्लीपर सेल) और आतंकवादी गतिविधियों की पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करना।
- ✔ इंटेलिजेंस कलेक्शन (गुप्त सूचना एकत्र करना)रू केंद्रीय एजेंसियों (जैसे प्ठ, छप्।) और अन्य राज्यों के एटीएस बल के साथ तालमेल बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना।
- ✔ कट्टरपंथ (Radicalization) पर रोक: सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रहे कट्टरपंथ और अवैध हथियारोंधविस्फोटकों की तस्करी को रोकना।
- ✔ CBRN और बम निरोधक कायर्रू विस्फोटक सामग्री (IEDs) की बरामदगी तथा बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

2. SOG (Special Operations Group / स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप)

एसओजी का मुख्य उद्देश्य राज्य में संगठित अपराध (Organized Crime) और बड़े पैमाने पर होने वाले आर्थिक व प्रशासनिक अपराधों पर नकेल कसना है।

मुख्य कार्य एवं भूमिका:

- ✔ संगठित आपराधिक गिरोह (Gangs/Gangster): हार्डकोर अपराधियों, अंतरराज्यीय गैंग, सुपारी किलिंग और रंगदारी (EÛtortion) वसूलने वाले गिरोहों का खात्मा।
- ✔ पेपर लीक और भर्ती फर्जीवाड़ा: प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली, डमी कैंडिडेट बिठाने और पेपर लीक करने वाले संगठित माफियाओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई।
- ✔ हथियार व ड्रग्स तस्करी: अवैध हथियारों और मादक पदार्थों (Narcotic) के बड़े अंतरराज्यीय तस्करों को पकड़ना।
- ✔ हाई–प्रोफाइल व जटिल अपराध: ऐसे मामले जहाँ सामान्य पुलिस जांच में तकनीकी या प्रशासनिक जटिलताएँ आती हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा एसओजी को सौंपा जाता है।

3. ATS और SOG की कार्यप्रणाली व शक्तियाँ

- ✔ विशेषज्ञता (Specialization): इन इकाइयों के पास अत्याधुनिक हथियार (जैसे AK–47, MP5, स्नाइपर राइफल), सर्विलांस उपकरण और साइबर/फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम होती है।
- ✔ क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): एटीएस और एसओजी को पूरे राज्य के क्षेत्राधिकार में कार्रवाई करने और एफआईआर (FIR) दर्ज कर स्वयं जांच करने के कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं।
- ✔ तकनीकी एवं गुप्त सर्विलांस: साइबर सेल, कॉल डिटेल एनालिसिस (CDR), IP ड्रैनेट और आधुनिक सर्विलांस टूल्स का उपयोग करके अपराधियों और संदिग्धों को ट्रेस किया जाता है।

4. ATS और SOG में मुख्य अंतर

आधार	ATS (एंटी–टेररिस्ट स्कवाड)SOG	(स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप)
◆ प्राथमिक ध्यान	देश विरोधी गतिविधियाँ, आतंकवाद व बम धमाके	संगठित अपराध, गैंगस्टर्स, भर्ती फर्जीवाड़ा व बड़े घोटाले
◆ सूचना स्रोत	राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां (IB, RAW, NIA)	स्थानीय पुलिस, इंटेलिजेंस व साइबर सर्विलांस

prs khetwara, Udaipur

◆ कार्रवाई का प्रकार	निवारक (Preventive) व गुप्त ऑपरेशन	प्रत्यक्ष छापेमारी, एनकाउंटर और जटिल आपराधिक जांच

जेल (Jail) कारागार

जेल (Jail) या कारागार (Prison) राज्य की आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) का वह महत्वपूर्ण घटक है, जहाँ न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) या सजा पाए अभियुक्तों और कैदियों को रखा जाता है।

आधुनिक पुलिसिंग और प्रशासनिक व्यवस्था में जेल का मुख्य उद्देश्य केवल सजा देना नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास (Reformation – Rehabilitation) प्रदान करना है।

1. जेलों के प्रकार

भारत में प्रशासनिक व्यवस्था और कैदियों की श्रेणी के आधार पर जेलों को मुख्य रूप से इन वर्गों में बांटा जाता है:

प्रकार	विवरण
◆ केंद्रीय कारागार (Central Jail)	गंभीर अपराधों में लंबी सजा (जैसे आजीवन कारावास) काट रहे सजायाफ्ता कैदियों के लिए। यहाँ क्षमता और सुरक्षा सबसे अधिक होती है।
◆ जिला कारागार (District Jail)	जिले के स्तर पर स्थित, जहाँ विचाराधीन (Under–trial) और कम अवधि की सजा वाले कैदी रखे जाते हैं।
◆ उप–जेल (Sub–Jail)	तहसील या सब–डिवीजन स्तर पर स्थित छोटी जेलें।
◆ खुली जेल (Open Jail / Reformatory)	अच्छे व्यवहार वाले कैदियों के लिए, जहाँ न्यूनतम सुरक्षा होती है और उन्हें समाज में पुनर्मिलन हेतु कार्य करने की अनुमति दी जाती है।
◆ महिला कारागार (Women's Jail)	केवल महिला बंदियों के लिए समर्पित जेलें, जहाँ महिला स्टाफ तैनात होता है।
◆ किशोर सुधार गृह (Juvenile Homes)	18 वर्ष से कम आयु के बाल अपराधियों के लिए विशेष सुधार केंद्र।

2. प्रशासनिक एवं कानूनी ढांचा (Legal Framework)

- ✔ राज्य का विषय: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (7th Schedule) के तहत जेल राज्य सूची (State List) का विषय है।
- ✔ प्रमुख कानून:

i. कारागार अधिनियम, 1894 (Prisons Act, 1894) (और राज्यों के अपने मॉडल जेल मैनुअल/अधिनियम)।

ii. मॉडल जेल अधिनियम, 2023 (Model Prisons Act, 2023): कैदियों के सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी नया खाका।

PTS Kherwara, Udaipur

- ✔ प्रशासनिक प्रमुख: राज्य स्तर पर महानिदेशक/महानिरीक्षक (DG/IG Prisons) और जेल स्तर पर जेल अधीक्षक (Jail Superintendent) इसका संचालन करते हैं।

3. कैदियों के वर्ग (Classification of Inmates)

1. विचाराधीन बंदी (Under–trial Prisoners): वे आरोपी जिन पर अदालत में केस चल रहा है और जिन्हें जमानत (Bail) नहीं मिली है।
2. सजायाफ्ता बंदी (Convicted Prisoners): जिन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराकर सजा सुनाई जा चुकी है।
3. निवारक बंदी (Detenus): जिन्हें कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक निरोध कानूनों (जैसे NSA, PASA) के तहत रखा गया है।

4. जेल सुधार और कैदियों के अधिकार

- ✔ मौलिक अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कैदियों को जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21), कानूनी सहायता (Legal Aid), और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है।
- ✔ पैरोल और फर्लो (Parole – Furlough): कैदियों को पारिवारिक या व्यक्तिगत कारणों से अस्थायी रूप से जेल से रिहा करने का कानूनी प्रावधान।
- ✔ कल्याणकारी गतिविधियाँरू व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational Training), शिक्षा, योग और मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग ताकि वे रिहाई के बाद मुख्यधारा से जुड़ सकें।

गृह विभाग (Department of Home Affairs)

गृह विभाग (Department of Home Affairs) राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विभाग होता है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य में आंतरिक सुरक्षा (Internal Security), कानून एवं व्यवस्था (Law and Order), न्याय व्यवस्था का सहयोग और नागरिक सुरक्षा बनाए रखना है।
राज्य स्तर पर गृह विभाग का प्रशासनिक प्रमुख प्रमुख शासन सचिव / अपर मुख्य सचिव (Home Secretary / ACS Home) होते हैं, जबकि राजनीतिक प्रमुख राज्य के गृह मंत्री (Home Minister) (कई राज्यों में मुख्यमंत्री स्वयं) होते हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

1. गृह विभाग के मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व

- ✔ कानून–व्यवस्था का रख–रखावरू राज्य में शांति, सांप्रदायिक सौहार्द और कानून–व्यवस्था बनाए रखना।
- ✔ पुलिस बल का नियंत्रण एवं प्रशासनरू राज्य पुलिस बल (Police Force) के संगठन, बजट, पदोन्नति, स्थानांतरण और संसाधनों का प्रबंधन।
- ✔ आंतरिक सुरक्षा व अपराध नियंत्रण: गंभीर अपराधों, आतंकवाद, संगठित गिरोहों और नक्सलवाद/उग्रवाद से निपटने की नीतियां बनाना।
- ✔ जेल एवं सुधारत्मक सेवाएं: राज्य की जेलों के प्रशासन, कैदियों के सुधार, पैरोल (Parole) और जेल सुरक्षा से संबंधित नीतियां।

- ✔ अभियोजन और कानूनी मामले: आपराधिक मामलों में सरकार की ओर से पैरवी के लिए अभियोजन निदेशालय (Directorate of Prosecution) का संचालन।

2. गृह विभाग के अधीन प्रमुख संगठन एवं इकाइयाँ

गृह विभाग के अंतर्गत राज्य की कई महत्वपूर्ण एजेंसियां और निदेशालय कार्य करते हैं:

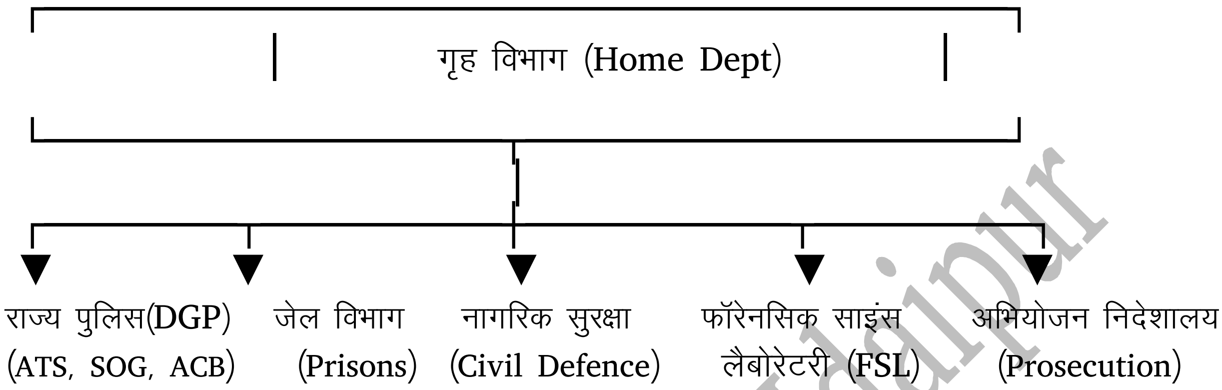

1. राज्य पुलिस मुख्यालय (Police Headquarter – PHQ): पुलिस महानिदेशक (DGP) के नेतृत्व में पुलिस बल का संचालन।
2. विशेषीकृत जांच एजेंसियां:

- ✔ ACB: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो।
- ✔ ATS – SOG: आतंकवाद विरोधी दस्ता एवं विशेष ऑपरेशन ग्रुप।
- ✔ CID (CB/IB): अपराध जांच विभाग और इंटेलिजेंस।

3. कारागार/जेल विभाग (Prisons Department): जेलों का प्रबंधन और कैदियों का पुनर्वास।
4. नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा (Civil Defence – Home Guards): आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में पुलिस का सहयोग।
5. राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला (State Forensic Science Laboratory – SFSL): अपराध अनुसंधान हेतु वैज्ञानिक साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच।
6. सैनिक कल्याण बोर्ड (Sainik Kalyan Board): भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण से जुड़े कार्य।

3. गृह विभाग की वैधानिक एवं नीतिगत भूमिका

- ✔ अधिनियमों और नियमों का प्रवर्तन: भारतीय न्याय संहिता (BNS), BNSS, BSA, राज्य पुलिस अधिनियम, और आबकारी/विशेष कानूनों का क्रियान्वयन।
- ✔ पासपोर्ट व वीजा सत्यापन: विदेशी नागरिकों के पंजीकरण (FRRO) और चरित्र/पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया का समन्वय।
- ✔ हथियार लाइसेंस (Arms Licensing): विशेष श्रेणी के शस्त्र लाइसेंसों की स्वीकृति और नवीनीकरण प्रक्रिया का नियमन।

Prsikherwara, Udaipur

5 Police Welfare and Police Cooperative Society (Various Activities for Police Welfare) (Modification can be done as per the state police organization / structure).

- **वित्तीय जानकारी :–**

(क)– लेखा सम्बन्धी नियमो की सामान्य जानकारी यथा टी.ए.व मैडिकल बिल मेडिकल

(ट्रेवलिंग अलाउंस) ये दो प्रकार का होता है । दैनिक भत्ता 2 यात्रा भत्ता

- 1 दिन की गणना कलेण्डर दिन जो आधी रात से भगुरु और समाप्त होता है किन्तु मुख्यालय से ऐसी अनुपस्थिति जो 24 घण्टे से अधिक न हो सभी प्रयोजनों के लिये एक दिन गिनी जायेगी चाहे अनुपस्थिति का प्रारम्भ या अन्त किसी समय हो।
- परिवार सरकारी कर्मचारी का पत्नीध्पति जैसी भी स्थिति हो वैध, पूर्णतया आश्रित वह है. जिसकी सभी श्रोतों से आय 2000 रु प्रतिमाह से अधिक न हो तथा जो सरकारी कर्मचारी के साथ निवास करते हो ।
- दैनिक भत्ते– ार्त–डयूटी पर मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान की अवधि के सिवाय अनुपस्थिति के लिए देय होगा मुख्यालय से 24 घण्टे से कम अनुपस्थिति के लिए दैनिक 06 घण्टे से कम होने पर भशुन्य 06 घण्टे से अधिक पर 12 घण्टे से कम 70 प्रति ात दर से 12 घण्टे से अधिक पर –100 प्रतिशत की दर से
- किसी विशिट स्थान पर लगातार विराम के लिए 30 दिन की अवधि दैनिक भत्ता देय होगा, यदि अवधि 60 दिन तक जारी रहती है तो सबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुमति परन्तु अवधि 70 से 180 दिन की है तो वित्त विभाग की अनुमति व 180 दिन से अधिक की अवधि होने पर भत्ता देय नही होगा।
- प्रशिक्षण पर भत्ता प्रथम 15 दिवस प्रशिक्षण स्थान की स्वीकृत दरे, 15 दिवस से अधिक दैनिक भत्तो का 3ध4 दरे दौराने प्रशिक्षण निः शुल्क भोजन व आवास का उपयोग किया जाता है तो दैनिक भत्तो की दर उस स्थान के लिए नि िचत दर की 25 प्रति ात होगी, यदि एक से अधिक स्थान का भ्रमण किया है तो दैनिक भत्ता की दरे उस स्थान की जहाँ सबसे अधिक हो, लागु होगा
- यात्रा भत्ता नियम जब ही देय जब गन्तव्य स्थल मुख्यालय की नगरपालिका सीमा से बाहर हो तथा ड्युटी स्थान से 15 किमी0 से अधिक दूर हो।
- प्रत्येक राज्य कर्मचारी को जो यात्रा करता है दौराने ड्युटी वह वोल्वो / ए.सी. बस/डीलक्स/सेमी डीलक्स या अन्य उच्च श्रेणी की बस से हो तो बस टिकट या इसकी फोटोकापी यात्रा बिल के साथ संलग्न करेगा, टिकट बनने के बाद यदि अपरिहार्य कारण या सरकारी कारणों से रद्द करनी पड़े तो फीस प्रतिपूरक का भुगतान लिया जा सकता है।
- राज्य कर्मचारी को सरकारी कार्य के अतिरिक्त किसी भी यात्रा का भत्ता देय नहीं है कर्मचारी के दोरे पर भेजे जाने का उद्दे य यात्रा बिल में अंकित किया जायेगा व नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- स्वयं की कार से यात्रा पर मील भत्ता रेल मील भत्ता की सीमा में ही देय होगा नियत्रण अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के प चात ही स्वयं की कार से यात्रा की जायेगी। राजकीय वाहन से यात्रा पर यात्रा मील भत्ता देय नहीं होगा केवल दैनिक भत्ता देय होगा ।

ptskherwara, Udaipur

- स्थानान्तरण पर भत्ता स्वय के प्रार्थना पर न होकर प्रशासनिक रुप से किया गया है तो यात्रा भत्ता देय यदि प्रक्षिण के बाद परीवीक्षाधीन कर्मचारी का प्रशिक्षण स्थान की बजाय अन्य स्थान पर नियुक्त किया जाता है तो स्थानान्तरण भत्ता देय।
- निलंबित कर्मचारी को उसके विरुद्ध विभागीय जाँच मे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है अपने मुख्यालय से जाँच स्थान तक या उस स्थान से जहाँ उसको निलंबन के दौरान निवास की अनुमति दी गई दोनो में से जो कम हो, जाँच के स्थान तक दौरे पर यात्रा की भांति यात्रा भत्ता स्वीकार किया गया है।
- सेवानिवृति पर यात्रा अपने कर्तव्य स्थल से गृह नगर जाने पर रेल/सडक यात्रा के लिये स्वयं गृह नगर जाने के लिये स्वयं तथा परिवार के सदस्यो का उस श्रेणी का वास्तविक भाडा देय होगा
- यात्रा भत्ता देय होगा जो उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर तथा न्यायालय द्वारा यात्रा भत्ते का भुगतान नही दिया है, का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जायेगा।

मेडिकल भत्ता

ये दो प्रकार का है 2004 से पूर्व के कर्मचारियो को पूर्व भुगतान के बाद बिल बनाकर भुगतान हेतु सरकार से भुगतान प्राप्त किया जाता है 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियो को का विकल्प प्रस्ततु करने पर के शलेस बीमा पॉलिसी के माध्यम से होता है।

इन दोनो प्रकार के बिलो का भुगतान सरकारी कर्मचारियो को बिल बनाकर अपनी स्वयं की पे–मैनजर आईडी पर अपलोड कर संबंधित डीडीओ को फारवर्ड किया जाकर जिला कोशागार के माध्यम से सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में प्राप्त किया जाता है।

(ख) राष्ट्रिय पेशंन योजना, ग्रुप इन्श्योरेंस, मेडिकल इन्श्योरेन्स, राजस्थान

राष्ट्रीय पेंशन योजना

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा 2004 में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक अंशदायी (Contribution–based) निवेश योजना है। यह बाजार आधारित रिटर्न के जरिए प्रभावी रूप से सेवानिवृत्ति की योजना बनाने हेतु एक मासिक अंशदान आधारित मार्ग है। वर्ष 2009 से इसे सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया है।
इसमें जमा राशि का कुछ हिस्सा रिटायरमेंट से पहले निकाला जा सकता है, तथा शेष राशि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय (पेंशन) के रूप में मासिक रूप से प्राप्त की जा सकती है, जो कि 60रू40 के अनुपात में होती है (60ः एकमुश्त और 40ः एन्युटी/पेंशन के लिए)।
इसमें CRA (Central Recordkeeping Agency) के माध्यम से कर्मचारी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें एक PRAN (Permanent Retirement Account Number) जारी होता है।
प्रत्येक कर्मचारी अपने वेतन का न्यूनतम/अधिकतम निर्धारित सीमा तक अंशदान कर सकता है और उतना ही अंशदान नियोक्ता (Government/Employer) द्वारा दिया जाता है। इसमें किया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80C / 80CCD के तहत कर–मुक्त (TaÛ Deductible) है।

PTS Kherwara, Udaipur

ग्रुप इन्श्योरेन्स – पुलिस मे वर्श 1991 मे लागु इसके तहत दो प्रकार की पॉलिसियाँ जारी की जाती है प्रथम पालिसी का प्रीमियम राती का भुगतान पुलिस अधिकारियो / कर्मचारियो द्वारा वहन किया जाता है द्वितिय का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, प्रथम पालिसी की अवधि 01.04 से 31.03 आगामी वर्श तक द्वितिय की अवधि 28.08 से 27.08 आगामी वर्शों के लिए इस पालिसी के अर्न्तगत अधिकारियो / कर्मचारियो की दुर्घटना मे मृत्यु होने पर कानिस्टेबल से हैड कानि० तक 10 लाख, प्रत्येक 20 लाख रु तक स०उ०नि० से पुलिस निरीक्षक 20 लाख प्रत्येक के 40 लाख तक उप अधीक्षक पुलिस से महानिदेाक पुलिस तक 30 लाख प्रत्येक कुल 60 लाख उपरोक्त के अतिरिक्त किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर दाह संस्कार हेतु पेतृक निवास तक जाने भाव को ले जाने हेतु रु 2000 दिये जाते है।

मेडिकल बीमा इसका संचालन राज्य बीमा प्रावधिय विभाग द्वारा 17.08.2005 से भगुरु जो कर्मचारी 01.01.2004 के बाद राज्य सरकार में नियुक्त हुआ है इसका सम्पूर्ण आंदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार के सभी सरकारी अस्पतालो, राज्य के बाहर अनुमोदित निजी अस्पतालो राज्य के अन्दर जाँच द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालो मे इन्डोर इलाज के लिए हकदार ये पालिसी केवल भारत मे बीमित व्यक्ति को बीमारी / चोट के लिए अस्पताल में भर्ती खर्चों की क्षतिपूर्ति करता है इसमे पालिसी धारक व उनके आश्रितो के इलाज का खर्च भाामिल होता है, पालिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामलो मे परिवार के सदस्यो के नाम पालिसी की समाप्ति तक जारी रहेगा।

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दिशा–निर्देश

- **प्रस्तावनाः**
  राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) की तर्ज पर सिटीजन गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) प्रारंभ की गयी है। पूर्ण रूप से IT Enabled Online एवं Automated System है जिसके द्वारा सभी चिकित्सा सेवाएं RGHS पोर्टल (rgh.rajasthan.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
  के कियान्वयन हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार को नोडल विभाग एवं वित्त विभाग (बीमा) को प्रशासनिक विभाग नियुक्त किया गया है।
- **योजना के मुख्य उद्देश्य एवं लाभः**
  स्वस्थ राजस्थान : खुशहाल राजस्थान के ध्येय के साथ RGHS राज्य सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसके तहत् सभी राजकीय एवं अनुमोदित निजी (अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेन्टर / ईमेजिंग सेन्टर) में प्रदेश के लाभार्थी परिवारों को गुणवत्तापूर्ण कैशलेस इनडोर एवं डे केयर चिकित्सा सुविधाएं दिनांक 01 जुलाई 2021 से प्रथम चरण में प्रारम्भ कर दी गयी है। द्वितीय चरण में 2 अक्टूम्बर 2021 से आउटडोर चिकित्सा सुविधाएं भी कैशलेस आधार पर प्राप्त होगी।
- **योजना के पात्र लाभार्थीः**
  योजना के अर्न्तगत विभिन्न 14 प्रकार की श्रेणियों यथा माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, भूतपूर्व विधायकगण, न्यायिक सेवा एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत एवं सेवानिवृत

PTS Kherwara, Udaipur

अधिकारीगण, राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी निकाय बोड, निगम आदि के अधिकारी–कर्मचारी, पेंशनर्स एवं सभी के आश्रित परिवारजन नियमानुसार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

- **आरजीएचएस के अन्तर्गत दी जाने वाली सुविधाएँ:**
  प्रथम चरण में दी जाने वाली सुविधाएँ
- 01 जुलाई 2021 से प्रथम चरण का लागू करते हुए पात्र लाभार्थियों को इनडोर एवं डे केयर के कैशलेस लाभ प्रारम्भ।
- पात्र परिवारों को राजकीय चिकित्सालयों के साथ–साथ योजना में अनुमोदित निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ कैशलेस चिकित्सा सुविधा की सीजीएचएस वर्णित 1853 पैकेज दरों पर उपलब्धता।
- परिवार कल्याण, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं।
- उपचार की आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा (आयुष) प्रणाली के अन्तर्गत चिकित्सा परामर्श और दवाईयों का वितरण।
  लाभार्थी के योजना में प्रवेश से पूर्व की विद्यमान बीमारियां कवर है।
- जिन RGHS लाभार्थियों पर पूर्व में जो चिकित्सा नियम लागू है उनको पूर्व के नियमानुसार ही परिलाभ देय।
- लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (EMR) की सुविधा होगी जिसमें लाभार्थी के ईलाज का रिकॉर्ड उपलब्ध होगा जिससे मरीज के अस्पताल पहुंचने पर बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सके।
- योजना में इनडोर ईलाज से 7 दिवस पूर्व एवं 30 दिवस पश्चात के ईलाज का व्यय सीजीएचएस दरों पर पुर्नभरण देय।

राजस्थान पुलिस कल्याण निधि

इसके तहत समस्त जिला / यूनिट में पुलिस कल्याण कोश का संचालन किया जाता है इस को के लिए समस्त सदस्यो द्वारा सहयोग रा‍िएव राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है, इसके द्वारा पुलिस कर्मियो को बीमारी या अन्य आपातकाल मे सहायता स्वीकृत किया जाता है।

(ग) पुलिस छात्रवृत्ति योजना व निजी संस्थाओ की छात्रवृत्ति योजनाएं–

धर्मपाल गुप्ता फाउंडेशन:

- राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी, जिनके माता–पिता में से कोई एक अभिभावक राजस्थान पुलिस, होमगार्ड या भारतीय पुलिस सेवा में राजस्थान कैडर से हों (जो राज्य में कार्यरत हों, या किसी अन्य प्रांत/केंद्र शासित प्रदेश/विदेश में भारत सरकार के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हों), उनके पुत्र–पुत्रियों को अमेरिका में उच्च शिक्षा (Undergraduate ,oa Postgraduate) के लिए संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी।

PTS Kherwara, Udaipur

चयन का आधार: यह छात्रवृत्ति योग्यता (Merit) के आधार पर दी जाएगी, न कि आवश्यकता के आधार पर। यह सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए समान आधार पर उपलब्ध है।

विषय: विज्ञान व अभियांत्रिकी (Science – Engineering), अर्थशास्त्र (Economic) एवं वित्त (Finance) विषय में अमेरिका में उच्च शिक्षा लेने पर।

कवर किए जाने वाले खर्चः– संस्थान द्वारा शिक्षा का सम्पूर्ण खर्च वहन किया जाएगा, जिसमें शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), रहना व खाना (Lodging – Boarding), यात्रा (Travel Expense) एवं अन्य संबंधित शिक्षा खर्च शामिल हैं।

- राजस्थान पुलिस हितकारी निधि (RPHNF): पुलिसकर्मियों के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति कृ RPHNF के सदस्यों के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति।

स्कूल स्तर	9 व 10	4000रु
कालेज स्तर	स्नातक	10000 रु
	स्नातकोत्तर	12000रु
तकनीकी व व्यावसायिक स्तर एम.बी.एस.एस..एम.टेक.,बी.बी.ए. बीसीए. जीएनएम. अन्य कोर्स	प्रति वर्ष	30000रु

- प्रोत्साहन छात्रवृति आर.बी.एफ.एम.के सदस्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पुत्र–पुत्रियों को कक्षा 8 व 9 में कुल 70 प्रतिशत
- विशेष पुरस्कार के अंतर्गत विज्ञान प्रोत्साहन योजना में चयनित सदस्यों के पुत्र–पुत्रियों को ₹30,000 की प्रोत्साहन राशि।
- मेरिट छात्रवृति 10 व 12 बोर्ड परीक्षा मे राज्य स्तरीय मे 10 वें स्थान 30000 रु ।
- विशेष योग्यता पुरुस्कार 10 व 12 बोर्ड परीक्षा में कुल प्राप्ताक 90 से अधिक पर 20000 व 10 व 12 कुल प्राप्तांक 85 से अधिक व 90 प्रति ात तक 15000।
- सामान्य, तकनीकी, व्यावसायिक पाठ्यक्रम मे गत वर्श की कक्षा परीक्षा में छात्र द्वारा 62 व छात्रा द्वारा 55 प्रतिात या इससे अधिक अंक प्राप्त पर देय सानुग्रह या पूरक परीक्षा पर छात्रवृति देय नही, सभी प्रकार की छात्रवृतियो के सहित अधिकतम 30000 पुरस्कार रा। से अधिक देय नही है।
- खेल छात्रवृति–आर.पी.बी.एफ. से अन्तर्राश्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओ मे प्रथम स्थान पर 25000 द्वितीय 20000 व तृतीय स्थान पर 15000

(घ). विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ, पुलिस सैलरी पैकेज

- राजस्थान पुलिस हितकारी निधि (बेनेवेलेट फण्ड) ये निधि विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दी गई सहयोग एव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान से संधारित है।
- सेवाकाल मे सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित को 35000 की आर्थिक सहायता

PTS Kherwara, Udaipur

- सेवाकाल में सदस्य की मुठभेड़ / साहसिक कार्य करते समय मृत्यु होने पर आश्रित को 50,000/ रु की आर्थिक सहायता
- राजस्थान पुलिस हितकारी निधि (बेनेवेलेट फण्ड) ये निधि विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा दी गई सहयोग एव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान से संधारित है।
- सेवाकाल मे सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित को 35000 की आर्थिक सहायता
- सेवाकाल में सदस्य की मुठभेड़ / साहसिक कार्य करते समय मृत्यु होने पर आश्रित को 50,000/ रु की आर्थिक सहायता
- अधिकारियोंध्कर्मचारियों के मेडिकल बिलो का भुगतान भी किया जाता है।

पुलिस सैलरी पैकेज –

इसके लिए पुलिस विभाग व भारतीय स्टेट बैंक के मध्य अनुबंध हुआ है इसके लाभ के लिए पुलिस कर्मी का मासिक वेतन भारतीय स्टेट बैंक में जमा हो, तथा उसका खाता बैंक द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज के तहत परिवर्तित करा लिया हो। इसके पैकेज के तहत सभी पुलिसकर्मियो को रुपे प्लेटिनियम कार्ड निः शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इस कार्ड के तहत दुर्घटना मृत्यु बीमा तथा स्थाई पूर्ण विकलांगता बीमा के रुप में 10 लाख रु बीमा अतिरिक्त, बैंक द्वारा 6400 वार्शिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है।

पर्सनल लोन पर प्रोसिसिंग फीस पर 50 प्रति ात व हाउस लोन प्रोसिसिंग फीस भान्य, सभी प्रकार के लोन ब्याज में 0.50 प्रतिशत की छूट, एटीएम से पैसे निकासी की सीमा प्रतिदिन 40000 बिना चार्ज के निः शुल्क चौक बुक व अकाउट में अवर ड्राफ्ट की सुविधा के साथ 40 लाख रु बीमा की सुविधाएँ है।

PTS Kherwara, Udaipur

पुलिस वेतन पैकेज (पीएसपी)– एमओयू 13.02.2023 मे प्रदान सुविधाये

पुलिस वेतन पैकेज (पीएसपी) चार प्रकार है

प्रकार	सिल्वर	गोल्ड	डायमंड	प्लैटिनम
प्रॉडक्ट कोड	1097-1431	1097-1441	1097-1451	1097-1461
पात्रता (मासिक शुद्ध वेतन)	10000 से 25000 तक	25000 से ऊपर और 50000 तक	50000 से ऊपर और 100000 तक	100000 से ऊपर
मल्टी सिटी चेक	चेक लीफ शुल्क– शून्य भुगतान शुल्क– शून्य			
इंटरनेट बैंकिंग	एसबीआई की तरफ से मुफ्त सुविधा दी जाती हैं रेलवे इत्यादि जैसी तृतीय पक्ष साइटों पर लागू शुल्क, देय			
बचत प्लस (ऑटो स्वीप सुविधा)	सीमा राशिः रुपये 35,000/– टीडीआर/एसटीडीआरएस किसी भी एक उदाहरण में न्यूनतम 10,000 रुपये (और 1,000 रुपये के गुणकों में) के लिए बनाया जाना है।			
व्यतिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवर (सक्रिय वेतन खातों के लिए उपलब्ध, भले ही वेतन शून्य हो और बिना किसी एटीएमध्पीओएस लेनदेन के । आतंकवादी हमले को भी कवर किया गया है) रू–पे प्लैटिनम कार्ड 10.00 लाख बीमा	50 लाख (चारों प्रकार पीएसपी खातों के लिए) रू–पे प्लैटिनम कार्ड 10.00 लाख बीमा			
हवाई व्यतिगत दुर्घटना	100 लाख			

PTS Kherwara, Udaipur

बीमा (मृत्यु) कवर (हवाई टिकिट पीएसपी खाते से लिया गया हो	
रू–पे प्लैटिनम कार्ड (एटीएमध्पीओएस लेनदेन 45 दिन)	10.00 लाख
कवर पर जोड़े (समय के अनुसार लागू होगा)	1)उच्च शिक्षा (केवल स्न्नातक) पॉलिसीकवर का 15: अधिकतम 5.0 लाख 2) बालिका विवाह कवर (18–25)– पॉलिसीकवर का 10: अधिकतम 2.0 लाख 3) प्लास्टिक सर्जरीध्बर्न (गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम के लिए) अधिकतम 2.0 लाख 4) आयातित दवा का परिवहन (गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम) अधिकतम 2.0 लाख 5) दुर्घटना के बाद कोमा के बाद (24 घंटे से अधिक) 2.00 लाख तक 6) एयर एम्बुलेस (गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम के लिए) अधिकतम 5.00 लाख तक 7) पारिवारिक परिवहन – 20000/– तक (दुर्घटना स्थान पर पहुचने के लिए दो परिवार सदस्यों द्वारा की गई यात्रा की लागत) 8) नश्वर अवशेष का प्रत्यावर्तन अधिकतम–10000/– 9) एम्बुलेस शुल्क–1500/–
पूर्ण विकलांगता (शामिल रू–पे प्लैटिनम कार्ड 10.00 लाख बीमा)	60 लाख
आंशिक विकलांगता	30.00 लाख
लाईफ इन्शुरेंस कवर	5.00 लाख

ओवरड्राफ्ट (दो महीने शुद्ध वेतन) यह ओवरड्राफ्ट छह (6) महीने के लिये होता है	उपलब्ध नहीं	75000/– अधिकतम ओवरड्राफ्ट लिमिट	150000/– अधिकतम ओवरड्राफ्ट लिमिट	200000/– अधिकतम ओवरड्राफ्ट लिमिट
एटीएम निकासी लिमिट	शुल्क मुक्त डोमिस्टिक क्लासिक डेबिट	इंटरनेशनल रु गोल्ड डेबिट कार्ड (50000/–	शुल्क मुक्त इंटरनेशनल रु गोल्ड डेबिट कार्ड	शुल्क मुक्त इंटरनेशनल रु प्लैटिनम डेबिट

PIS Kherwara, Udaipur

	कार्ड (40000/–प्रतिदिन लिमिट)	प्रतिदिन लिमिट)	(50000/– प्रतिदिन लिमिट)	कार्ड (100000/–प्रतिदिन लिमिट)
लॉकर रियायत (वार्षिक शुल्क मे)	शून्य	शून्य	15: छूट वार्षिक शुल्क मे	25: छूट वार्षिक शुल्क मे
रियायत–प्रोसेसिंग शुल्क	पर्सनल लोन– प्रोसेसिंग शुल्क लागू दर का 50: और लागू जीएसटी छूट 31.03.2024 तक, इसके बाद बैंक के नियम अनुसार पर्सनल लोन– प्रोसेसिंग शुल्क लागू दर का 50: और लागू जीएसटी छूट 31.03.2024 तक, इसके बाद बैंक के नियम अनुसार हाउसिंग लोन– प्रोसेसिंग शुल्क 100: छूट 31.03.2023 तक, इसके बाद बैंक के नियम अनुसार			
एसबीआई रिश्ते बचत खाता योजना	एसबीआई रिश्ते शून्य बैलेंस सेविंग बैंक खातों के तहत परिवार के 4 सदस्य तक खाते हैं			

6- Study of neighboring state police setup (Organization)

पडोसी राज्यों की पुलिस संरचना

भारत के राज्यों में पुलिस का ढांचा 'पुलिस अधिनियम, 1861' (या राज्यों के अपने संशोधित पुलिस अधिनियमों) पर आधारित है। यद्यपि बुनियादी पदानुक्रम (Rank Structure) सभी पड़ोसी राज्यों में समान है, फिर भी क्षेत्रीय प्रशासनिक विभाजन (Territorial Administration), कमिश्नरेट प्रणाली (Commissionerate System) और कुछ स्थानीय पदों के नामों में अंतर पाया जाता है।

राजस्थान के पड़ोसी राज्यों—पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात—के पुलिस संगठन और प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

1. बुनियादी पुलिस पदानुक्रम

सभी पड़ोसी राज्यों में पुलिस बल दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित होता है:

राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officers / IPS – State Police Services)

1. DGP (पुलिस महानिदेशक) – राज्य पुलिस प्रमुख
2. ADGP (अपर पुलिस महानिदेशक)
3. IGP (पुलिस महानिरीक्षक – रेंज प्रभारी)
4. DIGP (पुलिस उप–महानिरीक्षक)

PTS Kherwara, Udaipur

5. SSP / SP (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक – जिला प्रमुख)
6. Addl- SP (अपर पुलिस अधीक्षक)
7. DSP / ASP (उप पुलिस अधीक्षक / सहायक पुलिस अधीक्षक – उपखंड प्रभारी)

गैर–राजपत्रित अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी (Non–Gazetted Forces)

1. Inspector (निरीक्षक / थानाधिकारी/सीआई)
2. Sub–Inspector – SI (उप–निरीक्षक / विवेचना अधिकारी)
3. Assistant Sub–Inspector – ASI (सहायक उप–निरीक्षक)
4. Head Constable – HC (मुख्य आरक्षी)
5. Constable (आरक्षी)

2. पड़ोसी राज्यों का विशिष्ट पुलिस ढांचा

राज्य	क्षेत्रीय प्रशासनिक ढांचा	कमिश्नरेट प्रणाली (Commissionerate System)	मुख्य विशेष इकाइयां / विशेषताएं
उत्तर प्रदेश (UP)	जोन (Zone) ➔ रेंज (Range) ➔ जिला (ADG जोन का नेतृत्व करते हैं, IG/DIG रेंज का)	7 बड़े शहरों में लागू लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद।	• PAC (प्रांतीय सशस्त्र पुलिस) • STF (स्पेशल टास्क फोर्स) • UP–112 (आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा)
मध्य प्रदेश (MP)	जोन ➔ रेंज ➔ जिला	2 बड़े शहरों में लागू: भोपाल और इंदौर।	• SAF (विशेष सशस्त्र बल) • अजाक (AJAK): अनुसूचित जाति/जनजाति के मामलों के लिए समर्पित थाना ढांचा
पंजाब (Punjab)	रेंज ➔ जिला	3 शहरों में लागू: लुधियाना, अमृतसर, जालंधर।	• PAP (पंजाब सशस्त्र पुलिस) • Sub–Divisional officer को DSP / SDPO कहा जाता है।
हरियाणा (Haryana)	रेंज ➔ जिला	4 प्रमुख शहरों में लागू: गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला,	• HAP (हरियाणा सशस्त्र पुलिस)

PTS Kherwara, Udaipur

		सोनीपत।	• राज्य साइबर क्राइम थाना नेटवर्क
गुजरात (Gujarat)	रेंज ➔ जिला	4 प्रमुख शहरों में लागू: अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट।	• SRPF (राज्य आरक्षित पुलिस बल) • API (Assistant Police Inspector): SI और Inspector के बीच एक विशेष पद।

3. पारंपरिक बनाम कमिश्नरेट प्रणाली (Structural Difference)
पड़ोसी राज्यों के शहरी क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था को दो मुख्य ढांचों में बांटा जाता है:

(क) पारंपरिक जिला पुलिस प्रणाली (District Police System)

- ✔ नियंत्रण: पुलिस अधीक्षक (SP) के पास पुलिस का प्रशासनिक नियंत्रण होता है, लेकिन सीआरपीसी/बीएनएसएस के तहत दंडात्मक/कानून व्यवस्था की शक्तियां (Executive Magistrate Powers) जिला मजिस्ट्रेट (District Collector/DM) के पास होती हैं।
- ✔ पदनाम: SP ➔ Addl. SP ➔ DSP (SDPO) ➔ Inspector।

(ख) पुलिस आयुक्त प्रणाली (Police Commissionerate System)

- ✔ नियंत्रण: पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police – CP) के पास ही मजिस्ट्रेट और निरोधात्मक (Preventive) कार्यवाहियों के अधिकार होते हैं।
- ✔ पदनामों में बदलाव:

i. CP (Commissioner): ADG या IG स्तर के अधिकारी।
ii. Joint/Addl. CP: DIG/SSP स्तर।
iii. DCP (Deputy Commissioner): SP स्तर के अधिकारी।
iv. ADCP (Addl. Deputy Commissioner): Addl. SP स्तर।
v. ACP (Assistant Commissioner): DSP स्तर के अधिकारी।

4. मुख्य प्रशासनिक अंतर (राजस्थान से तुलनात्मक रूप में)

- ✔ अतिरिक्त पद (API): गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी राज्यों में Assistant Police Inspector (API) का पद होता है, जो राजस्थान, पंजाब या यूपी में नहीं पाया जाता।
- ✔ जोनल व्यवस्था: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े भौगोलिक राज्यों में रेंज के ऊपर ADG जोन (ADG Zone) का ढांचा बहुत मजबूत है, जबकि छोटे राज्यों (जैसे हरियाणा) में रेंज ही प्राथमिक प्रशासनिक इकाई होती है।
- ✔ सशस्त्र बल (Armed Battalion):

PTS Kherwara, Udaipur

i. राजस्थान में RAC (राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी) है।

ii. यूपी में PAC, मध्य प्रदेश में SAF, पंजाब में PAP और गुजरात में SRPF के रूप में प्रांतीय बल गठित हैं।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 15- Inter/intra State/ Inter Department Coordination (Day-05) (Session-30)

Paper- 01- Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 (06 Session)

Inter State Investigation (Arrest, Siezure, Regitration)

35. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी– (1) कोई पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा–

(क) जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता हS; या

(ख) जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात् :–

(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, सूचना या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है–

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए; या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए; या

(घ) उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, रोकने के लिए; या

(ङ) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती,

और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा

परंतु कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा; या

(ग) जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है कि उसने कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है; या

(घ) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है; या

(ङ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है; या

(च) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, या

(छ) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है; या

PTC Kherwara, Udaipur

(ज) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है; या

(झ) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 394 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है; या

(ञ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधि कारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

(2) धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबद्ध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

(3) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निदेश देते हुए सूचना जारी करेगा।

(4) जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है, वहां उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे।

(5) जहां ऐसा व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

(6) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

(7) कोई भी गिरफ्तारी, ऐसे अपराध के मामले में जो तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या साठ वर्ष से अधिक की उम्र का है, ऐसे अधिकारी, जो पुलिस उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।

38. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार—जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा पूछताछ की जाती है, तब गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा किंतु संपूर्ण पूछताछ के दौरान नहीं।

45. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना—पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है।

prsKherwara,Udaipur

64. समन की तामील कैसे की जाए– (1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए, उस न्यायालय के, जिसने वह समन जारी किया है, किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी :

परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार पता, ई–मेल पता, फोन नम्बर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करें की प्रविष्टि के लिए एक रजिस्टर रखेगा।

(2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी :

परंतु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, इलैक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा।

69. स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील–जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है।

74. वारंट किसको निदिष्ट होंगे–(1) गिरफ्तारी का वारंट मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निदिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निदिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे।

(2) जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निदिष्ट है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है।

80. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट– (1) जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह न्यायालय, ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के भीतर किसी पुलिस अधिकारी को निदिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है, और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से कराएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसी दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, जो धारा 83 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को, यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर की जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं, वारंट के साथ भेजेगा।

81. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट– (1) जब पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्टेट के पास, या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, ले जाएगा।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए, जिसको वह वारंट निदिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगी।

(3) जब कभी यह विश्वास करने का कारण हो कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह वारंट निष्पादित किया जाना है, पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादन न हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह निदिष्ट किया गया है, उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है, स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकता है।

82. जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया—(1) जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से तीस किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी, अधिक निकट है, या धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, को तुरंत जानकारी देगा।

83. उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए—(1) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निदेश देगा:

परंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसा जमानतपत्र देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 73 के अधीन निदेश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त, यथास्थिति, ऐसा जमानतपत्र या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था :

परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 80 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा।

(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी।

84. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा— (1) यदि किसी न्यायालय को (चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना) यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, फरार हो गया है, या अपने को छिपा रहा है जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम तीस दिन पश्चात् का होगा, हाजिर हो।

(2) उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी :—

(i) (क) वह उस नगर या ग्राम के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी;

(ख) वह उस गृह या वासस्थान् के, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, किसी सहजदृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहजदृश्य स्थान पर लगाई जाएगी;

(ग) उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहजदृश्य भाग पर लगाई जाएगी;

(ii) यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निदेश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में, परिचालित किसी दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है।

(3) उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन कि उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा (2) के खंड (i) में विनिर्दिष्ट रीति से सम्यक् रूप से प्रकाशित कर दी गई है, इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध जिसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दस वर्ष या अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दंडनीय बनाया गया है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा।

(5) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध न्यायालय द्वारा उपधारा (4) के अधीन की गई घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा को लागू होते हैं।

85. फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की (1) धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर, या दोनों प्रकार की, किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है:

परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जानी है–

(क) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है; या

(ख) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है,

तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है।

(2) ऐसा आदेश उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है, पृष्ठांकित कर दिया जाए।

(3) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की–

(क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी; या

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी; या

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; या

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

PTS Kherwara, Udaipur

(4) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, स्थावर है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं में,–

(क) कब्जा लेकर की जाएगी; या

(ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी; या

(ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिशेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी; या

(घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे।

(5) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो, यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।

(6) इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं।

86. उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की–न्यायालय, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति या इससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया का आरंभ करेगा।

94. दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन– (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण, या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लिखित समय और स्थान पर उसे पेश करे या हाजिर हो और उसे पेश करे।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाय उस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।

(3) इस धारा की कोई बात–

(क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और धारा 130 या बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगीय या

(ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

105. श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना–इस अध्याय या धारा 185 के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिगृहीत वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मोबाईल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी देर किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा।

PTS Kherwara, Udaipur

173. संज्ञेय मामलों में इत्तिला– (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी और यदि,–

(i) मौखिक रूप से दी गई है, तो उसके द्वारा या उसके निदेशों के अधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;

(ii) यदि इलैक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी गई है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी,

और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी, जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा :

परंतु यदि किसी महिला द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79, या धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी :

परन्तु यह और कि–

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी;

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी;

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 183 की उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी।

(3) धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तिला की प्राप्ति पर जिसमें तीन वर्ष या उससे अधिक का दंड है किन्तु सात वर्ष से अधिक नहीं है, थाने का भारसाधक अधिकारी, –

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या चौदह दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्यवाही करने के लिए प्रथमदृष्टयाः विधमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए या

(ii) अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए जब प्रथमदृष्टयाः मामला विद्यमान है, ऐसी रैंक के अधिकारी, जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, की पूर्व अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकेगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या

PTS Kherwara, Udaipur

अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगीय जिसके न हो सकने पर, ऐसा व्यथित व्यक्ति, मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा।

531. निरसन और व्यावृत्तियां– (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) इसके द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि, –

(क) यदि उस तारीख के जिसको यह संहिता प्रवृत्त हो, ठीक पूर्व कोई अपील, आवेदन, विचारण, जांच या अन्वेषण लंबित हो तो ऐसी अपील, आवेदन, विचारण, जांच या अन्वेषण को ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संहिता कहा गया है) उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, ऐसे निपटाया जाएगा, चालू रखा जाएगा या किया जाएगा मानो यह संहिता प्रवृत्त न हुई हो;

(ख) उक्त संहिता के अधीन प्रकाशित सभी अधिसूचनाएं, जारी की गई सभी उद्घोषणाएं, प्रदत्त सभी शक्तियां, नियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप, परिनिश्चित सभी स्थानीय अधिकारिताएं, दिए गए सभी दंडादेश, किए गए सभी आदेश, नियम और ऐसी नियुक्तियां, जो विशेष मजिस्ट्रेटों के रूप में नियुक्तियां नहीं हैं और जो इस संहिता के प्रारंभ के तुरंत पूर्व प्रवर्तन में हैं, क्रमशः इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन प्रकाशित अधिसूचनाएं, जारी की गई उद्घोषणाएं, प्रदत्त शक्तियां, विहित प्ररूप, परिनिश्चित स्थानीय अधिकारिताएं, दिए गए दंडादेश और किए गए आदेश, नियम और नियुक्तियां समझी जाएंगी;

(ग) उक्त संहिता के अधीन दी गई किसी ऐसी मंजूरी या सम्मति के बारे में, जिसके अनुसरण में उस संहिता के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ न की गई हो, यह समझा जाएगा कि वह इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दी गई है और ऐसी मंजूरी या सम्मति के अनुसरण में इस संहिता के अधीन कार्यवाहियां की जा सकेंगी।

(3) जहां उक्त संहिता के अधीन किसी आवेदन या अन्य कार्यवाही के लिए विहित अवधि इस संहिता के प्रारंभ पर या उसके पूर्व समाप्त हो गई हो, वहां इस संहिता की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस संहिता के अधीन ऐसे आवेदन के किए जाने या कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने के लिए केवल इस कारण समर्थ करती है कि उसके लिए इस संहिता द्वारा दीर्घतर अवधि विनिर्दिष्ट की गई है या इस संहिता में समय बढ़ाने के लिए उपबंध किया गया है।

✔ Inter State Court Proceeding Transfer Warrent (Primary) -

301. परिभाषाएं–इस अध्याय में,–

(क) "निरुद्ध" के अन्तर्गत निवारक निरोध के लिए उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध भी है;

(ख) "कारागार" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, –

(i) कोई ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अतिरिक्त जेल घोषित किया है;

(ii) कोई सुधारालय, बोर्स्टल–संस्था या इसी प्रकार की अन्य संस्था ।

302. बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति– (1) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि–

(क) कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए या

PTS Kherwara, Udaipur

(ख) न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए, तब वह न्यायालय, कारागार के भारसाधक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए या साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करे।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, वहां वह कारागार के भारसाधक अधिकारी को तब तक भेजा नहीं जाएगा या उसके द्वारा उस पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक वह ऐसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न हो, जिसके अधीनस्थ वह मजिस्ट्रेट है।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर के लिए पेश किए गए प्रत्येक आदेश के साथ ऐसे तथ्यों का, जिनसे मजिस्ट्रेट की राय में आदेश आवश्यक हो गया है, एक विवरण होगा और वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष वह पेश किया गया है उस विवरण पर विचार करने के पश्चात् आदेश पर प्रतिहस्ताक्षर करने से इंकार कर सकता है।

303. धारा 302 के प्रवर्तत से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की शक्ति– (1) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, किसी समय, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग के व्यक्तियों को उस कारागार से नहीं हटाया जाएगा जिसमें उसे या उन्हें परिरुद्ध या निरुद्ध किया गया है, और तब, जब तक ऐसा आदेश प्रवृत्त रहे, धारा 302 के अधीन दिया गया कोई आदेश, चाहे वह राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के आदेश के पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात् ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के बारे में प्रभावी न होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, यथास्थिति, राज्य सरकार या जब मामला उसके केन्द्रीय अभिकरण द्वारा संस्थित है, तो केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात् :–

(क) उस अपराध का स्वरूप जिसके लिए, या वे आधार, जिन पर, उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध करने का आदेश दिया गया है;

(ख) यदि उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार से हटाने की अनुज्ञा दी जाए तो लोक–व्यवस्था में विघ्न की संभाव्यता;

(ग) लोक हित, साधारणतः ।

✔ Inter state check post

1. परिचय

किसी भी राज्य की आतिंरिक सुरक्षा, राजस्व संरक्षण और कानून–व्यवस्था को बनाए रखने में अंतरराज्यीय जांच चौकी पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती है। दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित यह पुलिस और प्रशासन का वह संवेदनशील बिंदु है, जहां से राज्य में प्रवेश करने और बाहर जाने वाले प्रत्येक संदिग्ध वाहन, सामान और व्यक्ति पर नजर रखी जाती है।

2. मुख्य उद्देश्य

अंतरराज्यीय जांच चौकी की स्थापना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं–

- कानून एवं व्यवस्था– अपराधियों, भगोड़ों और अवांछित तत्वों की अंतरराज्यीय आवाजाही को रोकना।
- अवैध गतिविधियों पर रोक– अवैध हथियार, मादक पदार्थ, शराब, और मवेशियों की तस्करी पर नियंत्रण लगाना।
- राजस्व सुरक्षा– कर चोरी, खनन सामग्री की अवैध तस्करी को रोकना।
- चुनाव प्रबंधन– चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब और उपहार सामग्रियों के वितरण को रोकने के लिए विशेष नाकेबंदी करना।

3. प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व–

क्रम संख्या	क्षेत्र	उत्तरदायित्व/कार्य
1	वाहन चेकिंग	वाणिज्यिक और निजी वाहनों के कागजात, परमिट और सामान की भौतिक जांच।
2	आबकारी व प्रवर्तन	अन्य राज्यों से आने वाली अवैध शराब और प्रतिबंधित वस्तुओं की जब्ती।
3	सुरक्षा निगरानी	संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और संबंधित पुलिस स्टेशनों को त्वरित सूचना।
4	आपदा/आपातकाल प्रबंधन	महामारी या आपात स्थिति में अंतरराज्यीय सीमा को सील करना और पास/अनुमति की जांच।

4. आवश्यक आधारभूत ढांचा और दस्तावेज –एक प्रभावी चेक पोस्ट पर निम्नलिखित व्यवस्थाएं अनिवार्य हैं–

क) आधारभूत ढांचा–

- बैरियर और ड्रम
- पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था
- सीसीटीवी कैमरे
- मेटल डिटेक्टर और व्हीकल स्कैनर
- पुलिस कर्मियों के लिए सुरक्षा शेड और बुनियादी सुविधाएं

ख) आवश्यक रजिस्टर/दस्तावेज

- आगमन एवं प्रस्थान रजिस्टर–संदिग्ध वाहनों का विवरण।
- जब्ती रजिस्टर– जब्त सामानध्वाहन की प्रविष्टि।

PTS Kherwara, Udaipur

- दैनिक रोजनामचा– दैनिक गतिविधियों का ब्यौरा।
- डेलिगेट्स/विशिष्ट अतिथि रजिस्टर– वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण नोट।

5. जांच के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया

- व्यावसायिक आचरण– जांच के दौरान आम जनता, यात्रियों और चालकों के साथ पुलिस का व्यवहार विनम्र लेकिन सख्त होना चाहिए।
- महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा– महिला यात्रियों की जांच के दौरान हमेशा महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।
- पारदर्शिता– चेकिंग प्रक्रिया सीसीटीवी या बॉडी–वॉर्न कैमरे की निगरानी में हो ताकि भ्रष्टाचार या उत्पीड़न के आरोपों से बचा जा सके।

6. चुनौतियां और आधुनिक समाधान–चुनौतियां–

- अत्यधिक यातायात का दबाव और भारी जाम की स्थिति।
- खराब मौसम (धुंध, बारिश) में चेकिंग में कठिनाई।
- तस्करों द्वारा अपनाए जाने वाले नए और गुप्त तरीके

आधुनिक समाधान

- NPR (Automatic Number Plate Recognition) स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे का उपयोग।
- FASTag & e-Way Bill Integration: डिजिटल दस्तावेजों की तुरंत जांच।
- ड्रोन निगरानी– सीमावर्ती कच्चे रास्तों पर नजर रखने के लिए।

PTS Kherwara, Udaipur

✔ Execution of Summons/ E-Summons and Warrant

1. परिचय

न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की समयबद्ध और वैधानिक तामीली ही त्वरित न्याय प्रणाली की नींव है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू होने से समन्स और वारंट की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को पूर्ण कानूनी मान्यता दी गई है।

2. समन्स की तामीली

- समन्स एक औपचारिक अदालती बुलावा है। BNSS में समन्स से संबंधित प्रावधान अध्याय VI (अध्याय 6), धारा 63 से 71 में दिए गए हैं

क) समन्स का रूप और तामीली का तरीका

- प्रारूप – धारा 63 BNSS- समन्स लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा, दो प्रतियों में पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और न्यायालय की सील युक्त होगा।
- प्रत्यक्ष तामीली– धारा 64 BNSS पुलिस अधिकारी द्वारा समन्स की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को देकर और दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर/रसीद लेकर तामील कराया जाएगा।
- परिवार के वयस्क सदस्य को तामीली – धारा 66 BNSS यदि व्यक्ति न मिले, तो उसके परिवार के साथ रहने वाले किसी वयस्क (पुरुष या महिला) सदस्य को समन्स सौंपा जा सकता है। (नौकर/सेवक परिवार का सदस्य नहीं माना जाता)।
- चस्पांगी द्वारा तामीली – धारा 67 BNSS यदि व्यक्ति बच रहा हो या न मिले, तो समन्स की एक प्रति उसके निवास स्थान के स्पष्ट दिखने वाले भाग पर चिपकाकर तामीली की जाती है।
- सरकारी सेवक और कॉर्पोरेट पर तामीली – धारा 65 BNSS निगमित निकायों पर उनके सचिव/मैनेजर के माध्यम से और सरकारी कर्मचारी के मामले में उनके विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजा जाता है।

3. ई–समन्स एवं डिजिटल तामीली

BNSS, 2023 की धारा 61, 62(2), और 70 के अंतर्गत ई–समन्स को स्पष्ट वैधानिक दर्जा दिया गया है।

[न्यायालय / थाना] ——(डिजिटल हस्ताक्षर / Encryption)——> [e-Mail / SMS / WhatsApp / Portal] ——> [प्राप्तकर्ता]

|

(डिलीवरी / रीड रसीद = धारा 70 BNSS के तहत वैध तामीली)

मुख्य प्रावधान एवं धाराएं–

- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की मान्यता – धारा 61 व 62(2) BNSS: समन्स को ईमेल, एसएमएस, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स (जैसे WhatsApp), या राज्य पुलिस के निर्दिष्ट पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा सकता है।
- तामीली का डिजिटल प्रमाण – धारा 70 BNSS (पुराना ैमब 68 ब्तच्ब्)रू जब समन्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में तामील किया जाता है, तो सर्वर/सिस्टम द्वारा जेनरेट की गई 'Delivery

PTS Kherwara, Udaipur

Receipt', 'Read Receipt' या डिजिटल लॉग को अदालत में तामीली का वैध साक्ष्य माना जाएगा।

4. वारंट का निष्पादन

गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा पुलिस को दिया गया आदेश है। BNSS में इसके प्रावधान अध्याय VI, धारा 72 से 83 में दिए गए हैं

क) वारंट का प्रारूप व अवधि – धारा 72 BNSS

- वारंट लिखित रूप में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सील युक्त होता है।
- वारंट तब तक प्रभाव में रहता है जब तक कि उसे जारी करने वाली अदालत रद्द न कर दे या वह निष्पादित न हो जाए।

ख) जमानती बनाम गैर–जमानती वारंट

- जमानती वारंट– धारा 73 BNSS- वारंट पर यह पृष्ठांकन होता है कि यदि व्यक्ति पर्याप्त प्रतिभूति देता है, तो पुलिस उसे जमानत पर रिहा कर देगी और बॉन्ड कोर्ट में पेश करेगी।
- गैर–जमानती वारंट इसमें कोई जमानत का उल्लेख नहीं होता। पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह आरोपी को गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे (धारा 58 BNSS)

ग) वारंट निष्पादन के नियम एवं क्षेत्राधिकार

- वारंट का सार बताना – धारा 77 BNSS पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट का सार बताएगा और मांगने पर वारंट दिखाएगा।
- क्षेत्राधिकार से बाहर निष्पादन – धारा 80 व 81 BNSS
- यदि वारंट स्थानीय थाना/अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर निष्पादित करना है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थाना प्रभारी के पास पृष्ठांकन के लिए भेजा जाएगा।
- आपात स्थिति में धारा 81 BNSS के तहत सीधे भी गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन स्थानीय थाने को तुरंत सूचित करना अनिवार्य है।

5. पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य एवं सावधानियां–

प्रविष्टि और रिकॉर्ड– समन्स या वारंट प्राप्त होते ही उसे CCTNS और थाने के प्रोसेस रजिस्टर में दर्ज करें।

गैर–तामीली की स्थिति में रिपोर्ट – यदि व्यक्ति न मिले या तामील न हो पाए, तो गवाहों के बयान और पंचनामा तैयार कर अदालत को स्पष्ट रिपोर्ट भेजें।

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 15- Inter/intra State/ Inter Department Coordination (Day-05) (Session-30)

Paper- 09- B- Functioning Of Police Station And Duties (02 Session)

Inter state Intelligence- crime/ Law & order (bordering Police station)

1. परिचय

किसी भी राज्य की सीमा केवल दो भौगोलिक क्षेत्रों को अलग नहीं करती, बल्कि यह अपराधियों के लिए एक सुरक्षित गलियारा भी बन जाती है – यदि दोनों तरफ की पुलिस में सही तालमेल न हो।

जब कोई अपराधी एक राज्य में अपराध करके दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करता है, तो उसे कानूनी क्षेत्राधिकार का फायदा उठाने का मौका मिलता है। इसलिए, सीमावर्ती पुलिस थानों की वास्तविक ताकत उनका सूचना तंत्र होता है। आज का हमारा विषय इसी अंतर–राज्यीय इंटेलिजेंस और कानून–व्यवस्था के प्रबंधन पर आधारित है।

2. सीमावर्ती थानों के सामने मुख्य चुनौतियां– सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटेलिजेंस और लॉ एंड ऑर्डर के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां होती हैं–

- क्षेत्राधिकार का लाभ– अपराधी अपराध एक राज्य में करते हैं और शरण दूसरे राज्य में लेते हैं।
- अवैध गतिविधियों का केंद्र–
- मादक पदार्थ व शराब तस्करी– (विशेषकर सूखा बनाम आबकारी–नियंत्रित राज्य)।
- अवैध हथियार– अंतर–राज्यीय गिरोहों द्वारा हथियारों की आपूर्ति।
- संगठित अपराध– जैसे वाहन चोरी और मानव तस्करी ।
- कानून–व्यवस्था का अंतर– पड़ोसी राज्य में कोई आंदोलन, सांप्रदायिक तनाव या चुनाव होने पर उसका सीधा प्रभाव आपके सीमावर्ती थाने के अधिकार क्षेत्र पर पड़ता है।

3. इंटर–स्टेट इंटेलिजेंस के प्रमुख प्रकार– सीमावर्ती थानों को मुख्यतः दो प्रकार की इंटेलिजेंस पर काम करना होता है–

श्रेणी	प्रकार	उदाहरण/विषय
1. क्राइम इंटेलिजेंस	कार्रवाई योग्य	अंतर–राज्यीय गिरोहों की मूवमेंट, वांछित अपराधियों/इनामी बदमाशों के ठिकाने, चोरी के वाहनों की तस्करी का मार्ग।
2. लॉ–ऑर्डर इंटेलिजेंस	पूर्वानुमानित	पड़ोसी राज्य में होने वाले प्रदर्शन, रैली, चुनाव, सांप्रदायिक तनाव, या सीमा पर किसानों/श्रमिकों का संभावित जमावड़ा।

4. इंटेलिजेंस साझा करने के व्यावहारिक माध्यम– एक प्रभावी सीमावर्ती थाना अधिकारी के रूप में आपको इन माध्यमों को सक्रिय रखना चाहिए–

- सीमावर्ती थाना प्रभारियों की व्हाट्सएप/टेलीग्राम ग्रुप्स– पड़ोस के राज्य के समकक्ष थाना प्रभारियों और बीट कांस्टेबलों के साथ त्वरित सूचनाओं के लिए समर्पित ग्रुप।
- मासिक बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग– हर महीने या द्विमासिक आधार पर सीमावर्ती थानों के SHOs, DySPs और खुफिया अधिकारियों की आमने–सामने बैठक।

PTS Kherwara, Udaipur

- CCTNS और ICJS इंटीग्रेशन– डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके वांछित अपराधियों की प्रोफाइल, फिंगरप्रिंट और रिकॉर्ड शेयर करना।
- ह्यूमन इंटेलिजेंस– सीमावर्ती गांवों, ढाबों, पेट्रोल पंपों, और टोल प्लाजा के कर्मचारियों को इन्फॉर्मर के रूप में विकसित करना।

5. अपराध एवं कानून–व्यवस्था में सीमावर्ती थानों के कर्तव्य–

क) अपराध नियंत्रण में

- संयुक्त नाकाबंदी– संदिग्ध वाहनों या भागे हुए अपराधियों की सूचना पर दोनों राज्यों के थानों द्वारा एक साथ नाका लगाना।
- हॉट पर्स्यूट में सहयोग– यदि पड़ोसी थाने की पुलिस किसी अपराधी का पीछा करते हुए आपके क्षेत्र में आती है, तो उन्हें तुरंत बैकअप और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना।
- सर्च एवं रेड्स में सहायता– अन्य राज्य की पुलिस टीम को स्थानीय सर्च वारंट या गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान कानून–व्यवस्था का समर्थन देना।

ख) कानून–व्यवस्था बनाए रखने में

- पूर्व चेतावनी– यदि पड़ोसी राज्य में कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन या आंदोलन शुरू हो रहा हो, तो अपनी उच्च अधिकारियों को समय रहते सूचित करना और सीमा सील की तैयारी करना।
- अवांछित तत्वों की सूची– चुनाव या संवेदनशील त्योहारों के समय सीमा पार सक्रिय हुड़दंगियों और आदतन अपराधियों की सूची का आदान–प्रदान और उन पर निरोधात्मक कार्रवाई

PTS Kherwara, Udaipur

Module- A- 15- Inter/intra State/ Inter Department Coordination (Day-05) (Session-30)

Paper- 13- Practical Hand on (12 Session)

प्रैक्टिकल–13 (व्यावहारिक कार्य) (12 सत्र)

नोटः– प्रशिक्षकों द्वारा प्रत्येक कक्षा कक्ष में सम्पत्ति संबंधी अपराधों पर निम्नांकित पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देवें।

अंतर–राज्यीय पुलिस संचार/पुलिस सेटअप/चेक पोस्ट/अदालती कामकाज/खुफिया जानकारी साझा करना

PTS Kherwara, Udaipur

✔ Case Law- Prakash Singh V/S UOI 2006

✔ मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य–

- याचिकाकर्ता– प्रकाश सिंह, जो उत्तर प्रदेश और असम के पूर्व पुलिस महानिदेशक तथा BSF के महानिदेशक रह चुके थे।
- समस्या– 1996 में प्रकाश सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में पुलिस प्रणाली अभी भी अंग्रेजों के जमाने के पुलिस अधिनियम, 1861 पर आधारित है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जनता पर शासन करने के लिए किया गया था।
- मुख्य मुद्दे–

1. राजनीतिक हस्तक्षेप– राजनेताओं द्वारा मनमाने तबादलों और निलंबन का डर दिखाकर पुलिस का दुरुपयोग करना।
2. जवाबदेही की कमी– पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र का न होना।
3. आयोगों की उपेक्षा– राष्ट्रीय पुलिस आयोग– 1977–81), रिबेरो समिति (1998) और पद्मनाभैया समिति (2000) की सिफारिशों को सरकारों द्वारा लागू न करना।

➢ कानून के मुख्य प्रश्न–

1. क्या पुलिस बल को राजनीतिक दबाव और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए जा सकते हैं?
2. क्या पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु जांच और कानून–व्यवस्था को अलग किया जाना चाहिए?
3. क्या पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण में पारदर्शिता और न्यूनतम कार्यकाल की गारंटी दी जानी चाहिए?

✔ सर्वोच्च न्यायालय के 7 ऐतिहासिक निर्देश–

22 सितंबर 2006 को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 (अनुच्छेद 32 के साथ पठित) के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लागू करने के लिए 7 बाध्यकारी निर्देश जारी किए जो निम्न है–

➢ राज्य सुरक्षा आयोग–
  - राज्य सरकार को पुलिस पर अनुचित प्रभाव डालने से रोकने के लिए SSC का गठन।

➢ DGP का कार्यकाल (डपदपउनउ ज्मदनतम वित क्ळच)रू
  - राज्य के पुलिस महानिदेशक का चयन पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा हो और उनका न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष तय हो।

➢ अन्य पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल–
  - SP और थाना प्रभारी का भी न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष अनिवार्य हो।

➢ जांच और कानून–व्यवस्था का पृथक्करण–
  - जांच कार्य को कानून एवं व्यवस्था से अलग किया जाए ताकि जांच अधिक निष्पक्ष और त्वरित हो सके।

➢ पुलिस स्थापना बोर्ड–

PIS Kherwara, Udaipur

- DSP और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों के तबादलों, पदोन्नति और सेवा संबंधी मामलों का निर्णय लेने हेतु अधिकारियों का एक स्वतंत्र बोर्ड बने।

➢ पुलिस शिकायत प्राधिकरण–
  - राज्य और जिला स्तर पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गंभीर दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच हेतु स्वतंत्र प्राधिकरण बनाया जाए।

केंद्र सरकार के लिए 1 निर्देश–

➢ राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग–
  - केंद्रीय पुलिस संगठनों (जैसे BSF, CRPF आदि) के प्रमुखों के चयन और कार्यकाल निर्धारण के लिए केंद्र स्तर पर आयोग बने।

✔ अनुपात निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि– कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल का निष्पक्ष, कार्यकुशल और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना अनिवार्य है। जब तक नया पुलिस कानून नहीं बनता, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुच्छेद 141 के तहत पूरे देश में लागू रहेंगे।

✔ मामले का प्रभाव और वर्तमान स्थिति

मॉडल पुलिस एक्ट 2006 इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने सोली सोराबजी समिति की सिफारिशों पर एक नया मॉडल पुलिस बिल तैयार किया।

अनुपालन की स्थिति नीति आयोग और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, अधिकांश राज्यों ने इन 7 निर्देशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है या केवल औपचारिकता पूरी की है।

PTS Kherwara, Udaipur

- **Case Law- Sandeep Kumar V/S The State, SCC Online Del 10159 (2018)**
- **मामले की पृष्ठभूमि और तथ्य**

- अंतर–धार्मिक विवाह– याचिकाकर्ता संदीप कुमार (हिंदू) और निशा (मुस्लिम) ने अपनी स्वेच्छा से विवाह किया।
- पुलिस की अवैध कार्रवाई– लड़की के परिवार की शिकायत पर यूपी (लोनी थाना, गाजियाबाद) की पुलिस दिल्ली के जेएनयू परिसर में पहुँची। सवबंस पुलिस (वसंत कुंज नॉर्थ थाना) को विधिवत सूचना दिए बिना तथा ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किए बिना, यूपी पुलिस ने संदीप और उसकी पत्नी को अवैध रूप से हिरासत में लिया।
- कस्टडी में दुर्व्यवहार– संदीप को 3 दिनों तक गैर–कानूनी तरीके से पुलिस लॉकअप में रखा गया और मारपीट की गई।
- बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका– रिहा होने के बाद संदीप ने अपनी पत्नी की सुरक्षित रिहाई और पुलिस अधिकारियों की अवैध कार्यप्रणाली के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

- **कानून के मुख्य प्रश्न–**

- क्या एक राज्य की पुलिस किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्राधिकार में जाकर बिना स्थानीय पुलिस को सूचित किए या बिना प्रक्रिया पालन किए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार/अपरहण कर सकती है?
- संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा) के तहत पुलिस अधिकारियों की क्या जवाबदेही बनती है?

- **4. न्यायालय का निर्णय और दिशानिर्देश–**

उच्च न्यायालय ने पुलिस की इस मनमानी पर कड़ा रुख अपनाया और राज्य–स्तरीय सीमाओं के पार जाकर गिरफ्तारी करने वाली पुलिस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय किए–

1. स्थानिक पुलिस को पूर्व सूचना–
   - जब किसी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने जाती है, तो उसे सबसे पहले उस क्षेत्र के स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखित सूचना देनी होगी।
2. स्थानीय पुलिस द्वारा सहायता एवं प्रविष्टि–
   - स्थानीय पुलिस स्टेशन को अपने दैनिक स्टेशन डायरी/जीडी में आगंतुक पुलिस अधिकारियों का ब्योरा और उनके आने का कारण दर्ज करना अनिवार्य है।
3. पहचान पत्र और वर्दी
   - बाहर से आने वाले सभी पुलिस कर्मचारी अपनी स्पष्ट पहचान पत्र/नेम प्लेट और आधिकारिक वर्दी में होंगे।
4. ट्रांजिट रिमांड का अनिवार्य पालन–
   - संविधान के अनुच्छेद 22(2) और CrPC की धारा 57, 80, 81 (वर्तमान में BNSS 2023 की धारा 58, 82, 83) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करना अनिवार्य है।
5. परिजनों/वकील को सूचना–

PTS Kherwara, Udaipur

- गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों या मित्र को उसकी गिरफ्तारी के स्थान और उस थाने की जानकारी तुरंत दी जानी चाहिए जहाँ उसे ले जाया जा रहा है।

6. अवहेलना पर कार्रवाई–

- यदि कोई पुलिस अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे विभागीय कार्रवाई के साथ–साथ अदालत की अवमानना और आपराधिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

- 5. प्रशिक्षणार्थियों हेतु अभ्यास एवं महत्वपूर्ण बिंदु–
- गोल्डन रूल– क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई कोई भी गिरफ्तारी बिना स्थानीय थाना प्रविष्टि और ट्रांजिट रिमांड के अवैध हिरासत मानी जाएगी।

PTS Kherwara, Udaipur

✔ Case Law- Delhi HC Guiedline for Inter State Arrest

1. विषय–प्रवेश एवं कानूनी पृष्ठभूमि–

जब किसी एक राज्य की पुलिस किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्राधिकार में जाकर जांच, दबिश या गिरफ्तारी करती है, तो उसे अंतर–राज्यीय गिरफ्तारी कहा जाता है।अक्सर यह देखा गया है कि जांच अधिकारी जल्दबाजी में संबंधित राज्य की स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ्तारी कर लेते हैं, जिसे अदालतें संविधान के अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी के खिलाफ अधिकार) का उल्लंघन मानती हैं।

2. दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा–निर्देश–

चरण 1– रवानगी से पूर्व की तैयारी–

1. सक्षम अधिकारी की अनुमति– जांच अधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी (कम से कम DySP/ACP स्तर) से अन्य राज्य में जाने हेतु लिखित अनुमति/अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

2. कारणों का अंकन– केस डायरी में स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा कि अभियुक्त की दूसरे राज्य में तत्काल गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है।

3. आवश्यक दस्तावेज– वारंट (यदि उपलब्ध हो), केस फाइल की प्रतियां और पहचान पत्र साथ रखें।

चरण 2– गंतव्य राज्य/जिले में पहुँचने पर

1. स्थानीय थाने को सूचना– जिस थाना क्षेत्र में दबिश देनी है, वहाँ के थाना प्रभारी को तुरंत लिखित रूप में सूचित करें।

2. जीडी प्रविष्टि– स्थानीय थाने के जनरल डायरी में आगंतुक पुलिस टीम के सदस्यों के नाम, पद, केस विवरण और आने का उद्देश्य दर्ज करवाएं।

3. स्थानीय पुलिस बल की सहायता– यदि संभव हो, तो दबिश टीम में स्थानीय थाने से कम से कम एक पुलिसकर्मी (महिला अभियुक्त होने पर महिला पुलिसकर्मी) को साथ लें।

चरण 3– गिरफ्तारी के समय

1. वर्दी और पहचान– टीम के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से आधिकारिक वर्दी और स्पष्ट नाम–पट्टिका धारण करेंगे।
2. गिरफ्तारी मेमो– गिरफ्तारी का समय, स्थान और कारण बताते हुए मौके पर ही Arrest Memo तैयार किया जाएगा। इस पर कम से कम एक स्थानीय स्वतंत्र गवाह या अभियुक्त के परिजन के हस्ताक्षर होंगे।
3. परिजनों को सूचना– अभियुक्त के परिजन, रिश्तेदार या मित्र को उसकी गिरफ्तारी और उस स्थान की जानकारी दी जाएगी जहाँ उसे ले जाया जा रहा है।
4. मेडिकल जांच– अभियुक्त का निकटतम सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा।

चरण 4– गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया
1. ट्रांजिट रिमांड– गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक देरी के निकटतम क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
2. 24 घंटे की सीमा– संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. वापसी की जीडी एंट्री– अपने मूल थाने पहुँचने पर केस डायरी और स्टेशन डायरी में वापसी का ब्योरा और प्राप्त ट्रांजिट रिमांड की प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।

4. निर्देशों का उल्लंघन करने पर परिणाम

यदि कोई पुलिस अधिकारी इन दिशा–निर्देशों की अवहेलना करता है–

- विभागीय कार्रवाई – संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू होगी।
- अदालत की अवमानना– हाई कोर्ट द्वारा अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
- अवैध हिरासत– अधिकारी पर आईपीसी/बीएनएस की संबंधित धाराओं (जैसे गैर–कानूनी तरीके से रोकना/बनाना) के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है।

PTS Kherwara, Udaipur

✔ Case Law- Goutam Navlakha V/S State Of Delhi 2001 (ISPC for Transit Remand)

1. मामले के तथ्य–

- **गिरफ्तारी–** 28 अगस्त 2018 को पुणे पुलिस ने दिल्ली आकर गौतम नौलखा को भीमा कोरेगांव/एल्गार परिषद मामले के सिलसिले में उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया।
- ट्रांजिट रिमांड आवेदन– पुणे पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को पुणे ले जाने के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, साकेत (नई दिल्ली) के समक्ष ट्रांजिट रिमांड का आवेदन दायर किया।
- मजिस्ट्रेट का आदेश– CMM साकेत ने पुणे पुलिस को 2 दिन का ट्रांजिट रिमांड प्रदान कर दिया ताकि आरोपी को पुणे की अदालत में पेश किया जा सके।
- उच्च न्यायालय में चुनौती– गौतम नौलखा की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्य क्षीकरण याचिका दायर की गई। तर्क दिया गया कि ट्रांजिट रिमांड आदेश पारित करते समय संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।

2. मुख्य कानूनी प्रश्न–

- क्या ट्रांजिट रिमांड एक यांत्रिक प्रक्रिया है या न्यायिक प्रक्रिया ?
- क्या मजिस्ट्रेट बिना मामले के कागजात को पढ़े या समझे (उदाहरणार्थ– भाषा की बाधा होने पर) ट्रांजिट रिमांड दे सकता है?
- क्या संविधान के अनुच्छेद 22(1) व 22(2) तथा CrPC की धारा 167 के तहत गिरफ्तारी के आधार और कानूनी सलाह का अधिकार ट्रांजिट रिमांड के समय भी देना अनिवार्य है?

3. उच्च न्यायालय का निर्णय एवं सिद्धांत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने CMM के ट्रांजिट रिमांड आदेश को रद्द कर दिया और निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए–

- ट्रांजिट रिमांड यांत्रिक/डाकखाना आदेश नहीं है (Transit Remand is Not a Mechanical Order)- ट्रांजिट रिमांड देना केवल एक प्रशासनिक या औपचारिकता मात्र का काम नहीं है। मजिस्ट्रेट को यह देखना अनिवार्य है कि क्या गिरफ्तारी वैध है और क्या आरोपी को दूसरे राज्य ले जाना न्यायोचित है।
- मस्तिष्क का प्रयोग अनिवार्य– मजिस्ट्रेट को केस डायरी और प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करना आवश्यक है।
- भाषा संबंधी बाधा– इस केस में दस्तावेज मराठी भाषा में थे, जिनका अनुवाद मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नहीं कराया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि मजिस्ट्रेट केस फाइलों की भाषा नहीं समझता है, तो बिना अनुवाद या समझने के रिमांड आदेश देना गैर–कानूनी है।
- अनुच्छेद 22(1) एवं 22(2) का अनिवार्य अनुपालन– आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधार तुरंत लिखित में दिए जाने चाहिए। एवं आरोपी को उसकी पसंद के वकील से परामर्श करने का अवसर ट्रांजिट रिमांड की सुनवाई के दौरान ही मिलना चाहिए।
- केस डायरी प्रस्तुत करना– बाहर से आई पुलिस टीम जब स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास रिमांड मांगने जाती है, तो उसे अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

PJS Kherwara, Udaipur

4. पुलिस के लिए सबक– गोल्डन टेकअवे – जब आप दूसरे राज्य/क्षेत्र से किसी आरोपी को गिरफ्तार करके स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी केवल आरोपी को शारीरिक रूप से खड़ा करना नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी की वैधता और केस डायरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष साबित करना भी है।

5. जांच अधिकारी हेतु ट्रांजिट रिमांड SOP

- दस्तावेजों का अनुवाद– यदि प्राथमिकी या केस डायरी प्रादेशिक भाषा में है, तो जिस राज्य से रिमांड लिया जा रहा है, वहाँ की समझ में आने वाली भाषा (अंग्रेजी/हिंदी/स्थानीय) में संक्षिप्त सारांश साथ रखें।
- गिरफ्तारी के आधार का ज्ञापन– आरोपी को लिखित में उसकी भाषा में गिरफ्तारी के कारण थमाएं और उसकी पावती फाइल में लगाएं।
- कानूनी सहायता– यदि आरोपी के पास अपना वकील नहीं है, तो मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर लीगल एड काउंसिल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में सहयोग करें।
- केस डायरी प्रविष्टि– केस डायरी में यह स्पष्ट रूप से लिखें कि स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया था और आरोपी को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास बिना देरी के ले जाया गया।

PTS Kherwara, Udaipur